खण्ड-229, अंक-2
मंगलवार, 27 चैत्र, शक संवत् 1884
(17 अप्रैल, 1962 ई0)

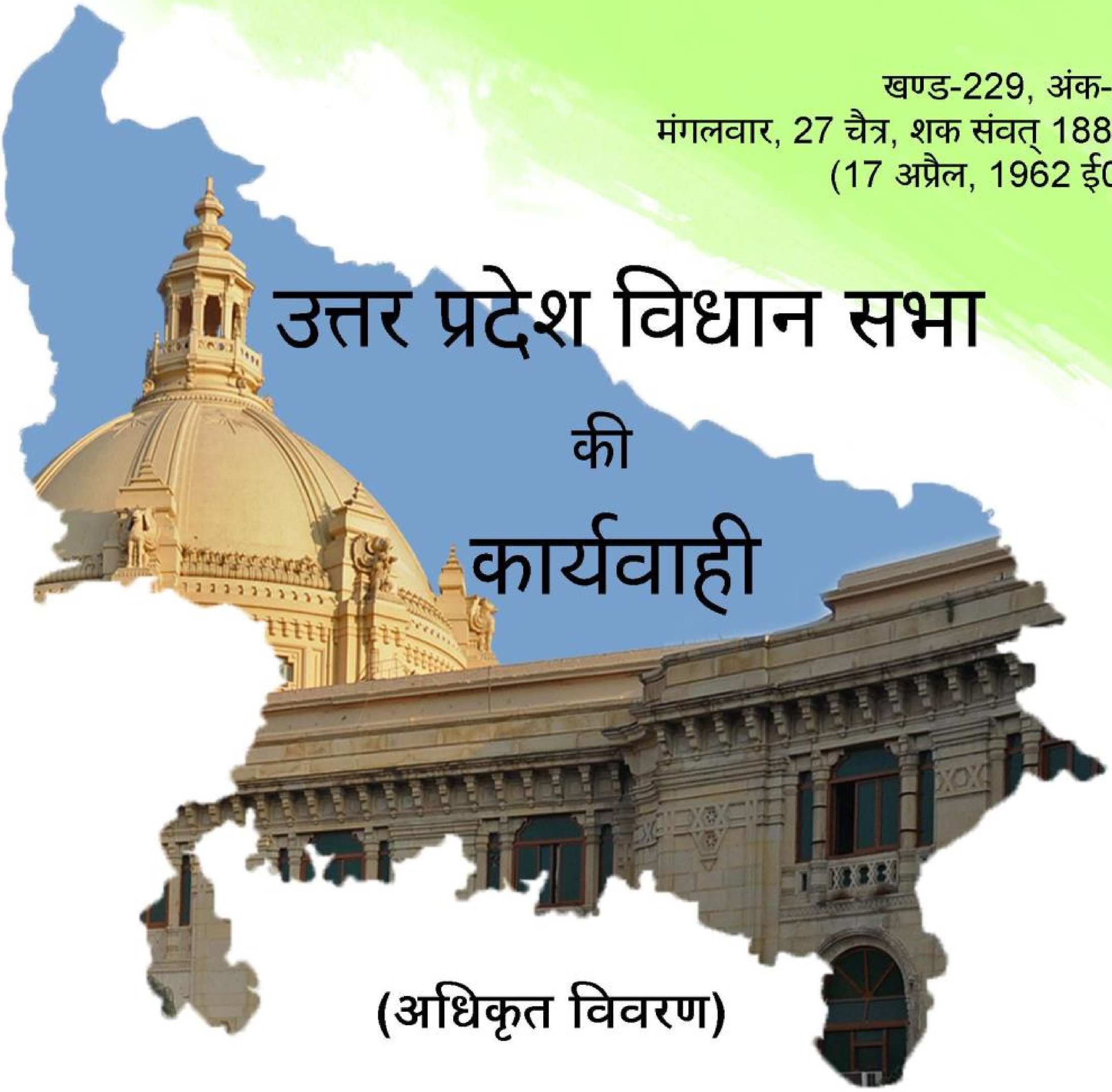

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 229 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | १२१–१२५ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | १२५–१२७ |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. .. | १२७ |
| नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं .. .. | १२८–१३० |
| १९६२–६३ के आय–व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) .. .. | १३०–१८५ |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में कृतज्ञता के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का उत्तर .. .. .. | १८६ |


विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## मंगलवार, १७ अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

---

### उपस्थित सदस्य—३७८

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवैद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया,
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह , श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच )
जगदीशशरण अग्रवाल , श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री

परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोतमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री

रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह , श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी )
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री

शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
श्रीरामसिंह, श्री (सहारनपुर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—सिंचाई उप मंत्री, श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

---

## प्रश्नोत्तर

---

### मंगलवार, १७ अप्रैल, १९६२

---

## तारांकित प्रश्न

*१–३—श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—[३रे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[३रे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५—श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—[१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७–९—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—[१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०—श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी)—[हटा दिया गया ।]

*११–१३—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—[१ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

## छोटी गंडक के मुहाने पर नैपाल बांध योजना

*१४—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि छोटी गन्डक के मुहाने पर नैपाल बांध की योजना स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब से प्रारम्भ होगा ?

सिंचाई उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—नैपाल बांध योजना गंडक कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो चुकी है । इस पर १९६२ के जाड़ों में कार्य प्रारम्भ होने की आशा है ।

*१५—श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि नैपाल बांध के निर्माण से गन्डक नहर योजना के कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां, इसके निर्माण से पश्चिमी गंडक नहर की रक्षा होगी ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नैपाल बांध का सर्वप्रथम सर्वेक्षण कब किया गया और इसमें कितनी रकम के व्यय होने की आशा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—यह तो श्रीमन्, १९५०–५१ से कार्य चल रहा है लेकिन इसका बोर्ड अभी १९६१ में बना है और ३० लाख रुपये के व्यय होने की आशा है ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब १९५०–५१ में इसका सर्वेक्षण हुआ तो अब तक कार्यान्वित न कर सकने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, सर्वेक्षण नहीं हुआ बल्कि इसका सूत्रपात हुआ और सर्वेक्षण अभी हाल में बोर्ड बनने के पश्चात् हुआ है ।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि नैपाल बांध दूसरी योजना में अंतिम रूप से स्वीकृत हो चुका था, लेकिन वह सरकार की लापरवाही के कारण नहीं बना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, लापरवाही की बात नहीं है बल्कि जमीन मिलने की बात है और अगर नैपाल गवर्नमेन्ट अब भी जमीन नहीं देती है तो शायद इस कार्य को करना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी नैपाल बांध की आवश्यकता को देखकर वार फूटिंग पर काम कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, वार फूटिंग की जरूरत नहीं है । अगर जमीन मिल जाय तो हम इस कार्य को तेजी से समाप्त करना चाहते हैं ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन् मंत्री जी ने लिखित उत्तर में कहा है कि आगामी जाड़ों में कार्य प्रारम्भ हो जायगा लेकिन फिर कहते हैं कि जमीन मिल जाय तो कार्य प्रारम्भ हो । इनमें कौन-सा उत्तर सही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, माननीय सदस्य पढ़ने का कष्ट करें । इसमें "आशा है" स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ।

श्री उग्रसेन---इस बात को देखते हुये कि मंत्री जी अभी आशा लगाये हैं और १९५० से लगाये हुये हैं, तो क्या मंत्री जी स्पष्ट रूप से घोषणा करेंगे कि यह बांध किसी न किसी तरह से साल भर में पूरा हो जायगा ताकि गोरखपुर, देवरिया के ५० लाख लोगों को बड़ी गंडक की बाढ़ से बचाया जा सके ?

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी कह रहे हैं कि आशा है, कार्य प्रारम्भ कर सकेंगे अगर जमीन मिल जायगी और आप कह रहे हैं कि साल भर में पूरा हो जाय, तो यह कैसे हो सकता है ?

श्री रामसुन्दर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नैपाल सरकार जमीन न देने का कारण क्या बतला रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---श्रीमन्, कारण तो उन्होंने जवाब में नहीं दिये हैं । यह तो उनकी इच्छा है ।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतायेगी कि यदि नेपाल सरकार जमीन न दे सकी तो बाढ़ की रोकथाम के लिये कोई दूसरी व्यवस्था करने की बात वह सोचेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---श्रीमन्, इसकी पूर्ण आशा है कि यह जमीन मिलेगी और इसीलिए यह स्कीम बनी हुई है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैपाल सरकार से जमीन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ने कितनी खतोकिताबत की है और बात किस स्तर पर पहुंच गयी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---करीब-करीब यह उम्मीद की जाती है कि जुलाई तक शायद जमीन हम लोगों को मिल जाय ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी के पास या केन्द्रीय सरकार के द्वारा माननीय मंत्री जी के पास सूचना आयी है कि जमीन देने के लिये नैपाल सरकार ने कुछ शर्त लगा रखी है ? यदि हां, तो वह कौन सी शर्त है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---ऐसी तो कोई शर्त की बात नहीं है ।

*१६-१७---श्री तेज सिंह (जिला मेरठ )---[हटा दिये गये ।]

*१८---श्री हीरीलाल यादव (जिला इटावा)---[३ रे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

---

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---कार्य स्थगन प्रस्ताव जो आया है उसको मैंने अस्वीकार किया है । मैं न उसको महत्व का समझता हूं और हर हालत में वह कल ही आना चाहिए था । वह तुरन्त नहीं आया, इसलिये अस्वीकार किया गया ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---इस संबंध में निवेदन यह है कि अभी-अभी दफा १४४ लगी है । यह प्रश्न इसलिये अभी आउट आफ आर्डर नहीं होना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष---आपने दफा १४४ का कोई जिक्र नहीं किया है। उससे जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसका कोई जिक्र नहीं किया है । इसलिए आप सब बातों को लिख कर दें, तब उस पर विचार किया जा सकता है ।

## नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष**—नियम ५२ के अन्दर मेरे पास कई सूचनाएं आयी हैं। एक सूचना जो श्री शिवेन्द्र प्रताप की ओर से आयी है उसको मैंने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है—

"नाविक जल मजदूर संघ के कार्यकर्त्ता गोरखपुर कमिश्नर के यहां अपनी मांगों के लिये भूख हड़ताल कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप गोरखपुर में गंभीर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। शान्ति व सुरक्षा भंग होने का अंदेशा है। इसलिये प्रक्रिया नियमावली की दफा ५२ के अन्तर्गत में सरकार का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न पर आकृष्ट करता हूं।"

माननीय कृषि मंत्री नहीं हैं। कोई दूसरे मंत्री हैं जो उत्तर दे सकें ?

***स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)**—इसकी सूचना मांग ली जायगी। दो दिन का समय कम से कम दे दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**—१९ को दे सकेंगे या सोमवार को ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—सोमवार को रख दीजिये। इन लोगों के लिये भी आसानी होगी।

**श्री यादवेन्द्रदत्त** (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। भूख हड़ताल हो रही है। लोगों के प्राण संकट में पड़े हैं और मंत्री जी उसको सोमवार तक, २३ तक खींच रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को इतने देर तक खींचना उचित नहीं होगा। जहां तक सूचना का प्रश्न है, मंत्री जी के पास, सरकार के पास, सूचना प्राप्त करने के सारे साधन उपलब्ध हैं, वायरलेस है, टेलीफोन है, तो हद से हद कल तक यह सूचना वह मंगा सकते हैं। इसलिये मैं श्रीमन्, आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करूंगा कि जब प्राणों के संकट का प्रश्न है तो उस प्रश्न को इतना लम्बा खींचना उचित नहीं है।

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि अगर वास्तव में इतने महत्व का प्रश्न था तो मंत्री को कोई सूचना इसकी पहले से दे दी जाती तो वह भी प्रयत्न कर सकते थे। अगर यह कायदे कानून की बात यहां न करके प्राइवेटली बात कर ली गयी होती तो जो कुछ सहायता इधर से हो सकती वह हो जाती और उसमें हमें भी खुशी होती। लेकिन इतने महत्व का प्रश्न हो और उसकी सूचना भी हमको न मिले, इसीलिए यह जानने के वास्ते ही मैंने कहा था और मेरा खयाल है कि वैसे तो हम आज भी कोशिश करेंगे और अगर पहले दे सके तो हम उसकी सूचना आपको दे देंगे।

**श्री अध्यक्ष**—मेरी राय यह है कि माननीय नेता विरोधी दल का आग्रह कुछ अंशों में ठीक है कि वहां पर भूख हड़ताल हो रही है, तो उस दशा में प्रयत्न यह किया जाय कि १९ तारीख को इसके ऊपर वक्तव्य दे दिया जाय।

**श्री यादवेन्द्रदत्त**—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहूं। माननीय मंत्री जी ने जो अभी कहा कि इतनी अर्जेंसी का प्रश्न था तो प्राइवेटली निगोशिएन्स करने चाहिये थे, तो अर्जेंसी अगर न होती तो हंगर स्ट्राइक क्यों होती ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन आवर है और सदन का बड़ा मूल्यवान समय है। इस समय संबंधित मंत्री करीब-करीब सब लुप्त हैं। मैं श्रीमान्, का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि कम से कम मंत्री लोग इस समय तो यहां उपस्थित रहें।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इसी संबंध में मैं भी यह निवेदन करूं कि यह जो भूख हड़ताल हो रही है, यद्यपि मांगों के लिये भूख हड़ताल का औचित्य सोशलिस्ट पार्टी तो नहीं मानती है लेकिन प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर अविलम्ब कुछ अन्तरिम आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए जिससे कि भूख हड़ताल टूट जाय । टेलीफोन पर अन्तरिम आश्वासन उनको दे दें । दो दिन तक उन्हें भूखा मारने से क्या लाभ ?

**श्री अध्यक्ष**—मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि यह मामला जल्दी से जल्दी तय हो जाय तो इसमें उन्हें खुशी होगी और इस बात का आश्वासन उनकी तरफ से दे दिया गया है । लेकिन पूरा वक्तव्य वह परसों देंगे ।

**श्री उग्रसेन**—तो भूख हड़ताल पहले तोड़वा दें ।

**श्री अध्यक्ष**—भूख हड़ताल वह तो तोड़वा नहीं सकते । मगर प्रयत्न कर सकते हैं कि वहां की स्थिति सम्यक हो जाय ।

**श्री रामसुन्दर** (जिला आजमगढ़)—मेरा एक नियम ५२ का प्रश्न था गन्ना किसानों के भुगतान के संबंध में । प्रदेश में गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया मिल मालिकों के जिम्मे बकाया पड़ा है । सरकार देय धनों को तो वसूल कर रही है बड़ी सख्ती के साथ, लेकिन मिल मालिकों से किसानों का रुपया दिलाने में असमर्थ हो रही है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें ।

**श्री अध्यक्ष**—आप केवल वक्तव्य चाहेंगे ?

**श्री रामसुन्दर**—जी ।

**श्री अध्यक्ष**—तो इस पर मैं विचार करूंगा । लेकिन इस संबंध में मेरी एक कठिनाई होती है कि जब वक्तव्य दिया जाता है कि तो फिर उसके ऊपर आग्रह होता है कि हम प्रश्न करेंगे । तो यह स्पष्ट हमारे सदन के माननीय सदस्यों को मालूम हो जाना चाहिये और मैं विशेष रूप से जो नेता हैं विभिन्न पार्टियों के उनसे बातचीत करूंगा कि सदन में यह कहा जाय कि हम केवल वक्तव्य चाहते हैं और उस पर प्रश्न नहीं होंगे उस वचन का आदर भी करना चाहिए । इसके बारे में मैं आप सब से बात करूंगा ।

**श्री रामसुन्दर**—इसके लिये आदेश क्या हुआ है ?

**श्री अध्यक्ष**—वह तो पाण्डेय जी, देखिए एक ही नियम ५२ की सूचना एक दिन में स्वीकृत होती है । इस विचार से तो मैंने आपकी सूचना को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन अगर आप मुझसे आकर जरा-सा भी संकेत कर देते कि आप केवल वक्तव्य से सन्तुष्ट हो जायेंगे तो मैं दूसरी बात सोचता । इस समय तो अस्वीकृत है क्योंकि एक स्वीकार हो चुका है ।

**श्री काशीनाथ** (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी और आज भी एक नियम ५२ की सूचना दी थी....

**श्री अध्यक्ष**—देखिए, मैं केवल सद्भावना से इन प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं वरना मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि जब एक मर्तबा एक नियम ५२ की सूचना स्वीकृत हो चुकी तो दूसरी सूचनाओं के संबंध में भी कोई विवाद या बहस यहां होने दूं । इसलिये मैं चाहूंगा कि कम से कम हमारे माननीय सदस्य इस बात को तो समझ लें कि नियम का आदर करना और पालन करना हमारे लिए शोभाजनक बात है । यह नहीं कि उस पर बहस करें । अगर कोई बात उस संबंध में मुझसे करनी है तो आप कमरे में आकर बात कर सकते हैं लेकिन यह गलत है कि उसके लिये सदन का समय लिया जाय ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि रोज कामरोको प्रस्ताव और दफा ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव आते हैं। वह संबंधित मंत्रियों के पास तक नहीं भेजे जाते। सही तरीके से कम से कम वह मंत्री सूचना तो उसके संबंध में एकत्रित कर लें। मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं और इस संबंध में आप कोई ऐसा निर्देशन करें जिससे संबंधित मंत्री कम से कम यह तो समझ लें कि वह दफा ५२ का प्रस्ताव या कामरोको प्रस्ताव कितना आवश्यक है और उसकी सूचना प्राप्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष—एक साधारण बात है कि जो सूचना यहां पर स्वीकृत होगी उसी के संबंध में हम संबंधित मंत्री से वक्तव्य मांगें। यह बात गलत है कि जितनी सूचनायें नियम ५२ के अन्तर्गत आयें उन सब को हम मंत्रिगण के पास भेजें। अन्ततोगत्वा तो उन सब को अस्वीकार करना ही है। सूचना, समय और जो नियम है उसका पालन इस प्रकार से होता है कि जो स्वीकृत हो उस संबंध में हम वक्तव्य मंत्री महोदय से मांगें। उन सबको उनके पास नहीं भेजा जा सकता, यह गलत प्रस्ताव है।

## १९६२-६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

*श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत जो बजट इस सदन में पेश है उस पर कल कुछ बहस सुनने को मिली है। मुझे आपके माध्यम से इस सदन के सामने यह स्पष्ट तरीके से निवेदन करना है कि यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है जन-कल्याणकारी बजट कहा जा सकता है, क्योंकि इस सामान्य बजट में उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर किसी किस्म का आगे और नया टैक्स का बोझ नहीं लादा गया है। घाटा अलबत्ता पेश किया गया है १३ करोड़ ३५ लाख का, लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने उस संबंध में आगे कोई कार्यवाही करने से इन्कार किया है। कल मैंने माननीय विरोधी दल के नेता का भाषण बहुत गौर से सुना है। मुझे और इस सदन को आश्चर्य है और खेद भी है कि इस प्रकार का माननीय नेता विरोधी दल का भाषण हुआ। कल को अगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत का संचालन करने के लिये वे आयें तो उनका आल्टरनेटिव बजट क्या होगा? सिर्फ इस प्रकार की आलोचना करना कि यहां का मंत्रिमंडल ज्यादा है, सेन्टर का छोटा है, यहां के खर्चे बेकार हैं, इस्टैब्लिशमेन्ट पर खर्चा ६५ प्रतिशत है, कोई लाभदायक नहीं है। आपका क्या उद्देश्य है? विरोधी दल के नेता होने के नाते आपका क्या लक्ष्य है? आपके क्या कदम हैं? आपका क्या बजट है जो आप आल्टरनेटिव इस प्रदेश के सामने पेश करना चाहते हैं? नुक्ताचीनी इस सदन के सामने करना, घाटे के संबंध में आलोचना करना, जो कि विध्वन्सात्मक रूप में हो, कोई लाभदायक नहीं है। रचनात्मक आलोचनायें सदन के सामने आनी चाहिये। हम और आप सब विरोधी दल के लोग आम जनता के नुमायन्दे हैं। अगर आपके रचनात्मक सुझाव सदन के सामने आयें तो हम सब उन पर शान्तिपूर्वक विचार कर सकते हैं, किन्तु यदि आलोचनायें हों, विध्वन्सात्मक सुझाव आयें तो उसकी भी एक सीमा होनी चाहिये। किस मकसद के लिये कितनी बातें आयें इसकी सीमा होनी चाहिये। हम बजट के मौके पर तमाम दुनिया की बातें कह देते हैं। एक छोटी-सी बात है कि हमारे कमिश्नर पर आपको विश्वास नहीं, हमारे जिलाधीश पर आपको विश्वास नहीं, यह सारा खर्च बेकार है, आप छोटी-छोटी बातों पर बाहर चले जायं, सदन छोड़ दें, यदि इस प्रकार हम लोग चलेंगे तो काम नहीं चलने का। हम यहां विधान बनाने के लिये बैठे हैं और इसलिये हमको इस बजट के मामले पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिये। आप विरोधी दल के नेता हैं। आशा थी कि आप उत्तर प्रदेश की जनता की बात कहेंगे किन्तु आप छोटी-छोटी बातों को ही दोहराते रहना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† १६ अप्रैल, १९६२ की कार्यवाही से।

एक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं। बजट के मौके पर अपने यह विचार, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार तक पहुंचना चाहता हूं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हरदोई जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी बजट के आम विवाद पर कुल दो घंटे हुए हैं, लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय सदन में मौजूद नहीं हैं। सामान्य विवाद के अवसर पर तो कम से कम वित्त मंत्री मौजूद रहते हैं और कटौती के जब प्रस्ताव आते हैं तो उस समय संबंधित मंत्री मौजूद रहते हैं, लेकिन सामान्य विवाद की शुरुआत में ही माननीय मंत्री गायब हैं, इसके लिये आप कृपा कर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—इस संबंध में एक विशेष बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री स्वयं यहां विद्यमान हैं और यह काफी है। इसके अतिरिक्त आदरणीय सदस्यगण यह समझ लें कि दोनों सदनों में इस समय यह विवाद एक साथ चल रहा है, तो वित्त मंत्री दोनों जगह तो नहीं रह सकते।

श्री उग्रसेन—परम्परा यह है कि वह यहां रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें वे वहां भी रह सकते हैं। लेकिन मुख्य मंत्री महोदय, का यहां रहना बहुत काफी है।

श्री उग्रसेन—वित्त मंत्री वहां भी नहीं हैं।

श्री जे० पी० मिश्र—तो मुझे सामान्य विवाद के मौके पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में सरकार का ध्यान दिलाना है। हरदोई जिला उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक दुर्भाग्य-पूर्ण जिला है। इस सदन में पश्चिमी जिलों की हालत सभी लोग जानते हैं। वहां कितनी खुश-हाली है इसको सभी को पता है। अवध का यह हरदोई जिला बड़ा बदकिस्मत जिला है। (व्यवधान) वहां अध्यक्ष महोदय, १९६१ और १९६० में दो सैलाब आये और वहां की यह दिक्कत है कि सैलाब आने पर वहां के चारों रास्ते बन्द हो जाते हैं। मैं इसलिये यह चाहता हूं कि हरदोई जिले पर विशेष ध्यान दिया जाय। हमको इस बजट में केवल पौन दो लाख रुपया दिया गया है। मैं रुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, किन्तु अपनी बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे यहां रास्तों का, सड़कों का, पुलों का सवाल है, शिक्षा का सवाल है? हम पिछड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हम दो नम्बर पर गेहूं देते हैं, किन्तु वहां हमारे लिये सिंचाई का कोई खास प्रबन्ध नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी पधारे हैं और उन्होंने स्वयं हरदोई जिले का दौरा किया है। वहां किस तरह वाटर लागिंग होती है उस पर बिचार होना चाहिये। वहां साढ़े आठ लाख रुपये की सिंचाई की स्कीम थी गौरा नदी के लिये। तो मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले ६-७ वर्षों में जो भी स्कीमें बनी हैं उनमें हरदोई जिले की तरफ कम ध्यान दिया गया है और वह बिलकुल गिरा हुआ है। हमारे देहातों में, अस्पतालों में जो दवा का प्रबन्ध है वह बहुत असंतोषजनक है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बजट में जो वहां के लिये आंकड़े हैं, उसमें अगर संभव हो सके तो, कुछ परिवर्तन करके उसे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय और अगर उसमें संभव न हो सके तो अगले वर्ष हरदोई जिले पर विशेष ध्यान दिया जाय।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है और वह यह कि हमारे यहां पिछली बाढ़ के कारण हजारों मकान गिर गये हैं और उससे हरदोई जिले को बड़ा नुकसान हुआ है। जो मकान गिर गये हैं वे अभी तक नहीं बन पाये हैं, हालांकि सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन भी दिया गया था उनको बनाने का। वहां पर हजारों मकान गिर जाने से जनता बहुत परेशान है।

[श्री जे० पी० मिश्र]

अगर उनकी व्यवस्था हो जाये तो उनके रहने का ठिकाना हो सकता है। उस जिले में मेरे परगने में काफी सैलाब आया और उससे गांव के गांव तबाह हो गये। उनके लगान का सवाल है, उनके ऊपर कर्जा लदा हुआ है....

**श्री अध्यक्ष**—माननीय मिश्र जी, एक बात सुन लीजिये। सामान्य विवाद में नीतियों का ही उल्लेख होता है और उसके संबंध में ही चर्चा होती है। जो स्थानीय कठिनाइयां होती हैं वे तो अनुदानों के समय भी आप कह सकते हैं और उन पर विचार हो सकता है। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिये और अपना भाषण जारी रखिये।

**श्री जे० पी० मिश्र**—मैंने एक मोटे तरीके से छोटी छोटी बातें रख दीं। लेकिन उनको मैं उस वक्त प्रस्तुत करूंगा, आपकी आज्ञा से, जब उनका समय होगा। सामान्य विवाद में मुझे केवल यह कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन पर लांछन लगाया गया और उस संबंध में जो बातें कही गयीं उससे कर्मचारी या अधिकारीगण अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते। आप फिर किसके ऊपर विश्वास करेंगे सरकार का दबाव इतना ज्यादा है कि वे ठीक तरीके से काम नहीं करते या वे हुक्म मानने से डरते हैं, अगर ऐसी बातें कही जायेंगी, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? प्रदेश के शासन का कार्य एक अविश्वास के बल पर नहीं चल सकता। मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि बजट के ऊपर तो हम लोगों को रचनात्मक सुझाव देना चाहिये। बजट के ऊपर अगर हम लोग रचनात्मक ढंग से विवाद कर सकें और अच्छी अच्छी बातें को मद्देनजर रखते हुए कमियों के ऊपर टीका-टिप्पणी कर सकें तो उससे इस प्रदेश को बहुत फायदा हो सकता है। हमने जिस तरह से इस बजट को देखा है और पढ़ा है, समझा है, उससे कोई नया संकट पैदा नहीं हो रहा है। कुछ मोटी-मोटी बातें हैं जिनका जिक्र हम अनुदानों के समय करेंगे। वैसे सर्वसाधारण के देखने से यह बजट जनकल्याणकारी बजट है। बजट को घाटे का बजट पेश करके यह कह देना सरल है, लेकिन अनुमान और अनुमानित प्राप्तियां राजस्व की जो पिछले सालों में आयी हैं, आपने देखा कि घाटे की पूर्ति अपने आप हुई राजस्व की प्राप्तियों के द्वारा। घाटे का बजट सामने लाने से और उस किस्म की बात—तीन साल का रेफ़रेंस देने से—हम उस निर्णय पर पहुंच नहीं सकते कि वह बजट साधारण जनता के हित के लिए नहीं है।

मुझे इतना ही आपके माध्यम से निवेदन करना है।

**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, यह जो आय-व्ययक का ब्योरा सदन में पेश हुआ है, हम लोग इसको बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे कि हमारा नया मंत्रिमंडल बना, नये मुख्य मंत्री हुए। पिछले वर्ष तो यह कहा जा सकता था कि नये मुख्य मंत्री हैं अभी पुराने कार्यक्रम और पुराने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जब वास्तव में नया मंत्रिमंडल पांच साल के लिए बनेगा तो नयी बातें आयेंगी लेकिन बजट के देखने से यह मालूम पड़ा कि यह पिछले वर्ष के आय-व्यय का एक ब्योरा पेश कर दिया गया है। वही रास्ते हैं, वही चीजें हैं, कोई नवीनता या आशा की झलक खास तौर से हमारी ग्रामीण जनता के लिए इस बजट में दिखलाई नहीं देती। केवल यह जरूर दिखलाई दिया कि जो राज्य प्रशासन पर व्यय हो रहा है उसमें दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही है और कर्जे का बोझ लदता चला जा रहा है।

जब कोई बजट पेश होता है तो उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आखिर जो खर्चा हमारे प्रदेश पर सरकार का हो रहा है, सरकार के द्वारा हो रहा है, उससे आम जनता को क्या फायदा पहुंचने वाला है, उसके दैनिक जीवन में क्या सुधार होना है या हुआ है। आंकड़े कल भी हमारे भाई साहब ने तो चौधरी चरणसिंह की किताब के दिखलाये थे, लेकिन कहा गया कि निजी किताब उनकी है। खैर, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में, मैं दिखलाना चाहता हूं जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि किसी के निजी विचार हैं। ये तो सरकार के समुचित विचार हैं और इसमें पिछले दस वर्षों का ब्योरा दिया हुआ है। मानी हुई बात है कि जो हमारी व्यक्तिगत

प्रति व्यक्ति आय हमारे देश के निवासियों की है, इन १० वर्षों के अन्दर उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें थीं उनके मिलने में कठिनाई हुई और दिन पर दिन उनके दाम बढ़ते चले गये। अगर आप देखें तो १९५०–५१ के बजट में १६३ करोड़ का बजट था, १९५५–५६ में १७९.७ करोड़ का बजट हुआ और १९६०–६१ में १९६-८०, करोड़ का बजट हुआ। जो हमारी टोटल आमदनी थी जिस पर प्रदेश की संपत्ति का अनुमान लगाया जाता है, उसके अनुपात से अगर श्रीमन्, देखा जाय तो हमारे प्रदेश की ग्रास इनकम जो १९५०–५१ की थी वह ६४.३५, करोड़ थी, उसका ३.९ परसेंट बोझ जनता पर पड़ा। धीरे-धीरे ग्रास इनकम का बोझ बढ़ता गया और १९५५–५६ में १२३.९ करोड़ जब हुई तो ६.३ परसेंट जनता पर भार पड़ा। अब १० परसेंट बोझ जनता पर पड़ रहा है। जो आमदनी हो रही है उसका १० फीसदी सरकार कर लगायेगी। यही कारण है कि हमारा प्रदेश धीरे-धीरे कंगाल होता चला जा रहा है।

श्रीमन्, अगर अनुमान किया जाय तो जिस वक्त शुरू-शुरू में हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो १९४८–४९ और १९४९–५० में कहा जा सकता था कि हमारा प्रदेश अग्रगामी प्रदेश है। इसका बहुत प्रचार हुआ कि प्रदेश बहुत उन्नतिशील और प्रगतिशील हो रहा है। और प्रदेशों के मुकाबले में हमारे प्रदेश की आमदनी १०४ परसेंट थी जिसके मानी यह हुये कि और लोगों के औसत से हमारी आमदनी ज्यादा थी, लेकिन दस वर्षों के बाद, दो योजनाओं के बाद हमारी आमदनी ९३ परसेंट ही रह गई। हां, इस माने में हमने जरूर तरक्की की है कि हम पर कर्ज़े का बोझ लद रहा है। २५.५५ करोड़ रुपये का कर्जा हम अदा कर रहे हैं। यह हमारी प्लानिंग हुई है कि हम कर्ज़े के बूते पर चल रहे हैं। १९४६–४७ में हमारे प्रदेश का बजट २७ करोड़ का था और आज हम २५.५५ करोड़ केवल कर्ज़े का ही दे रहे हैं। यह हमारे प्रदेश की प्रगति हुई है। १९५५–५६ के बाद हमारे प्रदेश की आमदनी में ८० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है मगर वह गई कहां। हमारी जो आमदनी बढ़ी और हमारे प्रदेश का जो बजट बढ़ा उसका करीब-करीब आधा यानी ६५ फीसदी सरकारी प्रबन्ध या सरकारी ठाठ-बाठ और प्रशासन पर खर्च हुआ है। और जो हमारे डेवलपमेंटल और सोशल विभाग हैं उन पर केवल ३७ फीसदी ही खर्च हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार की ओर से जो यह कहा जाता है कि वह समाजवादी समाज बनाने जा रही है, उसके स्थान पर हम देख रहे हैं, प्लानिंग के जो नतीजे हमारे सामने आये हैं, उनसे यह प्रत्यक्ष जाहिर हो रहा है कि इस सरकार को जनता के लाभ का कोई खयाल नहीं है, हां, यह सरकार अधिक से अधिक सत्ता अपने हाथ में अवश्य लेना चाहती है। आज समाजवाद का नाम लिया जाता है, लेकिन वास्तव में पूंजीवाद की मोनोपली धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले पूंजीपतियों ने जितना लाभ नहीं उठाया था उससे अधिक लाभ वह आज उठा रहे हैं। दो सौ रुपये से जिन लोगों की कम आमदनी थी उनकी संख्या १९५१–५२ में ५० फीसदी थी मगर धीरे-धीरे धनिकों की संख्या बढ़ती चली गई और १९५६–५७ में जो रिपोर्ट आयोजना आयोग की ओर से निकली उसके अनुसार ऐसे लोगों की संख्या ६५ फीसदी हो गई यानी दो तिहाई दरिद्र हो गये और एक तिहाई लोगों के पास धन बढ़ता चला गया। इस किताब में जिक्र किया गया है कि हमारे प्रदेश में खाद्यान्न का प्रोडक्शन बराये नाम बढ़ा है, मगर जो औद्योगिक प्रोडक्शन हुये हैं उनमें कमी हुई है।

हमारे माननीय गुप्त जी बड़े चरित्रवान् पुरुष हैं, वे जब मुख्य मंत्री हुये थे तो यह आशा हुई थी कि वह ऐसी परम्पराएँ डालेंगे जिनका अनुकरण उधर कुर्सियों पर बैठने वाले तथा दूसरे लोग भी करेंगे, लेकिन मैं कुछ और ही देख रहा हूं। गोंडे के चुनाव में जो हुआ, किसी विशेष व्यक्ति के वास्ते जो किया गया उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और वह शासन पर कब्जा करने जा रहे हैं। एक विशेष व्यक्ति के लिये इतना अन्धेर हो कि उसकी कोई जांच न हो, उसकी कोई कोशिश न हो तो अफसोस होता है। गोंडा के अन्दर दुबारा मतगणना का हुक्म दे दिया गया, मगर पहले किसी ने कोई एतराज नहीं पेश किया कि गणना की जाय। गणना के समय दोनों उम्मीदवार थे, कलेक्टर महोदय भी थे जो रात को ११ बजे

[श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह]

आये और उन्होंने कहा कि जल्दी करो मैं रिजल्ट डिक्लेअर करने वाला हूं। मगर जब धीरे-धीरे नतीजा बदलने लगा वहां से उम्मीदवार व कलेक्टर गायब हुये, और दरख्वास्त पड़ी थी कि गणना रोक दी जाय, घोषणा न की जाय। वही कलेक्टर साहब पहले चाहते थे कि उस उम्मीदवार जिसके ऊपर आज की सरकार कृपालु है उसके जीत की सूचना जल्दी से जल्दी लखनऊ भेज दूं, बाद में क्या गड़बड़ी हो गयी जो कहने लगा कि नहीं, आज मैं इसकी घोषणा नहीं करूंगा। कानपुर के एक बड़े भारी महाजन जिनके इशारे पर यह सरकार चलती है उनकी जीत की खुशखबरी वे जल्दी ही लखनऊ भेजना चाहते थे लेकिन बाद में नक्शा पलट गया और यह कहा गया कि काउंटिंग में देर हो गई है इसलिये रिजल्ट की घोषणा आज नहीं की जा सकती।

**एक सदस्य**— श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो विषय चल रहा है उसी पर माननीय सदस्य बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**—तो श्रीमन्, मैं कहता हूं कि अगर अधिकारियों के अधिकार इस तरह से बढ़ते जायंगे और उनके लिये कोई टोक कहीं नहीं होगी तो भ्रष्टाचार बढ़ता जायगा और इसका असर जिलाधिकारियों पर क्या पड़ेगा, उसे आप स्वयं सोच सकते हैं। जो पर्चियां इस बिना पर रिजेक्ट कर दी गयी थीं कि मोहर खाली जगह पर या पीछे की तरफ लगायी गयी थी, बाद में इस तरह की दो-दो सौ और ढाई-ढाई सौ की तादाद में निकलीं जिन परअब मोहर लगी और कही गयीं कि ये ठीक हैं। समझ में नहीं आता कि जहां इतना कीन कंटेस्ट था और हर उम्मीदवार के दो-दो एजेंट वहां बराबर मौजूद थे, फिर उनके सामने से वे पर्चियां कैसे निकल गयीं। ईद के दिन जब कि पब्लिक हालीडे था, पर्चियों के बोरे हटा दिये गये। हमारी दरख्वास्त पहले से मौजूद थी कि जब हमारे बोरे हटाये जायं तो हम लोगों को दिखला दिया जाय लेकिन ऐसा न करके ईद की रात को ही बोरे क्यों हटाये गये? कहा जाता है कि वे बलरामपुर के बोरे थे और चूंकि एलेक्शन पेटीशन होने वाला था इसलिये उनको फिर लाया गया। अभी तक कोई एलेक्शन पेटीशन दायर नहीं हुआ था। अनुशासन के नाम पर आफिसर के मातहत अपने आफिसर के हुक्म की पाबन्दी करते हैं मगर वहां गोंडा में कुछ और हुआ, उसने उस नियम को ही बिलकुल बदल दिया है। इस तरह से प्रजातंत्र कायम नहीं रह सकता है। प्रजातंत्र बहुत कुछ सरकारी अधिकारियों के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति का आप आदर करते हैं तो वह भी आपका आदर करता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर हम चलेंगे तो प्रजातंत्र कायम नहीं रह सकता है।

श्रीमन्, जिस वक्त डिप्टी चीफ एलेक्शन आफिसर जो गोंडा पहुंचा था उसे हम लोगों ने वहां की हालत दिखलाई तो उसका चेहरा देखने से ही मालूम होता था कि वह बौखला गया है और उसने तुरन्त हुक्म दे दिया कि सारी चीजें रोक दो, इस गणना के बाद काउंटिंग न करो। कल इसका निर्णय किया जायगा। रात को टेलीफोन हुआ, लखनऊ को टेलीफोन हुआ, लखनऊ मोटर आई और लखनऊ से टेलीफोन गया और सुबह को कलेक्टर ने कहा कि आप लिख दें और फिर डिप्टी चीफ एलेक्शन आफिसर ने एक सादे कागज पर ड्राफ्ट लिख कर हुक्म दिया कि इसको टाइप करा दो मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। वह टाइप होता ही रहा और डिप्टी चीफ घर पर ही रह गये और कलेक्टर साहब जल्दी गणना स्थल पर आकर हुक्म सुना देते हैं। डिप्टी चीफ से जाकर कहा—वक्त हो गया था जब हुक्म नहीं मिला तो मैंने सुना दिया। यह कलेक्टर की हिम्मत नहीं है और किसी की हिम्मत है, किसकी हुकूमत है जो यह चीजें होती हैं। हमारे सदस्यगण देखें और हमारे अधिकारी वर्ग देखें कि हम देश को किस तरफ लिये जा रहे हैं। हम देश को सुधार की तरफ नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष के लिये खुशामद के वास्ते अधिकारियों को इस्तेमाल करते हैं। कहां हमारा देश जा रहा है? हमें यह सोचना होगा कि हम यहां हमेशा के लिये नहीं आये हैं, आगे भी हमारी पीढ़ियां इन पदों पर आवेंगी उनको हमें जवाब देना होगा। वह कहेंगे कि किस तरह के लोग यहां आसीन थे और क्या उनके तरीके थे।

आज देश में न उत्पादन बढ़ रहा है और न आय बढ़ रही है बल्कि भ्रष्टाचार और हर मामले में राज्य और अधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। न यहां समाजवाद बढ़ रहा है, न सामन्तशाही बढ़ रही है, न कोई चीज बढ़ रही है बल्कि यहां इस सब वाद की जितनी बुराइयां हैं उन सबका निचोड़ बढ़ रहा है। मैं आपकी सेवा में एक उदाहरण दूंगा, पूज्य महात्मा गांधी जिनकी कि तस्वीर यहां लगी हुई है उन्होंने कहा था कि मैं अनुमान नहीं कर सकता कि इस तरह से मंत्री लोग शक्ति को अपने हाथ में लेने की बात करेंगे। वह कहते हैं कि "मैं राज्य की शक्ति में वृद्धि को अत्यधिक चिन्ता की दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि यद्यपि प्रकटतः यह शोषण में कमी करके भलाई करता है तथापि वह समस्त उन्नति के मूल व्यक्तित्व को नष्ट करके मानव जाति का सबसे बड़ा अपकार करता है।"

आज राज्य अधिकारी इतने बढ़ रहे हैं कि उनको जनता के भलाई की कोई परवाह नहीं है। आज किसान की हालत भी दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। जिस तरह से शराब के नशे में आदमी अपने दुख को भूल जाता है उसी तरह से आज किसान पर कर्ज का बोझ दिन पर दिन लदता चला जाता है, वह आज उसको महसूस नहीं करता लेकिन जब उसको वह कर्ज अदा करना होगा तब किसान कंगाल हो जायगा। उस वक्त उनकी क्या दशा होगी इसका अभी कोई खयाल नहीं करता है।

सन् १९५८ के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति कर्जा ९१ रुपया आता है, वह कहां से पूरा होगा। जो बजट यहां इस वर्ष पेश हुआ है उसमें हम हर दिशा में निराशा ही देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी और अब तृतीय पंचवर्षीय योजना आ रही है और उसमें भी सहकारी फार्मिंग का बड़ा जोर है। कहा जाता है कि चौधरी चरणसिंह जी ने जो किताब "उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था में क्रान्ति" लिखी है उसको कहा जाता है कि वह उन्होंने निजी तौर पर लिखी है जब कि वह इन्फार्मेशन विभाग के द्वारा निकाली गई है। चौधरी साहब ने उसमें साफ लिखा है कि सहकारी खेती न कहीं कामयाब हुई है और न हमारे देश में कामयाब हो सकती है और उसके द्वारा एक अनिश्चितता पैदा की जा रही है। .... (व्यवधान) आगे वह लिखते हैं कि चूंकि लाभहीन जोत वाले हतभागे किसान सामूहिक खेती की नीति के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जायंगे। आज इसका नाम सहकारी खेती है, लेकिन आगे चलकर यही सामूहिक खेती होने वाली है। मैं जानता हूं कि चौधरी चरणसिंह जी देहाती प्राब्लम्स का अनुभव रखते हैं और हम सब से ज्यादा रखते हैं। साफ उन्होंने कहा है कि कोआपरेटिव फार्मिंग मिसनोमर है। अल्टीमेट एम इसका कलैक्टिव फार्मिंग है और उसके माने हैं स्टेटइज्म कायम होना। बजाय इसके कि हम किसी दूसरे देश के गुलाम हों, हम सरकार के गुलाम हों।

अतः मुझे कहना है कि जो बजट पेश है, जो बातें हमारे सामने आयी हैं वह बहुत ही निराशा-जनक हैं और सबसे बड़ी बात यह हो रही है हमारे देश में और खास कर इस प्रदेश में कि यह ऐसी दिशा में जा रहा है कि जो ईमानदार अफसर हमारे हैं वे थर्रा रहे हैं कि पता नहीं क्या काम हमसे अब आगे लिया जाने वाला है।

बस्ती में चुनाव हुआ, देवी जी जो जीत कर आयी हैं वे बैठी हुई हैं, अब इतनी हिम्मत लोगों की पड़ने लगी है, हम अधिकार के मद में अधिकारियों से इस तरह के नाजायज काम करा सकें, जिस वक्त चुनाव की घोषणा ४ बजे हुई कांग्रेसी उम्मीदवार ने दरख्वास्त दी कि मैं रिकाउन्टिंग चाहता हूं, सोचा कि रात बीत जाय सुबह न जाने क्या हो जाय। मगर अभी ऐसे कलेक्टर मौजूद हैं जिसने कहा कि हम जरूर आपका हुक्म मानेंगे, मैं रिकाउन्टिंग कराऊंगा, मगर बोरे बाहर नहीं जाने दूंगा, इसी क्षण, इसी समय काउन्टिंग शुरू करा दूंगा। मगर यह शर्त उनके लिये बेकार थी, क्योंकि उसमें बेईमानी करने का अवसर उनको नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मकसद उनका कुछ दूसरा था। इसलिये उन्होंने अपनी दरख्वास्त को वापस कर लिया। तो आज इस तरफ लोगों की निगाहें जा रही हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसा रास्ता निकालें जिससे जिनके हाथ में देश का भाग्य

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

हो, जो हमारे कर्णधार हैं, उनका नाम कायम रहे, कालिमा न लगने पाये कि समाजवाद के नाम पर देश को गलत रास्ते पर ले जाने वाले थे।

इन शब्दों के साथ में कहता हूं कि यह बजट बिलकुल निराशाजनक है, भयावह है।

**श्री बृजभूषणशरण** (जिला देहरादून)—अध्यक्ष महोदय, हम कल से इस बजट पर सामान्य वाद-विवाद को बड़े गौर से सुन रहे हैं। अभी जो माननीय नेता स्वतंत्र दल भाषण दे रहे थे उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि सामान्य विवाद न होकर कुछ इलेक्शन पेटीशन्स के मुताल्लिक बातें ज्यादा हो रही हैं। मैं आपसे बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं इस सदन की यह परम्परा रही है कि जो मामले सब-जुडिस हों या होने वाले हों उनकी चर्चा सदन में नहीं करते। परन्तु फिर भी मैं देख रहा हूं बड़े लाइसेंस और लिबर्टी के साथ चुनाव के व्यक्तिगत मामले इस सदन में उठाये जा रहे हैं बगैर यह जाने हुए कि उनके मुताल्लिक कोई इलेक्शन पेटीशन हो गई है या वह मामला सब-जुडिस हो गया है।

बहरहाल, राजा साहब ने बड़े आंसू बहाये काश्तकारों की हालत के बारे में कि उनकी कमर टूटी जा रही है, कर्जे से लदे जा रहे हैं। मुझे ताज्जुब है वह क्यों नहीं मानते कि हम लोग सोशलिज्म की तरफ किस तेजी से जा रहे हैं, इतने बड़े-बड़े राजा काश्तकारों के लिये आंसू बहाने लगे। यह सबूत कम नहीं है कि हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं।

हम लोग जब छोटे थे तो गांव में सावन के महीने में औरतें गीत गाया करती थीं वह मुझे याद आ गया, जो आपकी आज्ञा से सुना दूं—

हल जोत के बलमा यों ही मरे,
नाज तो ले गये राजा बुध सिंह,
भुस को चन्दर भान खड़े।

चन्दर भान उनके कारिन्दा थे। मतलब यह कि जो रियासतें थीं तो काश्तकारों का नाज तो राजा ले जाते थे और बचा हुआ भुस कारिन्दा ले जाते थे। आज वही राजा लोग काश्तकारों की दुहाई दे रहे हैं तो हम सोशलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं? मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बजट भाषण के लिये बधाई देता हूं इसलिये कि कई साल बाद एक स्वास्थ्यप्रद, एक तुलनात्मक स्पीच के साथ बजट भाषण सुनने का मौका मिला। बीच-बीच में पानी नहीं पिया गया, फटक-फटक कर बोला नहीं गया। मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिये भी बधाई देता हूं कि कितनी जल्दी इस विभाग का भार संभालते ही उन्हें बिक्रीकर विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी सहानुभूति हो गई और उनके सेलेक्शन ग्रेड का खयाल आ गया। अफसोस यह है कि वित्त मंत्री जी को उन कर देने वालों का खयाल नहीं आया जो मुसीबत में पड़े हुये हैं और जिन्हें इस बिक्रीकर कानून की वजह से मजबूरन बेईमानी करनी पड़ रही है। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा और अगली मर्तबा और ज्यादा बधाई दूंगा अगर वह अपने बजट में या कानून में कुछ इस तरह की व्यवस्था करें कि जो बिक्रीकर देने वाले हैं उनकी हालत की तरफ भी कुछ गौर किया जाय।

आप दुहाई दिया करेंगे कि बिक्रीकर आइटम-आइटम पर अलग-अलग कर है। हर प्रदेश में अलग-अलग कर हैं। बड़े-बड़े लोग तो मुनीम रख सकते हैं, हिसाब-किताब रख सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे दूकानदार एक-एक आने, दो-दो आने की पकोड़ी और जलेबी बेचने वाले किस प्रकार मुनीम रखें। थोड़ी बिक्री वालों की बात वह कहते हैं उसको आपके बिक्रीकर अधिकारी मानते नहीं, मनमानी टैक्स लगा देते हैं। तो आप बतलाइये कि गरीब आदमी को बचाने के लिये क्या कर रहे हैं? आप उनसे उतना ही कर वसूल करिये और राजस्व के कोष में किसी तरह की कमी न कीजिये लेकिन बजाय बिक्री कर के एसेस कर के लाइसेंस फीस मुकर्रर कर दीजिये और इस तरह से जितने लाख रुपये आप चाहते हैं वसूल हो जायेंगे। सेल्स

टैक्स के बजाय कोई दूसरा तरीका बना लीजिये । प्रोडक्शन टैक्स लगा दीजिये और सीधे फैक्टरीज से वसूल कर लीजिये । या चुंगी पर जैसे टर्मिनल टैक्स और आक्ट्राय वसूल कर लेते हैं, उसी तरह से इसे वसूल कर लीजिये । हिसाब किताब का झंझट और अपील वगैरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार पूरा रेवेन्यु वसूल होगा, बल्कि ज्यादा होगा और वसूलयाबी का खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा ।

सेल्स टैक्स जिस वक्त लगाया गया था मुझे याद पड़ता है उस वक्त सदस्यों से कहा गया था, चूंकि प्राहिबीशन लाना है और प्राहिबीशन लाने में जो इतना बड़ा नुकसान रेवेन्यु का होने वाला है उसे पूरा करने के लिये यह कर लगाने की जरूरत है । प्राहीबीशन तो आया नहीं लेकिन सेल्स टैक्स स्थायी हो गया । मैं सेल्स टैक्स के कर को हटाने के लिये नहीं कहता । आप इतना ही सेल्स टैक्स लगाइये । ११ करोड़ के बजाय १२ अथवा १४ करोड़ कर लीजिये लेकिन कुछ सुविधायें दीजिये । केन्द्रीय सरकार ने टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन नियुक्त किया । उसने कुछ इस तरह की रिपोर्ट दी और कुछ इस तरह की सिफारिशें कीं कि छोटे छोटे टैक्स देने वाले जो कुछ अपना हिसाब-किताब दे दें उसे मंजूर कर लिया जाय और अगर किसी केस में पूरे सबूत के साथ पता चल जाय कि हिसाब किताब गलत था तो उसे प्रासिक्यूट किया जाय और उसे सजा दी जाय । इसी तरह से बिक्री कर को मुतालिक कर लिया जाय । इससे छोटे-छोटे दूकानदारों को राहत मिल जायगी । उनके लिये कुछ इस तरह से मुकर्रर कर दिया जाय कि जिनकी आमदनी ७ हजार या १० हजार सालाना होगी कि वह एसेसमेंट के लिये जो हिसाब किताब देंगे उसे आप मंजूर कर लेंगे और किसी पुख्ता सबूत के ऊपर यह पता चल जाता है कि यह हिसाब-किताब गलत है तो उसे प्रासिक्यूट कर लिया जाय । उनके ऊपर मुकदमा चलाइये, उन्हें जेल भेज दीजिये । लेकिन जिस तरह से यह काम चल रहा है इसमें छोटे-छोटे आदमी पिस रहे हैं । तो यह समाजवाद की तरफ कदम नहीं है ।

मैं एक चीज मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं । आपने बजट में बड़े गर्व के साथ कहा है, ऐसा मुझे लगता है आपके कहने के तरीके से कि आपने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण तब्दीलियां की हैं । उसमें कहा यह गया है कि सदन को यह जान कर बड़ी खुशी होगी कि ५,००० रुपये से बढ़ा कर ६,७५० रुपये मैक्सिमम पेंशन कर दी गयी है । यह हमें कौन से सोशलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं ? क्या जिनको यह पेंशन मलेगी वे दो तीन, चार सौ रुपये तनख्वाह पाने वाले होंगे ? क्या यह फायदा आपने उन बड़े-बड़े अधिकारियों को नहीं दिया है जो पहले ही काफी बचा लेते होंगे अपनी नौकरी के जमाने में ? और फिर आप नाराज होने लगते हैं जब उधर के बैठने वाले यह कहते हैं कि आप अफसरों के कहने पर चलते हैं ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य का भाषण इस सदन में ऐसा जान पड़ता है कि वह दो आदमियों की बातचीत है ।

श्री अध्यक्ष —(श्री बृजभूषणशरण से) आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री बृजभूषणशरण—अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त को इस वजह से व्यक्तिगत बातचीत मालूम हुई होगी क्योंकि मैं गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला नहीं रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्रता से यह निवेदन कर रहा था कि माननीय वित्त मंत्री जी ने उसी सांस में एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ली व रूल्स के रिवीजन की बतलायी और फरमाया कि अब बजाय ३ साल के १० महीने की ऐवरेज पे के हिसाब से छुट्टी दी जायगी । अब कोई चपरासी तो असिस्टेंट सेक्रेटरी की जगह आफिशियेट करता नहीं है जो तीन महीने की छुट्टी लेगा तो उसकी तनख्वाह पर असर पड़ेगा । ज्यादातर बड़े-बड़े लोगों पर ही इसका असर पड़ेगा । कमिश्नर साहब छुट्टी पर जायेंगे तो डिप्टी कमिश्नर साहब आफिशियेट करेंगे और डिप्टी कमिश्नर साहब की जगह पर कोई सीनियर डिप्टी कलेक्टर आफिशियेट करेगा । तो बजाय तीन साल के १० महीने के ऐवरेज से मोटी-मोटी तनख्वाह पाने वालों को ही

[श्री बृजभूषणशरण—]

फायदा होगा । फर्ज कीजिये एक आदमी ५०० रुपये तनख्वाह पा रहा है और उसे ७०० रुपये पर आफिशियेट करने का मौका मिला । इस परिवर्तन से उसका रवैया यह होगा कि आफिशियेट करने के तुरन्त बाद वह तीन महीने की छुट्टी ले लेगा । ५०० रुपये के हिसाब से ७ महीने की तनख्वाह हुई ३,५०० रुपये और ३ महीने की हुई २,१०० रुपये ७०० रुपये के हिसाब से तो ५,६०० रुपये की तनख्वाह पर १० महीने की ऐवरेज तनख्वाह ५६० रुपये होगी जबकि उसकी तनख्वाह केवल ५०० रुपये है । यानी ६० रुपये माहवार का उसको फायदा होगा । फिर उसे काम करने की क्या जरूरत है । रिवर्ट होने के बाद वह तीन महीने की छुट्टी ले लेगा तो हर काम इस तरह से चलाया जा रहा है कि काम न करने पर ज्यादा इनाम मिले और काम करने पर कुछ न मिले ।

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री जी के भाषण से बड़ा रुदन मालूम पड़ता है कि हमारे प्रदेश की प्रगति बिजली की कमी की वजह से रुकी जा रही है । इसका कौन जिम्मेदार है ? जब सन् ५७ में हम यहां आ कर बैठे थे उसी वक्त यह कहा था कि प्रदेश में बिजली की कमी से गाजियाबाद की इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान हो रहा है । उस वक्त बड़े जोर से यह कहा गया था कि हम घरों में बिजली के लट्टू बन्द कर देंगे लेकिन इंडस्ट्री को स्टार्व नहीं होने देंगे । लेकिन लट्टू वट्टू तो कहीं नहीं बन्द हुये, हां, इंडस्ट्री स्टार्व हो गयी । जिन लोगों के हाथ में बिजली पिछले १०–१२ साल से थी वे ऐसा मानते हैं कि बिना बिजली बढ़ाये हुये ही जब तरक्की मिल सकती है तो बिजली बढ़ाने की जरूरत क्या ।

मैं कुछ और बजट आइटम्स सदन के सामने रखना चाहता था परन्तु समयाभाव के कारण दो ही एक बातें और कहना चाहता हूं । डिप्रेस्ड क्लासेज और बैकवर्ड क्लासेज पर बहुत रुपया खर्च हो रहा है और होना भी चाहिये । यह भी जायज चीज है लेकिन मैं एक बात नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखा लोग भी सोशली, एजूकेशनली और एकोनामिकली बैकवर्ड लोग हैं इसलिये उन्हें भी औरों की तरह से बैकवर्ड की श्रेणी में ले लिया जाय ।

एक बात और कहना चाहूंगा । एक अजीब चीज इसमें देखने को मिली है कि ग्वालों और चरवाहों की अब ट्रेनिंग होगी । क्या सोचा गया । एक हफ्ते के अन्दर उनको क्या ट्रेनिंग होगी ? इससे तो बेहतर होता कि आप ड्राइवरों को ट्रेनिंग देते जिससे बद्रीनाथ की सड़क पर घाटियों में बसें न गिरतीं । इतना स्किल्ड काम मोटर ड्राइवरों का है लेकिन उनकी ट्रेनिंग के लिये कहीं कोई स्कूल नहीं है जिससे डिप्लोमां प्राप्त ड्राइवर्स रखे जा सकें । लेकिन वह न करके आपको खूब सूझी कि ग्वालों और चरवाहों की ट्रेनिंग होगी । जिनके दिमाग से यह स्कीम निकली होगी उनकी भी वित्त मंत्री के साथ हमारी बधाई पहुंचे ।

ला कमीशन आपने बनाया इसलिये कि हमारे लाज और कानूनों को हमारे सोशल और एकोनामिक कंडीशन्स के अनुरूप बनाया जा सके लेकिन उसमें ऐसे लोगों को रखा गया है जिन्हें इस प्रदेश और देश के सोशल और एकोनामिक कंडीशन का ३०–३० और ३२–३२ वर्ष से पता नहीं है । अगर आप उनके स्थान पर ला कमीशन में रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज रखते, उसको उसका प्रेसीडेंट बना देते और लीगल रिमेम्बरेंसर को उसका सेक्रेटरी बना देते, दो एक सोशल वर्कर्स रखते तो अच्छा बोर्ड बनता ।

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बजट पर मुझे अपने विचार रखने का समय दिया ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि बजट के सिलसिले में मुझे वित्त मंत्री की तकरीर सुनने का मौका मिला, पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों की भी बातों को सुनने का मौका मिला, उसके बाद बजट को देखने और जनता पर उसकी प्रतिक्रिया भी जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मुझे इस बात की खुशी है कि सरकारी

पक्ष के हमारे माननीय सदस्यों ने बजट के राजनीतिक चरित्र के लिये हम लोगों को यह दावत दी है कि जो बजट समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना के लिये पेश है, उस पर बातें करें। मैं उनकी इस दावत को कबूल करता हूं। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री काशी विद्यापीठ के स्नातक रहे हैं और उसी का मैं भी स्नातक रहा हूं। समाजवादी समाज की ओर कदम बढ़ाने के लिये कुछ बुनियादी फैक्टर्स होते हैं। इस कसौटी पर जब हम इस बजट को तोलकर देखने की कोशिश करते हैं तो मुझे नाउम्मीदी होती है। समाजवादी समाज की ओर बढ़ने के पांच करेक्टर्स होते हैं। पहला मेहनतकश तथा तुलनात्मक रूप से कम सम्पन्न जनता पर करों का भार घटते जाना, दूसरा, सम्पन्न तथा शोषक वर्गों पर करों का भार बढ़ते जाना, तीसरा, बजट के अन्तर्गत आय तथा व्यय के रकमों का लगातार बढ़ते जाना, चौथा राष्ट्रीयकृत उद्योगों व सरकारी सेवाओं से बढ़ती हुई आय पर अपने को अधिकाधिक आधारित करना। और पांचवां जिन वर्गों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है और जिनके कंधे मजबूत हैं उन पर टैक्सों का बोझ डालना। अब बजट में जो दिशा है उसको इन कसौटियों की बुनियाद पर जब देखने की कोशिश करता हूं तो उसमें ६-७ बातें आयी हैं जिनके कारण मुझे बड़ी मायूसी हुई है। हमारे देश का, हमारे प्रदेश का और उसके अन्दर भी विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो पिक्चर है जहां के हम लोग रहने वाले हैं और जहां के वित्त मंत्री भी हैं, जब उस पिक्चर को मैं देखता हूं तो दो तरीके मेरी समझ में आते हैं बजट को देखने का। एक तो क्षेत्रीय आधार पर और दूसरे उसके राजनीतिक चरित्र पर। जब राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ था तो उस समय उत्तराखंड वालों के लिये कुछ कहा गया था। मैं उत्तराखंड के लोगों को बधाई देता हूं और मुझे उनसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है लेकिन वित्त मंत्री जिस इलाके से चुनकर आये हैं वह इलाका पूरे प्रदेश में पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस बजट में उस इलाके के लिये कुछ भी नहीं कहा गया है और अगर कहा भी गया है तो बहुत मामूली तौर से कहा गया है।

राजस्व प्राप्ति के सोर्सेज जो समाजवादी समाज में होते हैं, जो आमदनी की मदें होती हैं उनकी जगह पर इसमें साधारण जनता पर टैक्सेज लगाये गये हैं जिन्हें मैं आगे चल कर खोलूंगा। दूसरी बात यह है कि राज्य के औद्योगिक विकास के लिये निर्धारित धनराशि कम खर्च करके वापस कर दी गयी है। तीसरी बात यह है कि १३ करोड़ ३५ लाख घाटे का बजट बनाया गया है, चौथी बात यह है कि टैक्सों की बढ़ोत्तरी की गयी है और पुलिस और प्रशासन पर व्यय अधिकाधिक किया गया है। पांचवां है औद्योगिक विकास और कृषि सुधार और शोध कार्यों पर कम व्यय किया गया। छठवां निम्न और मध्यमवर्गीय कर्मचारियों की आशाओं पर पानी फेर कर चन्द बड़े-बड़े अधिकारियों की तनख्वाहों में बढ़ोत्तरी की गयी है और सातवां यह है कि पिछड़े हुये इलाकों की तरफ इस बजट में कोई तवज्जह नहीं दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि कुछ आंकड़े हैं जिनकी रोशनी में वित्त मंत्री जी गौर करें। वे पूर्वी यू० पी० से आये हैं। उन्हें मालूम है कि वह क्षेत्र कितना त्रस्त है और उसी कारण और उसकी उपेक्षा से उस जिले में उनके ग्रुप के ३ लेफ्टिनेंट गिरे हैं। आप एक पवित्र संस्था के स्नातक रहे हैं, उस पवित्र संस्था के जहां से नयी रोशनी मिलती है और जब आपने समाजवादी समाज की तरफ बढ़ने का व्रत लिया है तब आपको उस रोशनी में जरूर कार्य करना चाहिये।

सन् १९६०-६१ में राजस्व से प्राप्ति का अनुमान था १३०.९० करोड़ रुपया लेकिन वास्तविक आमदनी १४८.३५ करोड़ रुपये हुई। मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह आमदनी कहां से आयी। सरकारी रोडवेज से ११५ लाख, सरकारी वनों की सम्पत्ति की बिक्री से १२८ लाख, बिक्री कर से ४०१ लाख, लगान से ९५ लाख, उत्पादन शुल्क से १९१ लाख वगैरह-वगैरह मदों से ज्यादा आमदनी हुई। सन् १९६१-६२ में राज्य उत्पादन शुल्क से १५६ लाख, बिक्री कर से ३३० लाख, सिंचाई कर से १७ लाख वगैरह-वगैरह वसूली ज्यादा हुई। वित्त मंत्री जी से मैं कहूंगा कि दूसरी तरफ १९६०-६१ में

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी की वास्तविक आमदनी अनुमानित आमदनी से ३२ लाख कम हुई । ६१–६२ में ६१ लाख कम हुई । गन्ना कर की वसूली की कमी से ६०–६१ में ११० लाख और ६१–६२ में ३८५ लाख की कमी हुई । ये हैं आपकी बजट में आमदनी के जरिये और उसके बाद आप कहते हैं कि हम समाजवादी समाज की ओर जा रहे हैं । आप तो समाजवाद के पंडित हैं, हमारे इलाके चमकते हुये रत्न हैं जिस पर हमारे इलाके को नाज है लेकिन आप वित्त मंत्री की हैसियत से जब बैठते हैं तो वास्तविक जगत को देखिये और वहीं से खड़े होकर बातचीत कीजिये । अगर आप वहां से वास्तविक तस्वीर को देखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आज आप जिस कुर्सी पर विराजमान हैं सन् ६७ में आपको उस कुर्सी पर बैठना मुबारक नहीं होगा । राष्ट्रीय सम्पत्ति की राज्य के औद्योगिक विकास के लिये निर्धारित धनराशि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थी उसमें ७७.३ प्रतिशत यानी ३६६ लाख ६४ हजार रुपये की धनराशि वापस चली गयी । किसकी जिम्मेदारी है उसको वापस भेजने की ?

दूसरी बात है राज्य प्लानिंग के कार्य में नये वर्ष में केन्द्रीय करों के अंश में २८३ लाख के व्यय में कमी अनुमानित की गयी है । मैं गाजीपुर के इलाके का रहने वाला हूं, वहां पर गंगा पर रेल रोड पुल के बारे में जो बात केन्द्रीय सरकार ने कही थी उस संबंध में कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश का उसके लिये कोई प्रपोजल नहीं है । इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? १३ करोड़ ३५ लाख घाटे का बजट है और बड़ी मासूमियत से माननीय वित्त मंत्री जी उसे पेश करते हैं और जब अपनी कांस्टीटुएन्सी में जाते हैं तो गांधी जी की दुहाई देकर जनता से वोट लेकर यहां आते हैं । जब से बजट पेश किया गया है तब से कहा जा रहा है और यह अफवाह है और यह बताया जा रहा है कि ५० प्रतिशत लगानों में बढ़ोत्तरी होने वाली है । पहले श्रीमन्, कमी का बजट पेश करते हैं, फिर टैक्स लगाते हैं और जनता से रुपया वसूल करते हैं और जब इनकी आमदनी बढ़ जाती है तो फिर वर्ष के अन्त में मुनाफा दिखाना और किफायतशारी की दुंदुभी बजाकर अपनी पीठ ठोकते हैं कि देखो हमने बचा लिया । इस तरह से काम चलने वाला नहीं है । टैक्सों के बारे में यह कहते हैं कि स्कीमें कैसे चलेंगी, विकास कार्य कैसे होगा ? लेकिन इसके भीतर मामला दूसरा है । श्रीमान्, बढ़े हुये टैक्सों का कारण योजनाओं के अन्तर्गत बढ़े हुये व्ययों का होना नहीं है बल्कि सरकारी प्रशासन पर खर्च करना है और विशेषकर पुलिस पर खर्च करना ।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस आदरणीय सदन के समक्ष शासकीय प्रशासन पर जो व्यय हो रहा उसके दो-तीन आइटम्स पेश करना चाहता हूं । १९६०–६१ में पुलिस पर वास्तविक व्यय १०.७० करोड़ रुपया व्यय किया गया और पूरे प्रशासन पर २१.९१ करोड़ रुपया व्यय किया गया । १९६१–६२ का बजट अनुमान पर १०.५२ करोड़ पुलिस पर और २४.५१ करोड़ प्रशासन पर और ६१–६२ के जो संशोधित अनुमान था ११.६३ करोड़ रुपया पुलिस पर और २६.३६ करोड़ रुपया प्रशासन पर और ६२–६३ में अनुमानित बजट है ११.६७ लाख पुलिस पर और २८.४५ करोड़ प्रशासन पर । इस प्रकार से योजनाओं के नाम पर, विकास के नाम पर और उनकी आड़ में इस चीज को छिपाने की कोशिश की जा रही है । कल हमारे मंत्री श्री बनारसी दास जी ने इलाहाबाद के गोलीकांड के ऊपर बड़े जोर शोर से कहा था और ऐसा मालूम होता था कि वे इस कांड के ऊपर इस्तीफा देने और इलेक्शन लड़ने की बात कहने जा रहे हैं ।

इसी प्रकार से श्रीमन्, एक तरफ तो औद्योगिक विकास और कृषि सुधार और शोध की योजनाओं पर बड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देखिये तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में औद्योगिक विकास पर ४६५ लाख रुपये कम रखा गया है और कृषि सुधार और शोध पर २८२ लाख रुपये कम का संशोधित अनुमान है । इस तरह से आप पुलिस पर और प्रशासन पर तो खर्चा बढ़ाते हैं और औद्योगिक विकास और कृषि सुधार तथा शोध की योजनाओं पर खर्चा कम करते हैं ।

श्रीमन्, आज हम से निम्न और मध्यम वर्ग के कर्मचारी पूछते हैं कि बजट में हमारे लिये क्या कहा गया है, पी० डब्लू० डी० का मजदूर पूछता है कि हमारे लिये क्या कहा गया है, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक पूछता है कि हमारे लिये क्या कहा गया है और चपरासी पूछता है कि हमारे लिये क्या कहा गया है और कानपुर के श्रमिक पूछते हैं कि हमारे लिया क्या कहा गया है? कानपुर का श्रमिक उपभोक्ता सूचक अंक के अनुसार ५७ में ४४८ व ६१ में ४८६ और दिसम्बर, १९६१ में ४९७ हो गया यानी ४९ अंक बढ़ गया। गरीब तबका तथा निम्न वर्ग के मुलाजिमों के लिये इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को बड़ा भारी दर्द सप्लाई आफिसर्स के लिये है जो ३०० से ४०० रुपये मासिक वेतन पाता है, बिक्री कर अधिकारी के लिये उनको दर्द है जो २५० से ८०० रुपये तक वेतन पाता है और कुछ सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों के लिये वे चिंतित हैं। लेकिन ३५ रुपये पाने वाले मजदूर के लिये उनको कोई चिन्ता नहीं है। पूरब में पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूर को वे ३५ रुपया देते हैं और पश्चिम में ४५ रुपया देते हैं। इस तरह की बातें हैं। श्रीमन्, मेरे दिल में बहुत-सी बातें थीं लेकिन समयाभाव के कारण नहीं कह सकता। जब कटौती का प्रस्ताव आयेगा तो उस सिलसिले में मैं बातें कहूंगा।

श्रीमन्, मुझसे पहले जो हमारे साथी बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा था कि बड़े छिछले आधार पर बहस की जाती है। मैं इस रूप में आंकड़े पेश कर के जो बुनियादी तत्व होता है समाजवाद की तरफ ले जाने का, सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों को दावत दे रहा हूं कि इन्हीं तर्कों, इन्हीं आधारों पर आप बजट को रखने की कोशिश करें। इसी के साथ-साथ जो दूसरे इलाके के भाई हैं वह यह मत समझें कि पूर्व वाले बड़ा चिल्लाते हैं। मैं दावत ता हूं, मेरे साथ पूर्व में चलें। मैं धन्यवाद देता हूं वहां की तरक्की और बढ़ोत्तरी करने के लिए। उतराखंड के भाई भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जब हम अपने पिछड़े इलाके के लिये कहते हैं, जिस इलाके के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में सीने पर गोलियां खायीं और देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, तो उस इलाके की तरफ़ हमदर्दी का रुख़ होना चाहिये। हमारे साथी रामसुन्दर पांडेय जी ने बताया कि पूर्वी इलाके का हरिजन गोबरहा खाता है। मैंने स्वयं देखा। जब मैं अपनी कांस्टीटुएंसी में दौरा कर के वोट मांग रहा था तो मुसहरों के यहां गया। मैंने देखा कि ताड़ की तड़िया पीट कर, बिया निकाल कर, गरम कर के रोटी बनायी जा रही थी।

**श्री अध्यक्ष**—आपका समय समाप्त।

***श्री लालबहादुर** (जिला जौनपुर)—आरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह जो १९६२ का बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का समय दिया। उसके बाद मैं अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बड़ी मेहनत से यह सोशलिस्ट पैटर्न का बजट पेश किया।

नेता विरोधी दल, दुबे जी की या स्वतंत्र पार्टी के नेता, राजा मनकापुर साहब की बातों से मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि जिस सिद्धान्त को वह प्रतिपादित कर रहे हैं वह सिद्धांत प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने के लिये चल रहा है। यह मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, वह उनके घोषणापत्र में लिखा हुआ था। उनकी बातों से मुझे आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जब मैं ऐसी बातें उन लोगों की सुनता हूं कि जिनको पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने का सिद्धान्त है, तब मुझे तकलीफ होती है। यह बजट १३ करोड़ ३५ लाख की डेफिसिट का बजट है। यही सोशलिस्ट पैटर्न का मापदण्ड है कि इस सरकार ने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया अपने सोशलिस्ट पैटर्न को चलाने के लिये। जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो एक चीज भूल जाते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल बहादुर]

कि यह प्लानिंग का युग है। सारी दुनिया में हर चीज नियोजित ढंग से चल रही है। उसी आधार पर हमारी सरकार भी नियोजित ढंग पर चलना चाहती है। आज संसार की इकोनामी एक दूसरे से इतनी बंधी हुई है कि अगर एक जगह से भी उसको डिस्टर्ब किया जाय तो सारी इकोनामी को लैप्स कर सकती है।

मान्यवर, मैं इस बजट को पूरे तौर से नहीं पढ़ पाया, केवल थोड़ा-ही हिस्सा पढ़ा। इसमें कुछ बातें ऐसी खूबी से लिखी गयी हैं जैसे डाक्टरों की बात है। इस सदन में बराबर चिल्लाहट होती थी कि फलां अस्पताल में डाक्टर नहीं है। उसका क्या कारण है? कहने को कुछ भी कहा जाय इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी लेकिन डाक्टर की ऐसी इसेंशल सर्विस है कि जिसको कोई इगनोर नहीं कर सकता है। अगर डाक्टर को आप अच्छी तरह से अलाउन्स नहीं देंगे तो शायद कोई डाक्टर देहात में रहना पसन्द नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी खूबी इसमें यह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि छः महीने के अन्दर जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं थे उनमें डाक्टर पहुंच जायेंगे और जनता को उनसे मेडिकल एड मिल सकेगी। क्या यह सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ एक कदम आगे नहीं है? पहले बड़े बड़े आदमियों को तो शहर में दवा मिल जाती थी लेकिन छोटे-छोटे आदमियों को और खासकर देहात में रहने वालों को जो लखनऊ मेडिकल कालेज, या वाराणसी मेडिकल कालेज या कानपुर मेडिकल कालेज में नहीं पहुंच सकते थे, उनको किसी प्रकार की चिकित्सा की सुविधा प्राप्त नहीं होती थी। अब उनको भी कुछ न कुछ दवा वहां मिल जायगी। यह भी एक पैटर्न हुआ सोशलिस्टिक रूप का।

कुछ बातें ऐसी भी है जिनसे कि जनता का थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन वह नियोजित ढंग की जो एकोनामी है उसको पूरा करने के लिये कहीं कहीं वैसे कदम भी उठाने पड़ते हैं। मैं आप लोगों से लेनिन के शब्द निवेदन करना चाहता हूं, उसने कहा है वन स्टेप फारवर्ड, टू स्टेप बैक। आज यह बड़ी तेज क्रान्ति का संक्रमण काल चल रहा है। उस काल में आप यह मत देखें कि हम किस रास्ते से गुजर रहे हैं। कहीं-कहीं कांटे भी पैरों में लग सकते हैं। वह कांटे ही होंगे कि कहीं कहीं हमें किसी मामले में कटौती भी करनी होगी। आखिर कोई टैक्सेशन की बात तो इस बजट की कापी में है नहीं, लेकिन शोरगुल मच गया, लीडरों का स्टेटमेन्ट भी हो गया, अखबारों की बातें भी हो गईं कि टैक्सेशन करने जा रहे हैं। कहीं कोई आभास इसका मिला नहीं, न वित्त मंत्री जी के इस छपे हुए भाषण में, न इस कापी में कि हम टैक्सेशन करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शोर मच गया। और टैक्सेशन की बात से आप घबड़ाते क्यों हैं? टैक्सेशन जो होता है वह वित्त मंत्री जी की पाकेट में तो जाता नहीं, या मुख्य मंत्री जी की पाकेट में तो जाता नहीं और न इधर के या उधर के सदस्यों की पाकेट में जाता है। मान्यवर, २०० रुपया इधर के सदस्यों को भी मिलेगा और २०० रुपया उधर के सदस्यों को भी मिलेगा। १० रुपया रोज इधर के सदस्यों को मिलेगा और १० रुपया रोज उधर के सदस्यों को भी मिलेगा। अगर टैक्सेशन होता है तो वह पब्लिक के फायदे के लिए ही होता है, पब्लिक के कामों के लिये ही होता है। यह मंत्रिमंडल जो है यह पब्लिक के कामों के लिये एक ट्रस्टीशिप सा है। ट्रस्टी का जो काम है वह तो यही है कि जनता के फायदे के लिये जिस तरह से काम कर सके उस तरह से करे। तो आज की समस्या यह नहीं है। आज की समस्या तो यह है कि प्रदेश को किस तरह से ऊपर की ओर ले जाया जाय। कहा जाता है कि प्रदेश आगे बढ़ा नहीं। १५ अगस्त, सन् ४७ से देख लीजिए कि कितने ट्यूबवेल लगे, कितनी नहरें खुदीं, कितने अस्पताल खुले, क्या-क्या नहीं हुआ, कितने किस्म की तनख्वाहें बढ़ाई गईं। सन् १९४१, ४२ से लेकर सन् ४७ तक अंग्रेज यहां थे, आज कितना चिल्लाया जाता है कि छोटे कर्मचारियों को कोई बढ़ोत्तरी नहीं दी गई, कोई पदोन्नति नहीं की गई, कितनी पदोन्नति वह करते थे? केवल आपका ही राज्य जब आया तो इतना बड़ा रिस्क लेकर इतना काम किया गया। तो एकोनामी कहीं बाहर से तो नहीं लायी गई। एकोनामी तो यहीं डेवलप की गई। और अगर कहीं बाहर से लायी गई तो उसको देना भी तो पड़ेगा। जो लोग अवमूल्यन को समझते

हैं, वह जानते हैं कि जो चीज आप बाहर से कहीं से लेते हैं वह आपको देनी भी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है कि जो आप कहीं से लेते हैं, वह आपको देनी न पड़े।

मान्यवर, मुझे दो एक सुझाव इस पर देने बाकी हैं। सप्लाई आफिसरों की तनख्वाह दस जिलों में बढ़ाकर २५०—८०० कर दी गई। मैं यह समझता हूं कि उनका अगर पी०सी०एस० कैडर कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि जब अंग्रेजों नें सप्लाई आफिसर रखे तो पी० सी० एस० के लोग ही सप्लाई आफिसर होते थे न कि सप्लाई आफिसरों का रिक्रूटमेंट अलग से कोई वह करते हों। तो अच्छा होता कि इन दस जिलों में पी० सी० एस० का कैडर रख दिया जाता। २५० से ८५० तो उनकी तनख्वाह है ही। उसमें कोई एतराज नहीं होता। यह कर देते कि इन-इन जिलों में पी० सी० एस० होंगे और इन-इन जिलों में सेलेक्शन से आने वाले सप्लाई आफिसर होंगे।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा और उस चीज से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, जब कि अंग्रेजों का जमाना था और हम लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे उस समय अगर कोई नोटिस बिना प्रेस के निकाल देता था तो सारे सूबे में हाय तोबा मच जाता था। आज मैं देखता हूं कि बहुत से लोग बिना प्रेस के नोटिस निकाल देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं है।

एक जगह इसी बजट में कहा गया है कि फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार में कुछ कैदी ऐसे छूट गये हैं जो गलत मुहर लगाकर छोड़े गये हैं। मेरी समझ में यह बात बड़ी निकम्मी सी मालूम होती है। मुझे क्षमा किया जाय यह कहने के लिये कि गलत मुहर लगाकर यदि जेल से कैदियों को छोड़ा जाता है तो आखिर यह क्या है? अगर यह निकम्मापन नहीं है तो क्या है? बल्कि यह निकम्मापन नहीं है यह हमारी कार्यप्रणाली है जो हमारे और आपके ढीलेपन का सबूत है। यह हमारी ढील है कि हम उस चीज को करने में सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं।

इस बजट के अन्दर ३, ४ चीजों को बड़ी खूबी के साथ कहा गया है। उसको हमें ईमानदारी के साथ कबूल करना चाहिये। हम लोगों को उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिये। मेरी समझ में जो बातें नहीं आईं वह मैंने सदन के सामने रख दीं। उसी तरह से उधर के बैठने वालों को भी उनको बतलाना चाहिये की जो अच्छी चीजें हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। सही बात सदन के सामने आना चाहिये। यदि सही बात सदन के सामने नहीं आतीहै तो यह दोष है। अगर इस बजट के अन्दर टैक्सेशन की बात हो जाती तब तो हमारी समझ में यह बात आती कि बजट को बढ़ाकर टैक्सेशन कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को नहीं किया गया है। दूसरी बात यह कि किसी किस्म की एफिशियेन्सी में भी कमी नहीं आई। जितना काम अभी तक हुआ है उससे अधिक हम आगे करने जा रहे हैं। यह नहीं कि उससे कम काम कर रहे हों और जो काम हुआ है उसके लिये कह दिया जाय कि बहुत काम हो गया या सन्तोष उससे ही कर लिया।

जहां तक तनख्वाहों को बढ़ाने का सवाल है उनके बढ़ाने या घटाने से एफिशियेन्सी में कमी नहीं आती है। एफिशियेन्सी में कमी तो उस समय आती है जब हमारी कार्यप्रणाली में कोई त्रुटि या रुकावट पैदा हो जाती है। जैसे कि हमारे यहां की जुडिशियरी है। आज हमारी जुडिशियरी शायद दुनियां की किसी भी जुडिशियरी से अच्छी है। हमारी पुलिस भी आज हिन्दुस्तान की सारी पुलिस से अच्छी है। वह इसलिये कि हमारी पुलिस को जहां कहीं भी बाहर के प्रदेशों में भेजा गया है वहां पर उसने अच्छा काम किया। जहां पर भी जरुरत हुई वहां पर हमारी पुलिस को ही भेजा गया। बार्डर पर यदि हमारी आवश्यकता हुई तो वहां पर भी हमारी पुलिस को ही भेजा गया है। जब स्टेटस का मर्जर हुआ तो हमारी पुलिस ने ही जाकर वहां पर चार्ज टेक ओवर किया था। इसलिये यह बात नहीं है कि हमारी पुलिस निकम्मी है या हमारी जुडिशियरी निकम्मी है। हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान का हृदय है। इसलिये इन मामलों में हम सब को एक होना चाहिये। यहां पर आपस में हम भले ही कोई डिस्कशन कर लें

[श्री लालबहादुर]

लेकिन बड़े-बड़े मामलों में आपस में हमको एक राय का होना चाहिये। हमारा पिछले सदन का यह अनुभव है कि जब जब यह यहां पर बड़े मसले पैदा हुए तो हम उधर के बैठने वाले और इधर के बैठने वाले सब एक राय के हो गये। इसलिये आज ऐसी दिक्कत कोई नहीं पड़ रही है। आजकल यह नियोजित का युग है जिसमें नियोजिन चल रहे हैं। इसमें हम कोई ऐसा कदम न उठने दें जो कि हमारे नियोजन के बिपरीत जाता हो।

तीसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि आजकल नाप तौल की एक नई प्रणाली चालू की गयी है जिसको मैट्रिक प्रणाली कहते हैं। उस प्रणाली से लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि सैकड़ों और हजारों वर्षों से मन सेर और छटाक का हिसाब वह लगाते आये हैं। उसको मैं ही खुद नहीं समझता हूं कि किलोग्राम और मैट्रिक टन क्या है। शहर के लोग तो यह नाप समझ भी लें, लेकिन जो देहात का छोटा दुकानदार है, उसके सामने बड़ी कठिनाई और बड़ी दिक्कत है। वह उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जितने समय में उसे पूर्ण रूप से लागू होने की बात कही गयी है, उस समय की सीमा में वृद्धि होनी चाहिये। कुछ अधिक समय लोगों को दिया जाय ताकि वे ट्रेन्ड हो जायं और इस प्रणाली को अच्छी प्रकार से समझ लें।

इसके अतिरिक्त कलेक्शन के नायब तहसीलदारों को रेगुलर तहसीलदारों में। कनवर्ट किया जा रहा है यह नायब तहसीलदार १९५७ के हैं और इनमें से कुछ अमीनों में से आये हैं और कुछ डाइरेक्ट आये हैं। जो नायब तहसीलदार रेगुलर सर्विस से आते हैं वे एफीशियेन्ट समझे जाते हैं। आप जो ३ साल का प्रशिक्षण कलेक्शन के नायब तहसीलदारों को दे रहे हैं मैं उसे आवश्यक नहीं समझता हूं कि उनको ज्यों का त्यों रहने देना चाहिये और अगर एफीशियेन्सी में कमी है तो नायब तहसीलदारों को और बढ़ा दीजिये, लेकिन इस कैडर को मिक्स कर देना इस केडर के लिये हितकर नहीं होगा। बस, मुझे इतना ही कहना है।

श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, बजट के इस सदन में पेश होने के पहले प्रान्त के निवासी कुछ ऐसी आशा मन में लगाये बैठे थे कि हमारे वित्त मंत्री के कोमल व उदार स्वभाव के कारण उन्हें अपनी दैनिक जीवन की परेशानियों और कठिनाइयों में किसी हद तक राहत अवश्य मिलेगी, लेकिन उनकी वह आशा पूरी नहीं हुई और अपनी आशाओं के विपरीत उनके भाषण में साफ तौर से नहीं तो इस बात का संकेत भी उनको मिला कि अभी तो उनके ऊपर कर का बोझ और बढ़ने वाला है। अभी एक माननीय सदस्य ने, जो हरदोई जिले से आये हैं, बड़े विश्वास के साथ कहा कि कोई टैक्स नहीं लगने जा रहा है। मैं अपनी तरफ से तो क्या सारे प्रान्त की संपूर्ण जनता की ओर से उनको धन्यवाद दूंगा अगर ऐसा हो, लेकिन मुझे डर है कि उनकी जानकारी शायद पूरी नहीं है। अभी अखबारों में और वैसे भी आम चर्चा है कि टैक्स और बढ़ेगा और वह गरीब किसान पर पड़ेगा। मैं सरकार से बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि ऐसा करना एक बड़ा बमशेल फेंकने के समान होगा। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी सलाह दी है कि हमें अपनी भावी संतति के सुख और सम्पन्नता के लिये क्या करना चाहिये। सलाह अच्छी है, नेक है क्योंकि हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह समाज के लिये और देश के उत्थान के लिये अपना योगदान दे, त्याग करे, लेकिन जो रोटी कपड़े से दुखी हैं, जिनका पेट खाली है उनसे त्याग की आशा करना और उन्हें त्याग की नसीहत देना उचित नहीं मालूम होता। उनको सब प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। उनकी रोटी कपड़े का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये। जिनके हाथों में शासन की बागडोर है उनकी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति के लिये वे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवा दारू का प्रबन्ध करें मेरी राय में यह बात प्रत्यक्ष है कि देश में बहुत थोड़े से आदमियों को छोड़कर जन साधारण की परिस्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है और वे वहीं हैं जहां पर वे पहले थे। हर साल आंकड़ों को पेश करके सरकार यह साबित करती है कि प्रदेश की आमदनी बढ़ रही है। सरकार की तरफ से जो पुस्तिका बटी

है उसमें लिखा है कि १६ प्रतिशत फी व्यक्ति की आमदनी बढ़ी है। अगर उनकी बात को ही सही मान लिया जाय तो आमदनी को देखते हुए जो रोजमर्रा की जरूरत के इस्तेमाल की चीजें हैं उनमें महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है उसको भी देखा जाय और उससे उसकी तुलना की जाय। इस तरह से अगर देखा जाय तो पता चलेगा कि कोई राहत आम जनता को नहीं मिली है और हर आदमी परेशानी महसूस करता है।

माननीय माल मंत्री जी ने किसानों की माली हालत को साइकिलों से जोड़ा। यह बात सही है कि साइकिलें देहातों में पहुंच गयी है और उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि साइकिल एक गरीब की सवारी है, अमीर, खुशहाल आदमी की नहीं। हमारे यहां एक कहावत है कि जो गरीबी की निशानी है उसमें यह साइकिल भी है। जो खुशहाल आदमी देहात में होगा वह साइकिल क्यों खरीदेगा? वह तो घोड़ा खरीदेगा, अच्छे बैल खरीदेगा, लेकिन आजकल उनकी कीमत इतनी बढ़ गयी है कि एक घोड़े की बजाय १० साइकिलें और एक बैल की बजाय ५ साइकिलें खरीदी जा सकती हैं। जब किसान इनको नहीं खरीद पाता, तब वह साइकिल खरीदता है। साइकिल के लिये तो सड़कें भी नहीं बनानी पड़तीं। अगर माननीय माल मंत्री जी यह मानते हैं कि साइकिलें बढ़ी है तो वे किसी दिन हजरतगंज में जाकर देखें कि कितनी मोटरें एक मिनट में इधर से उधर पास होती हैं और फिर उनकी संख्या से साइकिलों की संख्या की तुलना करें और देखें कि यह समानता है या असमानता है। अगर साइकिलें बढ़ी हैं तो मोटरें भी बढ़ी हैं। समाजवाद के तो मानी यह है कि आज जो विषमता है वह मिट रही है या नहीं। गांव में कुछ असमानता जरूर मिटी है मगर वह नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नहीं, गरीब आदमियों में मिटी है, ऊपर की तरफ, अमीरों में नहीं। जो देहात के रहने वाले होंगे वे मेरी इस बात से सहमत होंगे। हमारे सारे देश की इकोनामी खेती पर निर्भर है। हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार खेती ही है क्योंकि यहां की ८० फीसदी जनता खेती पर ही निर्भर रहती है। और हमारे देश की जो आय है उसका आधा हिस्सा खेती से प्राप्त होता है। खेती सफल होती है तो हमारी अर्थ-व्यवस्था सफल होती है और अगर खेती असफल होती है तो पूरी अर्थ व्यवस्था असफल हो जायगी। हमारा इरादा है कि हर व्यक्ति के स्टैंडर्ड आफ लिविंग को हम ऊंचा करें। यह उद्देश्य तभी पूरा होगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन न बढ़ने से किसान की क्रय शक्ति नहीं बढ़ती जिससे उद्योग धंधे भी जो लगाये जायंगे वह भी पनप नहीं सकेंगे क्योंकि जो चीजें बनेंगी उनको खरीदने के लिये उपभोक्ता, जो किसान है उसकी क्रय शक्ति चाहिए। हर दृष्टि से आवश्यक है कि प्रदेश में खेती का प्रोडक्शन बढ़े। वित्त मंत्री के भाषण में इससे संबंधित केवल एक गांव का जिक्र आया है और बड़े गर्व से उसका नाम लिखा गया है। १५ साल के अन्दर बड़ी कोशिश के साथ सरकार एक गांव पेश कर सकी जिसका प्रोडक्शन बढ़ गया है जहां कि सारे प्रदेश का बढ़ना चाहिये था। सरकारी फार्म जो आपके हैं, जरा उनको देखिये। मैं पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में था, मुझे मालूम है कि आपके कृषि फार्मों में लाखों रुपये का घाटा था। जहां इतने विशेषज्ञ हैं पूरे रिसोर्सेज है और बड़े बड़े अग्री-कल्चर के पंडित हैं, वहां फार्म में घाटा था। जब आपके फार्मों में घाटा है तो आप किसान से पैदावार बढ़ाने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं जिसकी कोई जानकारी अपनी पैदावार बढ़ाने के बारे में नहीं है। जो आफिसर जाते हैं वह दफ्तर में बैठे रहते हैं। आज बी० एल० डब्लू० किसान के पास नहीं जाता। मैं खेती करता हूं, मेरे पास बी०एल० डब्लू कभी नहीं आता कि बताये कि इस तरह से खेती करो। यह आपकी नीति कितनी गलत है।

सरकार की एक किताब में लिखा है कि १० साल तक यह सरकार रोजाना ४३ हजार रुपया विकासों पर खर्च करती रही। इतनी बड़ी रकम से तो नक्शा बदल गया होता अगर वह सही तरीके पर खर्च होती। पैदावार के लिये पानी की बड़ी जरूरत है सरकार उसका इन्तजाम आज तक नहीं कर सकी। पहली पंचवर्षीय योजना में साढ़े पैंतीस करोड़ खर्च किया और २० लाख एकड़ जमीन की आबपाशी बढ़ाई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३८ करोड़ खर्च किया और २१ लाख एकड़ जमीन की आबपाशी बढ़ाई। इस तरह से ४१ लाख एकड़ जमीन की

[श्री शिवदानसिंह]

आबपाशी ७३ करोड़ ५२ लाख के करीब खर्चा करके कर सकी। इसमें ओवरसीयर और इंजीनियरों की तनख्वाह अलग होगी। अगर उसको मिलाया जाय तो सरकार १ अरब पये में ४१ लाख एकड़ जमीन की आबपाशी कर सकी। बिना आबपाशी के पैदावार बढ़ नहीं सकती....

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट में १३.३५ करोड़ रुपये का घाटा देख कर विरोधी दल के सदस्य कुछ आतंक की सृष्टि कर रहे हैं और सदन को इस निष्कर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति खतरनाक है और फिजूलखर्ची से भरी हुई है। यदि वे आज सूक्ष्मदृष्टि से देखें तो पावेंगे कि जो सामान्य व्यवस्था इस प्रान्त की है और जो सामान्य आय यहां की है उसमें ३.४२ करोड़ का शुद्ध लाभ है और यह जो घाटे की रकम है वह केवल योजना में जो ३७ करोड़ के व्यय का अनुमान किया गया है उसके कारण हो रहा है। १९६२–६३ में योजना के अन्तर्गत ३७ करोड़ रुपया व्यय करने के लिये रखा गया है, लेकिन केंद्रीय सरकार राज्य को केवल २० करोड़ रुपया इस मद में दे रही है। और जिस बचत की बात मैंने कही, यदि ३.४२ करोड़ की रकम को जोड़ दिया जाय तो १३–१४ करोड़ का घाटा केवल योजनागत व्ययों में आ जाता है। अतः यह कहना कि सामान्य आय और व्यय में यह घाटा हो रहा है, और फिजूलखर्ची है निरर्थक है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारे प्रदेश में ये योजनायें चलाई जायं क्योंकि इन योजनाओं के कारण हमारे राजस्व में घाटा चल रहा है। मैं स्वयं इस विचार का हूं कि यदि इन योजनाओं से कोई आर्थिक लाभ न हो, केवल आदर्श के लिये चलाना हो तब तो हमें यह घाटा नहीं सहना चाहिये लेकिन श्रीमन्, यदि आंकड़ों को देखा जाय तो इसी अवधि १९६२–६३ में योजनाओं पर जो हम व्यय करने जा रहे हैं उसके जरिये से सिंचाई में हमें लगभग ९.५० करोड़ रुपये का लाभ होगा, उद्योग में २.२० करोड़ का, विद्युत में १.५४ करोड़ का और सड़क परिवहन से १३.७ करोड़ का। अब प्रश्न यह है कि २६.८४ करोड़ रुपये की आय हमारे प्रदेश को इन योजनाओं में खर्च किये गये व्यय से होगी, क्या उसको छोड़ दिया जाय। यदि यह मान लिया जाय कि प्रथम और द्वितीय योजना से इस प्रदेश में कोई वृद्धि नहीं हुई है तब तो योजनाओं के बारे में सन्देह पैदा हो सकता है, लेकिन यदि आप देखेंगे तो ज्ञात होगा कि प्रथम और द्वितीय योजनाओं की अवधि में हमारे प्रदेश की आय लगभग २०.६ प्रतिशत बढ़ी है। यह अवश्य है कि सारे देश की आयके अनुपात में ४१प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि हमारे प्रदेश की आय में केवल २०.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। मैं मानता हूं कि जहां तक समस्त भारत के राज्यों की आय के अनुपात का प्रश्न है हमारी आय में उतनी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन यह कहना कि हमारे राज्य की आय में कोई वृद्धि ही नहीं हुई है, यह मेरी समझ से बिल्कुल गलत निष्कर्ष है सारे देश के अनुपात में हमारे राज्य में आय में जो कम वृद्धि हुई है उसका कारण यह है कि अपने राज्य में योजनाओं पर जो हम व्यय कर रहे हैं वह और राज्यों की तुलना में बहुत कम है। बाम्बे का उदाहरण ले लीजिये। वहां पर प्रति व्यक्ति करीब ३५० रुपया योजनाओं के अन्तर्गत व्यय किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में यह करीब २२८ रुपया ही आता है। पंजाब और मैसूर में भी यह अनुपात अधिक है तो एक तरफ हमारे प्रदेश में योजनाओं पर व्यय कम हो और दूसरी तरफ यह आशा की जाय कि प्रदेश की आय बढ़ जाय यह मेरी समझ से दो विरोधी बातें होंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक ओर में अवश्य संकेत करना चाहता हूं। हमारे विरोधी सदस्य जो हैं अगर प्रदेश और प्रदेश की जनता के हित में कोई योजना चलायी जाती है तो उसके लिये यह नहीं कहेंगे कि वह योजना न चले या उनपर खर्च न हो। इस पर थोड़ा सा विरोध जरूर हो सकता है कि इन योजनाओं के लिये रुपया कहां से प्राप्त किया जाय इस सम्बन्ध में एक संकेत विरोधी दल के सदस्यों द्वारा किया गया है कि सम्भवतः मालगुजारी में वृद्धि की जाने वाली है। मैं सरकार की मंशा तो नहीं जानता, लेकिन सरकार से अनुरोध जरूर करूंगा कि सरकार को सामान्य-आय या राजस्व आय-व्यय से ३·४२ करोड़ का लाभ हो रहा है और इससे यह साबित है कि सामान्य-आय व्यय की दृष्टि से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ है। यदि मालगुजारी बढ़ाने से भी पूर्ति नहीं होती और यदि इन योजनाओं के लिये और रुपये की आवश्यकता हो तो अभी काफी मद ऐसी हैं जिनसे रुपया प्राप्त किया जा सकता है। परिवहन से १३ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान रखा गया है। यदि आप प्रदेश की उन सभी सड़कों का, जिन्हें तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीयकरण के लिये नहीं रखा गया है, राष्ट्रीयकरण कर दें तो यह १३ करोड़ की रकम कुछ और आगे बढ़ जायगी।

वाणिज्य की दृष्टि से, यदि सिंचाई के साधनों को लें, गांव गांव में ट्यूबवेल्स लग जायं, नहरें लग जायं, और सिंचाई कर में कुछ वृद्धि हो जाय, तो सिंचाई कर में ९ करोड़ से अधिक की वृद्धि हो सकती है।

विद्युत की समस्या को ले लीजिये। सुनने में आया है कि रिहन्द डैम से जितनी बिजली उत्पन्न हो रही है उसकी खपत नहीं हो रही है। यदि वाणिज्य की दृष्टि से राज्य में विद्युतीकरण किया जाय और यदि निजी क्षेत्र में कारखाने लगाये जायं और फिर भी बिजली की खपत न हो तो सरकार को चाहिये कि वह स्वयं राजकीय क्षेत्र में कल कारखाने खोले और उस विद्युत का उपयोग करे और इस तरह से विद्युत की मद से भी उसे काफी धनराशि मिल सकती है।

एक चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी आपके पास है और उस उद्योग से आपको करीब डेढ़ दो करोड़ रुपये का लाभ मिल रहा है। यदि आप दो चार कारखाने खोलें तो उसमें कोई रोक नहीं है। हमारे कहने का केवल यह तात्पर्य है कि यदि सरकार राजकीय क्षेत्र में भी कुछ कल कारखाने खोले तो इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो सकती है और एक योजना में जो रुपया खर्च होगा उसी के लाभ से और आने वाली योजनाओं को चलाया जा सकता है।

मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें सरकार की तरफ से एक जगह लिखा है कि सरकार अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा अपने राज्य में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करना चाहती है जिसकी वजह से यातायात के साधन बढ़ें, विद्युत के साधन बढ़ें, उद्योगों को ऋण दिया जा सके। इन परिस्थितियों में ऐसा वातावरण हो कि निजी क्षेत्र में हम औद्योगीकरण को बढ़ावें, हमारी समझ में इस बात की आशा करना राज्य सरकार के लिये उचित नहीं है। पहले उन साधनों को बढ़ा कर सरकार उस क्षेत्र में उतरे और निजी क्षेत्र में अगर कल कारखाने न खुलें या केन्द्रीय सरकार भी अपने प्रदेश में कोई कारखाना न खोले तो सरकार स्वयं राजकीय क्षेत्र का विकास करे, राजकीय क्षेत्र में कल कारखाने खोले और वाणिज्य की दृष्टि से यदि विकास करे तो आप ३०–३५ करोड़ के बजाय ४०–४५ करोड़ रुपया इन योजनाओं पर खर्च कर सकते हैं और आपको रुपये की कमी न पड़े।

श्रीमन्, एक और तथ्य की ओर मैं इस सदन का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में ये जो योजनाएं चल रही हैं खासकर औद्योगीकरण की, उसमें कुछ बड़े-बड़े महान नगरों का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और मुझे इसकी प्रसन्नता है। जैसे गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी ऐसे बड़े-बड़े नगरों को देखें तो वहां से दिन ब दिन दो चार पांच कल कारखाने खोलने की योजना आ रही है। विद्युत की योजना आ रही है, उन में सफाई या स्लम्स, जो गन्दगी बस्तियां हैं, उन के सुधार की

[श्री कृष्णानन्द राय]

योजनायें हैं या सड़कों को चौड़ा करने की योजना है, लेकिन उन्हीं की बगल में जो निकटवर्ती जिले हैं और जिन की दशा आर्थिक दृष्टि से गिरी हुई है उन की ओर उतना ध्यान नहीं है। मैं पूर्व या पश्चिम का कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन एक तरफ तो लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ और कानपुर का विकास हो रहा है और दूसरी तरफ जो गाजीपुर, बलिया, देवरिया आदि पिछड़े जिले हैं उनकी तरफ दृष्टि नहीं पहुंच पायी है। मैं गाजीपुर से आ रहा हूं जहां कि १३ लाख की जनसंख्या है, बलिया जनपद की भी १२–१३ लाख की जनसंख्या है और आजमगढ़ की भी इसी तरह से १६–१७ लाख की जनसंख्या है, मेरे मित्र आजमगढ़ की जनसंख्या २४ लाख बता रहे हैं। तो इस तरह से ४०–५० लाख की आबादी के इन जनपदों में एक भी राजकीय उद्योग की कोई योजना या सड़कों के विकास की योजना या नगरों के सुधार की योजना हमें देखने को नहीं मिलती। इन जनपदों के रहने वाले पूछते हैं कि क्या सरकार के नक्शे में या उसकी मानसिक दृष्टि में इन जिलों का नाम ही भूल गया है। हम केंद्र की शिकायत करते हैं कि वह बम्बई, पंजाब, मैसूर और दूसरे प्रदेशों की ओर अधिक ध्यान देता है और उनका औद्योगीकरण करता है और उत्तर प्रदेश को वह छोड़ देता है, लेकिन जब हम अपने प्रदेश की ही ओर देखते हैं तो हमें यहां भी वही शिकायत मिलती है कि यहां की सरकार भी लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद की तरफ अधिक देखती है और गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया और देवरिया की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देती। एक दो योजनाओं का संकेत भी हमें अपने यहां के लिये मिला था, हमने सुना था कि गाजीपुर में टेक्निकल स्कूल खुलने जा रहा है। वहां सर्वे भी हुआ, लेकिन बजट में उस का कोई जिक्र नहीं है। यह भी सुनने में आया कि नहरों के पानी के ड्रेनेज के लिये एक दो लाख रुपया मिलेगा, लेकिन उस का भी इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह से एक पुल के बनने का भी जिक्र सुनने में आ रहा था। गंगा पर पुल के लिये केंद्रीय सरकार के बड़े बड़े रेलवे अधिकारी सर्वे करा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार उसको अपनी योजना में शामिल नहीं कर रही है और पुल का काम रुका पड़ा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि राजकीय सरकार का ध्येय यह होना चाहिये योजनाओं के बारे में कि जो क्षेत्र जितना पिछड़ा हुआ हो उसके विकास की ओर उतना ही अधिक ध्यान देना चाहिये।

एक तथ्य की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। पुलिस के प्रशासन के संबंध में कल भी और बजट के संबंध में भी यहां काफी चर्चा हुई है और एक इस प्रकार का वातावरण फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि पुलिस निकम्मी है और वह तमाम थर्ड डिगरी मेथड्स इस्तेमाल करती है। मैं समझता हूं कि बार-बार ऐसी बातों का कहना और प्रचार करना स्वयं ही प्रदेश के अपने फोर्स को डिमारेलाइज करना होगा। मैं आपको अपने यहां का एक उदाहरण इस संबंध में दूंगा। हमारे यहां एक सिन्हड़ी ग्राम है वहां पर १०–११ को एक व्यक्ति अपने लड़के के साथ अपने घर पर सोया हुआ था। करीब २ ढाई बजे रात को घर के बाहर के ताले २ आदमी आकर खोलने लगे। वह आदमी जग गया और उस के बोलने पर एक आदमी ने उस को दबा लिया और भाला मारा, लड़के के सामने उसकी अंतड़ी और भेजा खुल गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुबह को बड़ा आतंक सब में फैल गया और कहा जाने लगा कि पुलिस बड़ी निकम्मी है और कोई सुरक्षा पुलिस के द्वारा नहीं होती। ८–१० आदमी पकड़े भी गये, २–३ बजे बड़ा हल्ला हुआ, बड़ा जबरदस्त शोर हुआ कि पुलिस निकम्मी है, वह कुछ नहीं करती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ जब समाज में लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो लोग यह महसूस करते हैं कि पुलिस वाले हमारी रक्षा नहीं करते और दिन दहाड़े डाके और राहजनी चोरी होती हैं और समाज के लोग चिल्लाते हैं कि पुलिस बहुत निकम्मी है। और पुलिस जब लोगों को गिरफ्तार करती है तो जैसा आजकल १९ वीं और २० वीं सदी का सिद्धांत बन गया है तथा जिसकी विरोधी दल के सदस्य रट लगाते हैं वह है "हेट दी सिन ऐंड नाट दी सिनर"। जब कोई अपराध हुआ पुलिस से या जनता से हल्ला मचाया जाता है और जब अपराधियों को पकड़ने में कुछ ज्यादती दिखती है तो अपराधियों के प्रति सहानुभूति हो जाती है। यह विरोधाभास है। माननीय जेड० ए० अहमद

ने कहा कि हमको परम्परा स्थापित करनी चाहिये जिसमें यह होना चाहिये कि राजनीतिक दलों के लोग क्षेत्रों में निकल जायं और सरकार को आश्वासन दें कि हमारे जनपद में दिन दहाड़े खून, डकैती, राहजनी आदि नहीं होगी और जब इस तरह का वातावरण बना दें, तब अगर पुलिस थर्ड डिग्री मेंथड इस्तेमाल करे तो पुलिस फोर्स तो निकाल दिया जाय। ठीक है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर किसी समस्या का हल नहीं कर पायेंगे।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि बजट पर बोलने का आपने मौका दिया। उधर के कई सदस्यों ने वित्त मंत्री को बधाई देने की बात कही। मैं विचारने लगा कि वास्तव में कोई ऐसी बात है जिस पर उनको बधाई दी जाय। तो मुझे एक बात मिली और वह यह कि वित्त मंत्री जी ने जो अपनी बजट स्पीच रखी उसके अन्दर उन्होंने शुद्ध हिन्दी भाषा का प्रयोग किया है। दूसरे यह कि जब अपना भाषण दे रहे थे उस समय जो उच्चारण कर रहे थे वह शुद्ध था, जिसकी वजह से बजट के अन्दर क्या भाव है वह भी प्रकट होता जा रहा था। बजट प्रस्तुत हुआ तथा उस पर अनेक प्रकार की प्रतिक्रियायें भी हुई हैं। अनेक नेताओं ने उसे दिवालियेपन का बज बताया है, किसी ने उसे जनता की कमर तोड़ने वाला बताया है, किसी न कहा कि इस बजट से कोई समाज-कल्याण या लोक-कल्याण की बात नहीं हो सकती। मैं इन सब बातों से सहमत हूं, इन सब बातों का बजट में समावेश है।

सरकार की ओर से यह कहा गया कि यह समाजवादी बजट है जनता के कल्याण के लिये इसमें योजनायें हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि यह समाजवादी बजट है कैसे? अगर समाजवाद के माने यह है कि सरकारवाद होना चाहिये, नौकरवाद होना चाहिये तथा जनता के ऊपर कंट्रोल होना चाहिये तो शायद इसे समाजवाद का बजट कहा जा सकता है, परन्तु जहां तक जनहित की बातों का प्रश्न है और समाजवाद का मतलब है कि जनता को राहत मिलेगी, उसकी उन्नति हो सकेगी, तो मैं हरगिज इसको समाजवादी बजट मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

बजट के अन्दर जो उल्लेख किया गया है उसको देखा जाय तो पायेंगे कि ३०० रुपये से अधिक पाने वाले जितने कर्मचारी हैं उनमें से कई प्रकार के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की व्यवस्था है और एक विभाग जिसके बीच में समाप्त होने की आशा थी उसको बढ़ाने तथा अधिक बल देने की बात कही गई है, और वह है सप्लाई विभाग। कहा गया है उसे स्थायी बनाया जायगा। उसमें सभी वर्ग के लोगों की वेतन वृद्धि की जायगी।

(इस समय १ बज कर १४ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री नरेंद्रसिंह विष्ट, पीठासीन हुये।)

इसी प्रकार ज्यादा पैसा पाने वाले पदों के लिये यह कहा गया है कि पेंशनें बढ़ाई जायंगी। किन्तु मैं उस समाजवाद की व्यवस्था करने वाली सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के लिये क्या व्यवस्था की गयी है जिसे ५०–५५ रुपये तनख्वाह मिलते हैं, जिसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है हमारे समाज में आने वाले बच्चों को ठीक-ठीक शिक्षा देने की। बजट को देखने से पता चलेगा कि इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसी तरह से चपरासी और सड़क पर काम करने वाले पी०डब्ल्यू० डी० के जो नौकर हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में बजट में कोई रूपरेखा नहीं है। तो इस प्रकार उनके समाजवाद के मानी यह हैं कि जिनकी तनख्वाहें अधिक हैं उनकी तनख्वाहें और बढ़ायेंगे, और जिनकी तनख्वाहें कम हैं उनकी तनख्वाहें के बारे में कुछ नहीं किया जायगा। इससे समाज का हित जनता का हित और प्रदेश का उत्थान हो सकेगा, ऐसा कहना कठिन है।

मुझे एक बात याद आती है। फतेहपुर जिले में मेरे एक मित्र कहा करते हैं यह "कांग्रेस" नहीं है। यह कांग्रेज है। वह बतलाते हैं "क" शब्द "काला" प्रदर्शित करता है। अर्थात

[श्री रक्षपालसिंह]

"काला अंग्रेज" है। अंग्रेज के स्थान पर इस समय काला अंग्रेज है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेज जब इस देश में शासन करता था तो उसने यहां थोड़े खम्भे बना रखे थे और उनके द्वारा देश में अपना शासन चलाता था। आज भी इस शासन के द्वारा कुछ उसी प्रकार की बातें करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी तनख्वाह पाने वालों की तनख्वाह बढ़ाने की जो बात है वह इसी योजना के अन्तर्गत है।

मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। एक मैजिस्ट्रेट साहब थे। इस कांग्रेस शासन के द्वारा किसी कारणवश जेल जाने पर वह मैजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर दिये गये, लेकिन उन्हें फैसला लिखना नहीं आता था। तो पेशकारी चलती थी। पेशकार साहब ही आर्डर लिखते थे और वह दस्तखत बना दिया करते थे। तो मैं यह तो नहीं कहता कि इस मंत्रिमंडल के सदस्यों में कोई अयोग्य है। वह हरएक बात को सोच कर, समझ कर करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मैं दो एक मित्रों से बात कर रहा था और यह कह रहा था कि बजट स्पीच जो है इसमें दो, तीन पैरा धन्यवाद के दिये हुये हैं। यह धन्यवाद देना बहुत आवश्यक ही था क्योंकि मंत्री महोदय को तो केवल हस्ताक्षर कर देना और पढ़ देना था और वास्तव में बजट भाषण तो विभाग द्वारा बना हुआ था। लोगों का विचार ऐसा है, यह मैं नहीं कह रहा। इस प्रकार जो पुरानी अंग्रेजों की पद्धति है उसी पद्धति को अपनाने का प्रकार इस व्यवस्था में अपनाया जा रहा है। स्वदेशी के आन्दोलन के समय महात्मा गांधी जिसे ले कर चलते थे उस प्रकार को इसमें खत्म किया गया है और अंग्रेजी शासन के प्रकार को इसमें अपनाया गया है। जो कुछ खम्भे हैं उनके वेतन और भत्ते की ओर संकेत है। जो एलोपैथिक डाक्टर्स हैं उनका वेतन तथा भत्ता तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आयुर्वेदिक डाक्टर्स के, जिनको अधिकतर देहात में रहना पड़ता है, वेतन तथा भत्ते की ओर कोई संकेत नहीं है।

मैं शिक्षा की ओर ध्यान दिलाऊंगा कि जब अंग्रेज यहां राज्य करता था तो ए, बी तथा १,२,३ के बाद चौथी कक्षा करने के बाद लड़का थर्ड में भरती होता था और तब उसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, लेकिन इस सरकार ने तीसरी कक्षा से ही अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करके उत्तराधिकार में एक कदम और आगे बढ़ाया है। शिक्षा के संदर्भ में सरकार ने पढ़ाने की जो व्यवस्था ले रखी है और किताबें सरकार द्वारा छापी जाती हैं यह बड़े दुख का विषय है कि आज एक किताब पूरे प्रदेश में नहीं पढ़ाई जाती। एक ही विषय पर एक ही क्लास के लिये ६–६, ८–८ और १०–१० पुस्तकें प्रेस्क्राइब्ड हैं। ऐसा क्यों है, वे किनकी लिखी हुई हैं यह सब एक अलग का विषय है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि उन किताबों में हमारे पुराने आदर्शों की एक बात भी नहीं है। उन पुस्तकों में पहले पृष्ठ पर गांधी जी का चित्र मिलेगा और आखिर में "जन मन गण अधिनायक"। कहते हैं कि हमारे यहां अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। जब हमारी किताबों में भगवान में आस्था रखने वाला कोई भी पाठ नहीं होता, अपनी मातृ भूमि की बन्दना करने वाला पाठ भी धोखे से रहता है, तो मैं समझता हूं कि केवल पार्टी प्रकार का कार्य ही होता है। फिर अनुशासनहीनता कैसे दूर होगी?

आज यहां पर सेक्युलरिज्म का जो अर्थ लगाया जाता है उसका कई मित्र बड़ा गलत अर्थ लगा बैठे हैं। धर्मनिर्पेक्ष के नाम पर धर्म विरोधी समझ बैठे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन हो। वह परिवर्तन ऐसा होना चाहिये जिससे कि हमारा अपने देश, धर्म और जाति, जाति से मेरा मतलब नेशनलिटी से है, में स्वाभिमान हो। आज हमें इस पद्धति से कोई भी प्रेरणा नहीं मिल पाती है। आज की शिक्षा पद्धति में बेकारों के पैदा करने की व्यवस्था है। उसमें ऐसा परिवर्तन होना चाहिये कि अगर कोई ८ वें तक ही पढ़ता है तो उसके बाद उसे कोई काम सिखाने की व्यवस्था हो, जो १० वें तक पढ़ता है उसके लिये कोई दूसरे काम की व्यवस्था हो और जो योग्य विद्यार्थी हों वे आगे पढ़ें। लेकिन आज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

प्लानिंग के बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत गलत ढंग की नीतियां काम में लायी जाती हैं। विचित्र बात है कि गांव के अन्दर तो खरंजा लगाने के लिये ईंटें

भेजी जाती हैं, लेकिन उस गांव में पहुंचने के लिये कमर तक पानी में चल कर ही पहुंचा जा सकता है। मैं अपने जिले फतेहपुर की बात कहता हूं। आज वहां १/३ स्थान ऐसे हैं जहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि बरसात में बिना पानी में चले हुये जिला केंद्र तक पहुंचा जा सके। इसके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं है।

अन्य बातों के साथ-साथ जो बजट में कर बढ़ाने की बात कही जाती है। अगर यह कर किसान के ऊपर लगा तो यह बहुत खतरनाक होगा। आज किसान की स्थिति जो सायकिल वगैरह का नाम ले कर बतायी जाती है यह बिलकुल गलत है। जो आकड़े दिये जाते हैं ये विकास अधिकारियों के होते हैं। और विकास अधिकारी मात्र होने से उनको आंकड़ों में विकास दिखाना परमावश्यक है। वास्तविकता से भिन्न आंकड़े दिखाये जाते हैं। आज यह कह कर किसान मालदार हो गया है उसके ऊपर टैक्स लगाना बिलकुल गलत है। श्रीमन्, यह एक संकेत है कि अगर किसान के ऊपर टैक्स लगाने की बात की गयी तो वह खुद मरेगा, परन्तु एक बात ध्यान रखें कि वह मरते मरते दूसरे को भी जिन्दा नहीं रहने देगा और राज्य को बना नहीं रहने देगा। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

जय भारत।

*श्री देवदत्त (जिला उन्नाव)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी"। आज पिछले दो दिन से हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट पर जो भाषण मैं सुन रहा हूं उनका यदि विश्लेषण करके देखा जाय तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग बद्धमूल धारणा बनाकर आये हैं और उसके वशीभूत होकर बजट के देखने की कोशिश करते हैं। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने राज्य की जो वस्तुस्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको दृष्टिगत रखकर, जिन सीमाओं और परिसीमाओं के अन्तर्गत रहकर बजट का निर्माण करना होता है, उनको देख कर यदि हम बजट को देखने की कोशिश करते तो भले ही इसमें शत प्रतिशत आशा की पूर्ति न दिखाई देती, किन्तु हम प्रगति के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार का संकेत हमें बजट में अवश्य दिखाई देता।

श्रीमन्, आज हम जब वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण को पढ़ते हैं या उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट को देखते हैं तो उससे हमें यह आभास मिलता है। जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है कि हमारा प्रयास है कि समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर हों तो हम समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं, इस बात का प्रमाण प्राप्त करने के लिये कौनसी बातें हैं जिन पर हमें दृष्टि डालनी चाहिये। हमारे राज्य में अगर हम शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, चिकित्सा की तरफ एवं राज्य को आर्थिक दृष्टि से समुन्नत करने के लिये उद्योग, विद्युत आदि जो प्रकरण हैं, उनकी तरफ दृष्टि डालें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि राज्य अपनी सीमाओं के अन्तर्गत बढ़ रहा है और हमारी ऐसी धारणा है कि विरोधी दल अड़ंगे की नीति का अवलम्बन करके जो कार्य कर रहा है यदि उसकी वह नीति न होती और रचनात्मक आलोचना के साथ साथ सहयोग की भावना का भी समावेश होता तो जितनी प्रगति हुई है इन दिनों में उसकी रफ्तार इससे कहीं अधिक तेज हुई होती, यह निस्संदेह कहा जा सकता है।

श्रीमन्, हमारे सामने जो सीमायें हैं उनके संबंध में आपके माध्यम से सरकार से और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनको लांघने के लिये हमारी रफ्तार और तेज होनी चाहिये। यह सही है कि हमने शिक्षा के मामले में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय की शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ साथ टैक्नोलौजी की शिक्षा में प्रगति की है, किन्तु यह प्रगति और अधिक अच्छी हो सकती थी। आज जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा परिचालित होते हैं, हमने उनको नियंत्रण में लेने की कोशिश की होती, हमने उनका राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में कदम बढ़ाये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त]

होते, तो हम शिक्षा की दिशा में जितनी अब तक प्रगति कर चुके हैं उससे अधिक कर सकते। आप देखते हैं कि आज जो लोग प्राइवेट स्कूल-कालेज चलाते हैं वे बड़ी- बड़ी जमींदारियों और ताल्लुकेदारियों के रूप में काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से राज्य सरकार शिक्षा के राष्ट्रीय-करण की तरफ अपना ध्यान दें। मैं यह नहीं कहता कि वह कदम आज ही उठाया जाय, किन्तु उठाया जाना चाहिए। उसकी तरफ दृष्टि जानी चाहिए।

चिकित्सा के संबंध में, यद्यपि अस्पतालों और रोगी शय्याओं की तादाद बढ़ी है, लेकिन अभी हमने इस दिशा में बहुत काफी बढ़ना है। भोर कमेटी ने यह सिपारिश की थी कि एक हजार व्यक्तियों के पीछे एक बेड होना चाहिए। हमें वित्त मंत्री के भाषण से यह मालूम होता है कि हमारे राज्य में अभीतक २१ हजार और कुछ शय्यायें हैं। सम्भवतः इस प्रस्तुत बजट वर्ष में ३०० शय्याएं बढ़ेंगी। भोर कमेटी की सिपारिश के अनुसार यदि हम इस पर दृष्टि डालें तो साढ़े सात करोड़ की आबादी के राज्य में कम से कम ७५,००० रोग शय्यायें होनी चाहिए। इस दिशा में एक और चीज है जिसकी तरफ हम अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ज्यादातर ध्यान बड़े-बड़े शहरों की तरफ जैसे इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ हैं उनकी तरफ दिया जाता है, लेकिन सरकार यह भूल जाती है कि कानपुर शहर के इर्द-गिर्द जो जिले हैं, उन्नाव, फतेहपुर, इटावा, हमीरपुर जहां पर चिकित्सा के विशेषज्ञ नहीं हैं, उन जिलों का भार कानपुर शहर या इसी प्रकार अन्य शहरों पर पड़ता है जहां पर चिकित्सा के सम्यक साधन हुआ करते हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि यदि हम चिकित्सा को जन सुलभ करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि इन बड़े-बड़े जिलों के इर्द-गिर्द जो जिले हैं वहां भी धीरे-धीरे विशेषज्ञ चिकित्सा की व्यवस्था कर दें तो कुछ भार जो बड़े-बड़े शहरों पर पड़ जाता है वह घटे और साथ ही साथ जिले के रोगियों को सुविधा मिले, क्योंकि जितनी सहूलियत से अपने जिलों में चिकित्सा करवा सकते हैं बड़े शहरों में उन पर ज्यादा खर्चा हो जाया करता है। चिकित्सा की दिशा में यद्यपि प्रगति हुई है, किन्तु इस दिशा में हमें आगे और कदम बढ़ाना चाहिए।

एक चीज और। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि गरीबी को मिटाना है और उसके लिए हम पंचवर्षीय योजनाओं के मातहत प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तीसरे दिन की बात है। हमारे मुख्य मंत्री कानपुर गये हुए थे। वहां उन्होंने लेबर वेलफेयर सेंटर के एक समारोह में अपने भाषण में यह कहा कि पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद बेकारी की तादाद ५३ लाख बढ़ी, दूसरी पंच-वर्षीय योजना के बाद ९० लाख बेकारों की तादाद बढ़ी और सम्भवतः तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद १ करोड़ ९० लाख की तादाद पहुंच जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो गरीबी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनायें बनायी जाती हैं और दूसरी तरफ उन योजनाओं के कार्यकाल के बाद बेकारों की पलटन कैसे खड़ी हो जाती है। निश्चय ही कोई कंट्रेडिक्शन है और उस तरफ हमारी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए कि क्या वजह है कि इस प्रकार जो गरीबी को दूर करने के साधन हैं उन साधनों से बेकारों की तादाद बढ़ रही है। हमारा ऐसा ख्याल है जैसा कि कुछ रचनात्मक आलोचकों ने यह कहा कि योजना और योजना के बाहर जो खर्च किया जाता है उसमें ६० प्रतिशत या ६५ प्रतिशत तक हिस्सा प्रशासन पर लग जाया करता है। यह चीज सचमुच विचारणीय है और राज्य सरकार को इस बात पर विचार करना है कि आया हम जिस उद्देश्य के लिए खर्च करने जा रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति में यदि प्रशासन जो उसका हिस्सा है, वह उसका बहुत बड़ा हिस्सा स्वयं अपने लिए रख लेता है तो यह चिन्तनीय बात है और हम वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, अभी उन्होंने इस विभाग को बहुत जल्दी सम्हाला है, इसलिए हो सकता है कि उनको अभी अवकाश न मिला हो, लेकिन उन्हें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

रह गई हमारे एक पूर्व वक्ता महोदय की बात। बजट बनाने के सम्बन्ध में एवं शिक्षा पुस्तकों के संबंध में जो कुछ उन्होंने कहा वह एक तरह से उनकी नाजानकारी का परिचायक है। कोई भी सरकार, वह चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे एकतांत्रिक सरकार हो, फंडामेंटल

पालिसीज, जो उसकी मूलभूत नीतियां हैं वह उनको सामने रख कर के अपने सचिवालय को उन नीतियों को देता है और प्रत्येक देश के सचिवालय, अर्थ या वित्त सचिवालय जो हैं वही हमेशा बजट का निर्माण करते हैं। पुस्तकों के संबंध में यह तो उनकी एक भावना का परिचायक है कि हमारे राष्ट्रीय महात्मा गांधी और जनगण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रीय ऐन्थेम, राष्ट्रीय गीत है उसको वह किस भावना से देखते हैं। संविधान के प्रति आस्था प्रकट करने के बाद और उस संविधान के अन्तर्गत वफादारी के साथ चलने की शपथ लेने के बाद जिस भावना का उन्होंने परिचय दिया है उससे उनकी जो सेक्युलरिज्म या वर्ण प्रेम की भावना है उसका स्पष्ट आभास माननीय सदस्य निकाल सकते हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने १९६२–६३ के माननीय वित्त मन्त्री के आय व्ययक को, जो उन्होंने सदन के सामने पेश किया है, उसको बहुत अच्छी तरफ से पढ़ा है। उसमें वित्त मंत्री महोदय ने त्याग की बात जनता के लिये कही है। मैं ऐसा समझता हूं कि उपदेश देने के पहले जरा अपनी तरफ विचार किये होते तो ऐसी बात नहीं कहते। अगर वाराणसी महा पंडित अवध के राजा को यह सलाह दिये होते कि त्याग किया जाय तो शायद मंत्रिमंडल इतना बड़ा न बना होता लेकिन वे तो जनता से ही त्याग करने की बात कहते हैं। १३ करोड़ ३५ लाख के घाटे को दिखलाकर यह मंशा उन्होंने जाहिर की है कि जनता के ऊपर कर का भार लगने वाला है। हमेशा परिवार का बजट बचत का बनता है और कोई भी प्रगतिशील सरकार बजट बनाती है तो वह घाटे का बजट बनाती है। ऐसी पद्धति चली आई है वित्तीय नियमों के अनुसार लेकिन पिछले वर्ष बजट पेश किया गया २ करोड़ ४ लाख के घाटे का लेकिन अन्त में जाकर ४ करोड़ ४ लाख की बचत हो गई। तो मुझे याद है कि आज से पहले श्री चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री जी का भाषण जब मैंने पढ़ा था, जबकि नवम्बर, १९६० में उन्होंने पद ग्रहण किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं अगले वर्ष ऐसा इरादा रखता हूं कि १२, १३ लाख का मुनाफा दिखाऊंगा लेकिन बजाय मुनाफे के घाटा दिखाया गया है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरह से करों का भार जनता के ऊपर बढ़ता जा रहा है। उधर के बैठने वाले कहते हैं कि हम समाजवाद की तरफ जा रहे हैं। मैं अपने उधर के बैठने वाले बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूं कि ज्यों ज्यों जनता के ऊपर करों का भार आप लादते हैं त्यों त्यों आप पूंजीवाद की तरफ बढ़ते हैं। इस बजट में सिवाय अफसरों की तनख्वाह बढ़ाने के, अफसरवाद के बढ़ाने के और कोई खास बात नहीं है। कर लगते हैं लेकिन कर जो एकत्रित किये जाते हैं उनका सदुपयोग भी ढंग से होना चाहिये।

देवरिया जिला बहुत ही गरीब जिला है जिसमें २२, २३ लाख लोग बसते हैं। वहां पर सिंचाई के समुचित साधन नहीं हैं। पता नहीं यह पैसा किस तरह से खर्च किया जाता है। स्वास्थ्य के बारे में जो खर्चा दिखाया गया है वह भी नगण्य है। हम लोगों को उम्मीद थी कि गोरखपुर में जो हमारे पूर्वी जिलों में पड़ता है और जिस पूर्वी जिले में करीब १।। करोड़ आदमी बसते हैं, उसमें मेडिकल कालेज खोला जायगा क्योंकि इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी कोई मेडिकल कालेज नहीं है। हमारे पूर्वी जिलों में भांति भांति की बीमारी उत्पन्न होती है। टी० बी०, कैंसर, काला ज्वर, चेचक, महामारी का प्रकोप हमेशा बना रहता है लेकिन हम सोच रहे थे कि इस बजट में उसका चर्चा किया जायगा और पहले कुछ चर्चा भी थी कि गोरखपुर में एक मेडिकल कालेज खोला जायगा लेकिन मेडिकल कालेज का चर्चा अब इस बजट में दिखाई नहीं देता है। पच्छिमी जिलों के डाक्टर पूर्वी इलाके में आना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि यहां पर अस्पतालों की हालत अच्छी नहीं है। हमारे हाटा निर्वाचन क्षेत्र में कहीं कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। दवाई का समुचित प्रबन्ध नहीं है। सड़कें अच्छी नहीं हैं। समुचित सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। पता नहीं कि यह सरकार ने उस क्षेत्र की तरफ से अपनी आंखें क्यों मूंद ली है। हम तो यह देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है और तीसरी चालू होने जा रही है लेकिन उस क्षेत्र की ओर निगाह नहीं जा रही है। हम तो सोचते हैं कि—

[श्री बांकेलाल]

रहा महरूम मैं साकी तेरी नजरे इनायत से,
तड़पता है दिले बेकस मिहरबां देखते जाओ ।

पता नहीं उस क्षेत्र पर सरकार की नज़र कब पड़ेगी । बजट देखने से पता चलता है कि माननीय वित्त मंत्री ने भावी संतान और भविष्य का निर्माण करने के नाम पर धन एकत्रित करके जो उसके सदुपयोग करने की बात कही है वह संभव नहीं होगा ऐसा मुझे विश्वास है । अपने क्षेत्र की दशा देखते हुए तो मुझे यह मजबूरन कहना पड़ता है कि वे इस बजट के लिये तो यह कहा जा सकता है कि:

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतरये खूं न निकला ।

उधर के भाई समाजवाद की बात कहते हैं और आलोचना होने पर कहते हैं कि अगर हम अच्छे न होते तो इतनी बड़ी तादाद में यहां नहीं आ सकते थे । मैं कहना चाहता हूं कि:

फलक देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं,
जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं ।

कभी वह जमाना भी आयेगा कि आप अल्प संख्या में यहां आयेंगे और वह होगा तब जब जनता इस कर भार से त्राहि त्राहि करेगी । हमारे वित्त मंत्री जी पिपराइच से भैंसही गये थे, और वहां से आगे हाटा भी गये थे । पर माननीय चरणसिंह जी भी गये थे । उस क्षेत्र की ओर आप इत्तिफाक से पहुंच गये थे और शायद मैं खड़ा न होता तो पहुंचते भी नहीं । वहां की सड़कों की हालत आपने देखी है । वह क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित चला आ रहा है । यह बजट हमें पूंजी-वाद की ओर ले जा रहा है और प्रदेश को भी । बड़े बड़े तनख्वाह वाले अधिकारियों को इसमें बढ़ाया जा रहा है जबकि छोटे अध्यापकों की तनख्वाहें तक समय से नहीं मिल पाती हैं । चपरासियों की तनख्वाहों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई , मिल के मजदूरों की तक्रकी की कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े अफसरों की तनख्वाहें बढ़ायी गयी हैं । मेरा तो ऐसा खयाल है कि उन अधिकारियों के बल पर ही यह सरकार बन सकी है । उन पर इसकी बड़ी मेहरबानी है । कल की जो चर्चा मैंने सुनी उसमें उधर के बैठने वाले और खास कर बननारसीदास जी खांस खांस कर बोल रहे थे, ऐसा मालूम देता था कि अल्टीमेटम दे रहे हैं । हम लोगों की आलोचना बड़ी तेजी से वह करते थे लेकिन हमसे वह बड़े हैं, काफी तादाद में हैं इसलिये उनको तो गंभीरता से बातें करना चाहिये, लेकिन वह बोलने से ज्यादा खांसते थे जिसको सुन कर मुझे अफसोस हुआ और कभी कभी हंसी भी आ जाती थी । इस तरह से हमारे मंत्रिगण भाषण करते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं और हमारी तरफ वाक्यों से वार करते हैं केवल इसलिये कि हम तादाद में कम हैं । आज उनके हाथ में शासन है । एक साहब खड़े हुए और पुलिस की तारीफ करने लगे । अब तो यह उन सदस्यगणों का काम हो गया है । तो मैं समझता हूं कि जब तक अधिकारियों के ऊपर काफी कार्यवाही नहीं होगी कार्य नहीं चल पायेगा ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह संक्रमण काल है । अगर ऐसा है तो डिक्टेटरशिप कर दीजिये । जब गोली चलेगी तो लोग अपनी रक्षा के लिए मांग को रखेंगे ही । कल एक महिला सदस्या ने कहा कि पी० एस० पी० वाले अगुआ बनते हैं और नेता बनने की कोशिश करते हैं । एक औरत का पति मर गया । वह शव को मांगने गयी । अब जब उसका पति मर गया तो वह खुद ही रोयेगी, उससे कौन कहेगा रोने के लिये । तो मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं । आप कहेंगे कि क्या आपके पास दूसरा कोई बजट है । मैं कहता हूं कि हमारे पास भी बजट है और समाजवादी बजट है । समय मिलेगा तो मैं उसको पेश कर सकता हूं आप लोगों के समक्ष । लेकिन यह बजट निश्चय ही समाजवाद की ओर ले जाने वाला बजट नहीं है । यह गरीबी दूर करने वाला, जमीन का बटवारा करने वाला, लोगों को रोजी देने वाला, सिंचाई का समुचित प्रबन्ध करने वाला लोगों के रहने के लिये व्यवस्था करने वाला बजट नहीं है । आप पीने के पानी तक की उचित

व्यवस्था नहीं कर सके हैं। कितने ही गांवों में हरिजनों के लिये पानी पीने के कुयें नहीं हैं। जैसे रामपुर में और उसके पास वाले पचासों गांव ऐसे हैं जहां हरिजनों के पानी पीने के कुएं नहीं हैं।

**एक सदस्य**—जहां बने हैं उनको भी तो बताइये ?

**श्री बांकेलाल**—बने होंगे मंत्री लोगों के इलाके में या कांग्रेसी एम० एल० एज० के इलाकों में। कैप्टेनगंज से हाटा क्षेत्र में एक सड़क सन् १९४८ से बन रही है, लेकिन वह अभी तक नहीं बन पायी है। बनना और बिगड़ना दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अभी तक मदराहा गांव तक वह सड़क बन पाई, है और वहां एक सरकारी स्कूल है तो वहां पर बिल्डिंग नहीं है। नये नये स्कूल तो खुलते जा रहे हैं मगर पुराने बरबाद होते जा रहे हैं और उनकी कोई फिक्र नहीं है। चन्द्रदेव जी हमारे पास रहने वाले हैं उनको मालूम है कि हमारे यहां कितने ऐसे स्कूल हैं। हाटा से पिपराइच तक सड़क जरूर है, मगर उसकी क्या हालत है ? पिपराइच से मंसूरगंज तक भी सड़क है मगर उसकी क्या हालत है ? वह न होने के बराबर है। आप लोग तो उसी तरफ से आते हैं, बाबन के इलाके २० हजार एकड़ भूमि में एक भी ट्यूबवेल नहीं है। दो तीन जगह ट्यूबवेल्स हैं जहां पर ब्राह्मणों की आबादी है। देवरिया जिले में ३ फीसदी लोग खेती पर ही जिन्दगी बसर करते हैं और एक आदमी कमाता है घर के बाकी सब खाते हैं। उन लोगों के लिये रोजगार का कोई धंधा नहीं है। तो २२-२३ लाख की आबादी में साढ़े छः लाख ऐसे हैं जो बिना जमीन के हैं। उनके कमाने-खाने का कोई साधन नहीं है। जहां भी जाइये, चाहे कोलरी में या चाय बागान में वहां आपको देवरिया के आदमी मिलेंगे। इतनी आबादी में साढ़े १० लाख एकड़ जमीन में खेती होती है। गन्ने का धंधा जरूर है, मिले भी हैं लेकिन साढ़े छः करोड़ रुपया उसमें से केन्द्रीय सरकार करके रूप में और अन्य मदों से ले लेती है। उसमें से देवरिया जिले को विकास के नाम पर कितना धन देती है, यह तो वित्त मंत्री स्वयं जानते होंगे।

**श्री अधिष्ठाता**—आपका समय समाप्त हुआ।

**श्री जगवीरसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, बजट जब प्रस्तुत किया जाता है, तो यह कोई लेखा-जोखा नहीं होता किसी सरकार की केवल आय और व्यय का। बजट से, अधिष्ठाता महोदय, एक इन्टेशन उस सरकार की पालिसीज का रुझान मालूम होता है कि वह किधर जाना चाहती है। सरकार की उस नीति का उल्लेख होता है जिस प्रकार का वह समाज बनाना चाहती है। आज प्रदेश का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें १३.३५ करोड़ रुपये के डेसिफिट की मेरे मित्रों ने आलोचना की। इस आलोचना के संबंध में मैं केवल एक ही शब्द कहना चाहता हूं कि किसी भी प्लान्ड इकोनामी में डेफिसिट बजट प्राग्रेसि कहा जा सकता है, ऐसा मेरा विचार है अगर मैं अर्थ शास्त्र का कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा विचार सचमुच बोलने का नहीं था, लेकिन आज एक समाचार-पत्र को देख कर तबियत में कुछ आया कि मैं भी अपने विचार वित्त मंत्री जी तक पहुंचाने की चैष्टा करूं और मैं आपका आभारी हूं विशेष कर कि आपने मुझे उसके लिए अवसर प्रदान दिया। अधिष्ठाता महोदय, आज जहां यह कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं उन मित्रों से सहमत नहीं हूं। आज हमारे प्रदेश में मैटिरियल प्रोग्रेस की है। यह निर्विवाद है कि आज हमारे प्रदेश में स्कूल बने हैं, सड़कें बनी हैं, माइनर्स खोदी गयी है, और ऐसे बहुत से काम किये गये हैं जिससे मानना पड़ेगा कि प्रदेश ने कुछ न कुछ तरक्की की अवश्य है। एक मित्रों ने स्वयं उधर से बोलते हुए माना कि हमारे प्रदेश में २०.६ प्रतिशत पर-कैपिटा आय बढ़ी है। हमें देखना होगा कि आया आज जो हमारा बजट है उसमें मंत्री, जी के प्रति मुझे बहुत श्रद्धा है, जहां कहीं टैक्सेज की बात आयी है उसको बहुत सुन्दरता के साथ और सुन्दर भाषा में उन्होंने इस ढंग से रखा है कि हम समझ नहीं पाये कि वह क्या तरीका होगा। परन्तु हम चाहते हैं कि मंत्री जी हमको बतलायेंगे और समझायेंगे कि क्या टैक्स लगाने जा रहे हैं, किस पर लगाने जा रहे हैं। आप गांव में, विशेषकर अधिष्ठाता महो-

[श्री जगवीरसिंह]

दय, किसान के घर में अगर पहुंच कर देखा जाय तो मालूम होगा कि वह कितना परेशान है, क्या सोचता है, मालूम नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं उस किसान का सच्चा चित्र आपके द्वारा मंत्री जी के सामने अवश्य रख देना चाहता हूं। मेरा ऐसा विश्वास नहीं कि मंत्री जी उस चित्र को नहीं जानते, परन्तु मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि एक किसान होने के नाते, एक ग्रामीण होने के नाते और उनका प्रतिनिधि होने के नाते उस चित्र को मंत्री जी के सामने कुछ तर्क के साथ प्रस्तुत करूं।

अधिष्ठाता महोदय, यह निर्विवाद है कि जब हमको प्लान्स चलाने हैं तो उसके लिये हमको पैसे की आवश्यकता होगी, उसके लिये टैक्सेज लगाने होंगे, ऐसा हर कोई मित्र मानता है और मैं भी सहमत हूं। चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, जब सरकार की बागडोर सम्हालेंगे तो टैक्स जरूर लगायेंगे। किस पर टैक्स हो, यह विवाद का विषय हो सकता है। मेरे विचार में टैक्स होना चाहिये मालदार व्यक्ति पर। मेरे विचार में उस व्यक्ति पर टैक्स होना चाहिये जो प्लान से फायदा उठाता है और जिसकी आमदनी रोज बढ़ती है। मैं इन्हीं तीन तरीकों पर इस बात को नापने का प्रयत्न करूंगा। लीडर में जो आज यह निकला है कि हमारी सरकार ५० प्रतिशत लगान बढ़ाना चाहती है, मैं नहीं समझता कि यह बात सत्य होगी क्योंकि कांग्रेस सरकार बहुत पहले जमींदारी एबालिशन के समय कह चुकी है कि ४० वर्षों तक कोई लगान नहीं बढ़ेगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सत्यता होगी लेकिन यादि ऐसा विचार हो तो इन तीनों बातों पर इसको नापना होगा कि टैक्स किस पर लगे। जैसा मैं कह रहा था, हमारे प्रदेश में २०.६ प्रतिशत पर कैपिटा इनकम बढ़ी। सवाल है किसकी बढ़ी? आज हमारे प्रदेश में ७४ फीसदी व्यक्ति किसान हैं जो गांव में रहते हैं, मेरा निश्चित विश्वास है और विचार है कि आज किसान और देहात का सम्बन्धित मामला है, अगर उसको शहर और गांव का मामला कह दिया जाय तो मेरी राय में वही बात है और किसान की बात कही जाय तो मेरी राय में वही बात है। अब मैं आपके द्वारा बतला देना चाहता हूं कि दो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं और तीसरी योजना का एक वर्ष निकल चुका है, हमको देखना है कि हमारे ग्रामीण जीवन पर इन योजनाओं का क्या प्रभाव हुआ है, किसान पर और शहर में रहने वालों पर क्या असर हुआ है। यू० पी० के रहने वालों की २०.६ प्रतिशत आय बढ़ जाती है लेकिन अगर ५०–५१ से हम ५९–६० के आंकड़ों की तुलना करें तो आप देखेंगे कि दोनों प्लान्स के शुरू होने से पहले गांव में रहने वालों की पर कैपिटा इनकम प्रतिवर्ष २१०.६ रु० थी और दो प्लान्स समाप्त होने पर ५९–६० में जबकि तीसरी योजना में पदार्पण किया, १९१.१ रु० रह गई। हमको यह भी देखना होगा कि शहर में रहने वालों की ५०–५१ में प्रतिवर्ष ५४१.९ रु० आमदनी थी और ५९–६० में ६६५ रु० हो गई। हमको विचार करना होगा कि हमारे प्लान्स का नफा किसको हुआ। मैं एक बात कह देना चाहता हूं जिसकी ओर मैं समझता हूं मंत्री जी उचित ध्यान देंगे। ए० आई० सी० सी० ने श्री गुलजारीलाल नन्दा की चैयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी जिसने प्लानिंग कमीशन को रिपोर्ट दी। मेरे पास अंग्रेजी की यह रिपोर्ट है जिसमें से कुछ अंश पढ़कर मैं सुना देना चाहता हूं :

"Tax burden should fall primarily on those whose capacity to pay is greater and whose income increases as a result of the programmes of development which are under taken."

इसका अर्थ यह है कि टैक्स उन लोगों पर पड़ना चाहिये जोकि उसे देने योग्य हैं और जिनको डेवलपमेन्ट वर्क्स से नफा हो। अगर इस नाप से देखें तो मैं कह सकता हूं जिम्मेदारी के साथ कि किसान की हालत ऐसी नहीं है कि उस पर कोई टैक्स लगाया जाय। अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब किसान किसी चीज को पैदा करता है और बाजार में बेचने जाता है तो वह उसे होलसेल में बेचता है। मंडी के व्यापारी हमारी सब चीजों को होल सेल में खरीद लेते हैं जब कभी हमें जरूरियात की आवश्यकता होती है, जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उस चीज को हम रिटेल में खरीदते हैं। यदि हमें धोती की अयवश्यकता है तो एक धोती लेंगे, यदि जूते की आवश्यकता है तो एक जोड़ी लेंगे, अगर बैल

की आवश्यकता है तो एक ही बैल लेंगे, यानी जैसी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार लेंगे। यदि हम होल सेल रिटेल को देखते हुये कंज्युमर्स गुड्स की तुलना करते हैं तो इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि यदि किसान की हालत सुधरी हो तो किसान को टैक्स देना चाहिये, उसके ऊपर लगान बढ़ जाना चाहिये और यदि किसान की हालत नहीं सुधरी है और पहले से खराब हुई है तो अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं समझता कि यह कौन सा न्याय है कि हम उस निर्धन किसान पर टैक्स लगाने व लगान बढ़ाने की बात सोचें। मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी की समझ में यह बात कभी नहीं आती है और न वे इस प्रकार की कोई बात करने जा रहे हैं।

दुर्भाग्य से हमारे कृषि मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं वरना मैं उनसे मालूम करता कि यदि लगान में ५० प्रतिशत की वृद्धि हो गयी तो आप जनता को क्या जवाब देंगे जिस जनता के सामने आप कह कर यहां आये हैं कि ४० वर्ष तक कोई लगान नहीं बढ़ सकता है ?

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में साढ़े ४ करोड़ एकड़ जमीन है, इसमें ऊसर भी शामिल है और बाग भी। इस तरह से केवल ४ करोड़ एकड़ से कम जमीन प्रदेश में ऐसी है जिस पर काश्त होती है और आज हमारे प्रदेश की एक करोड़ फेमिली काश्त पर निर्भर हैं। अगर जमीन का बराबर बराबर बटवारा किया जाय तो एक परिवार पर साढ़े ४ एकड़ जमीन आयेगी। अगर भूतपूर्व माल मंत्री की बात को देखा जाय तो उन्होंने कहा था कि इकोनामिक होल्डिंग सवा ६ एकड़ से साढ़े १२ एकड़ तक की होती है। जो जमीन की किस्म व पानी के साधन होने पर निर्भर है। फिर मैं नहीं समझता कि साढ़े ४ एकड़ वालों का लगान बढ़ाना उचित होगा।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि अगर जमीन का बराबर बटवारा न किया जाय तो भी हमारे प्रदेश में लगभग ९० प्रतिशत ऐसी भूमि है जो अनइकोनामिक होल्डिंग है। आज किसानों की हालत के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसके पास साइकिल बहुत ज्यादा हैं। मैं हायर परचेज की बात तो नहीं मानता कि हायर परचेज से वे सब साइकिल खरीदे हैं लेकिन उसके ऊपर विचार किया जाय और साइकिल की दृष्टि से गांव का Survey किया जाय तो ज्ञात होगा कि जो बच्चे नौकरी करते हैं वे साइकिल खरीद कर अपने घरों में दे देते हैं। तो यह एक भ्रम पैदा हो गया है कि सचमुच किसान की हालत सुधरी है, यह बात नहीं है।

आज लीडर में मैंने पढ़ा कि अगर लगान बढ़ाना होगा तो वह लेजिस्लेचर के सामने नहीं लाया जायगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ सत्यता है क्योंकि कांग्रेसी सरकार कोई भी कदम ऐसा नहीं उठायेगी जो अनडेमोक्रेटिक हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बतलाया, कि अगर किसानों पर लगान बढ़ाने की बात हो तो दर असल यह हमारे वादे के विरुद्ध होगा, हमारी नीति के विरुद्ध होगा और किसान के साथ एक प्रकार का जुल्म होगा। अगर लगान बढ़ाना ही है तो जैसा कि मैंने कहा जिन लोगों ने दो प्लान में नफा उठाया है, जिन लोगों की आमदनी १० वर्षों के अन्दर बढ़ी, उन पर बढ़ाइये। जब हम एक प्लांड युग में रहते हैं तो टैक्स बढ़ाना होगा, अगर आय नहीं होगी तो टैक्स कहीं पर बढ़ाना होगा। यह कह देना कि कांग्रेस सरकार ने किसी तरह से कुछ नहीं किया, मैं उन दोस्तों से सहमत नहीं और मेरा अपना विचार है कि कांग्रेस सरकार करना चाहती है, करने जा रही है और प्रयत्नशील है उसके लिये। आज जो बजट प्रस्तुत है उसमें माननीय मंत्री जी ने समाजवादी समाज की स्थापाना का जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस की स्थापना करने में सफल होंगे और ऐसा कदम उठायेंगे जिससे गरीब अमीर का अन्तर कम हो, गरीब और गरीब न होता जाय और अमीर और अमीर न होता जाय। इसलिये मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी समाजवादी समाज की स्थापना करने में सफल हो सकेंगे। अन्त में मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह किसी तरह से भूले भटके ऐसा कदम न उठावें कि जिस से गरीब किसान और गांव के रहने वाले उस मजदूर के बच्चों को परेशानी पैदा हो और गांव का किसान जिसकी कि हालत मैं नहीं समझता कि आज भी अच्छी है वह और खराब हो। मैंने इस सम्बन्ध में दो तीन तर्क भी दिये और यदि मंत्री जी एक उत्तर बात का भी देंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। एक बात कही जा सकती है कि आय इसलिये घटी मालूम होती है कि यहां की आबादी बढ़ी है, लेकिन आप गौर करें कि आबादी जो बढ़ी है वह शहरों

श्री जगवीरसिंह]

की ही अधिक बढ़ी है और देहात की मुकाबले में कम बढ़ी है । इसलिये वह तर्क भी नहीं ठहरता कि पर कैपिटा आय इसलिये घट गई है क्योंकि आबादी ज्यादा बढ़ी है । अन्त में मैं एक बार फिर आप का आभार प्रकट करता हूं ।

(श्री चन्द्रबली का नाम पुकारे जाने पर) ।

**श्री दीपनारायणसिंह** (जिला फतेहपुर)---श्रीमन्, मैं कल से दस बार खड़ा हो चुका हूं. . . .

**श्री अधिष्ठाता**---मुझे ध्यान है आप चिन्ता न करें ।

**श्री चन्द्रबली** (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता महोदय, मैं इस १९६२-६३ के बजट के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह बजट निश्चित तौर पर मूर्खता का बजट है या किसानों, गांव के रहने वालों, छोटे कर्मचारियों और समूचे उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जनता, पिछड़े इलाकों के लोगों को धोका देने वाला है । मेरे इस नतीजे पर पहुंचने का कारण यह है कि इस बजट के सम्बन्ध में २ लक्ष्य बताये गये हैं जिस में पहले लक्ष्य में तो कहा गया है कि असाम्प्रदायिक लोकतंत्रात्मक राजनैतिक व्यवस्था के आधार पर संसदीय शासन की पद्धति की स्थापना करें जो जनता के द्वारा जनता के हित की दृष्टि से परिचालित हो । आज किसी भी शासन की परख ३ प्रश्नों पर होती है । शासन किस का है, किस के लिये और किस के द्वारा है । इस बजट भाषण में लिये और द्वारा तो बताया गया है लेकिन किस का है ? जिन का है उन का कोई जिक्र नहीं किया गया और इस 'का' के जवाब के बिना हमें धोखे में रखा जाता है और दूसरे लक्ष्य के सम्बन्ध में कहा जाता है कि प्रदेश का विकास समानता के आधार पर होगा और दूसरी तरफ अन्त में थूक के आंसू से रोया जाता है कि कहीं उत्तर प्रदेश पिछड़ न जाय । पिछड़े होने में कोई सन्देह की बात नहीं है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ पिछड़ जायगा बल्कि वह पिछड़ चुका है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो पुस्तिका बांटी है उसमें लिखा है कि "राष्ट्रीय आय की वृद्धि के मुकाबले में राज्य की आय की वृद्धि की गति कम होने के कारण परिणाम यह हुआ कि जब कि १९५०-५१ में राज्य की प्रति औसत आय राष्ट्रीय औसत आय से ५ प्रतिशत अधिक थी, १९६०-६१ में हमारी औसत आय राष्ट्रीय औसत आय से ७ प्रतिशत कम हो गई । दूसरे शब्दों में प्रति व्यक्ति औसत आय के आंकड़े के अनुसार यह राज्य देश के औसत के मुकाबले एक ऊंचे स्थान से काफी नीचे गिर गया है । इस प्रकर उत्तर प्रदेश और शेष देश के बीच की खाई बढ़ गई है ।" मंत्री जी कहते हैं कि पिछड़ जायगा और अपनी ही योजना में कहते हैं कि यह खाई बढ़ती जा रही है । अभी अभी उस तरफ से गाजीपुर के एक साथी ने कहा, कि क्या बात है कि जब विकास की योजना चालू होती है तो देश के पैमाने पर बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली की तरफ देखा जाता है और जब प्रदेश के पैमाने पर सोचा जाता है तब लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और इलाहाबाद सामने आते हैं । इसका एक मात्र कारण यही है कि यह सरकार या देश की सरकार समानता के सिद्धान्त पर बजट को पेश करती हैं और विकास की योजनायें चलाती हैं । जब देश को विकसित करना है कि तो निश्चित है कि जो अविकसित क्षेत्र हैं पहले उनको विकसित करना चाहिये । इसके लिये हमको बिलकुल आधार को ही बदलना पड़ेगा और उसकी बिना होगी विशेष अवसर का सिद्धान्त । तभी गाजीपुर के साथी की जो भावना है वह पूरी होगी, तब पिछड़े इलाके पिछड़ी जातियों, छोटे कर्मचारियों की तरफ ध्यान जायगा । जब आधार ही गलत है, तो जो विकसित हैं जो आगे बढ़े हुये इलाके या व्यक्ति हैं उन्हीं का विकास होगा और उनसे बचे तब उससे पिछड़े इलाकों वा व्यक्तियों को मौका मिले तो असमानता बनी ही रहेगी । अतः जब तक आधार ठीक नहीं होता तब तक प्रदेश का विकास या पिछड़े लोगों का विकास कभी भी सम्भव नहीं है ।

मैं आपको प्रमाण में बताऊं कि प्रदेश में करीब १ करोड़ एकड़ में बाढ़ का असर पड़ता है । अभी अभी बुलन्दशहर के कांग्रेसी साथी ने कहा कि साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन पर खेती होती है और एक करोड़ एकड़ खेत में बाढ़ का पानी जाता है । यह साफ-साफ तृतीय पंचवर्षीय

योजना पुस्तिका में लिखा हुआ है कि अगर साधारण बाढ़ आती है तो २३ लाख एकड़ और अधिक बाढ़ आयी तो लगभग १ करोड़ एकड़ भमि पर बाढ़ का असर पड़ता है । अधिष्ठाता महोदय, वह भी कभी कभी नहीं पूर्वी जिलों में खासकर देवरिया, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ में तो हरसाल बाढ़ आती है और बलिया में भी जब से यह सरकार बनी है तब से लगातार बाढ़ आती है जिसमें इस प्रकार सरकार का भी पाप शामिल है क्योंकि जमींदारी विनाश करते समय एक तरफ जमींदारी विनाश का बिल पेश किया दूसरी तरफ अपने जमींदार दोस्तों से कहा, अभी हम तोड़ेंगे नहीं । ६ साल तक लगातार गांव की एक बच्चों की खेल के अनुसार "कटेते नइखे" भी खेल सरकार खेल करती रही। नतीजा यह हुआ कि उन जमीन्दारों ने जब तक छोटे छोटे बरसाती नालों को काट नहीं लिया तब तक जमींदारी टूटी नहीं । नतीजा यह हुआ कि हर साल बाढ़ आती है जिसको समाप्त करने की कोई योजना नहीं है । नारायणी का पानी नहर के जरिये और छोटे-छोटे नालों के जरिये बाढ़ रोहिणी और छोटी गंडक द्वारा देवरिया, गोरखपुर के महाराजगंज, फरेंदा, सदर, बास गांव , देवरिया और हाटा तहसीलों को बरबाद कर रही है, उसको बांधने की कोई योजना सरकार नहीं कर रही है, जैसे मालूम होता है सरकार को उसका पता ही न हो । अगर बाढ़ की तकलीफ माननीय मंत्री जी को तथा सरकार को होती तो शायद उधर ध्यान जाता । लेकिन वह तो विकसित इलाके के हैं और खुद मंत्री महोदय ऐसे जरूर हैं कि उनके रिश्तेदार जब तकलीफ में पड़ते हैं तो उनका ध्यान उस तरफ जाता है । आप देखेंगे कि गोरखपुर में मलांव गांव में बांध बांधा गया है उस समय जब कि वित्त मंत्री सिंचाई मंत्री थे । वह मलांव गांव उनके रिश्तेदार का गांव है । लेकिन समूचे देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, बलिया में बाढ़ के इलाके के लिये कोई योजना की व्यवस्था इसमें नहीं है और न योजनायें हैं । अफसोस है कि घाघरा, राप्ती और गोर्रा से दर्जनों गांव कट रहे हैं, लोग बेघरबार हो गये हैं । उन्हें फिर से बसने के लिये कोई जमीन नहीं दी गयी । ५ वर्ष इस तरह से उनको हो गये । लोग सोचते हैं कि वजह क्या है कि पिछड़े लोगों के विकास के लिये कोई स्कीम नहीं है ? वजह क्या है कि छोटे लोगों की तनख्वाह बढ़ाने की कोई बात बजट में नहीं है ? वजह यह है कि यह सरकार सोचती है कि जो आगे हैं उनको पहले और सुखी और सम्पन्न कर लो, अमेरिकी स्तर पर तक पहुंचा दो, ताकि बाहर से आने वाले मेहमान लोग यह न समझें कि इस प्रदेश वा देश में गरीब रहते हैं क्योंकि उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना उन्हीं लोगों के घरों में होगा । आज गांव के लोगों की हालत दूसरी है और कुछ विकसित लोगों की हालत दूसरी है । आप देखते हैं कि चौकीदार की तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं होती है : बेचारा चौकीदार ५ रुपया पाता है । सेंध जहां पड़ती है उस जगह वह रहेगा । सेंध न पड़े, इसके बचाव के लिये चौकीदार रहेगा और ५ रुपया पायेगा और उस सेंध से जितनी दूर अधिकारी रहेगा वह उतनी ही ज्यादा तनख्वाह पायेगा । आई० जी० कलम से रक्षा करेगा, चोरी के स्थान से सबसे अधिक दूर रहता है और सबसे ज्यादा तनख्वाह पाता है, चपरासी पायेगा, अनेक सुविधायें पायेगा और वह चपरासी उसकी औरत तक का नौकर हो जायगा ।

पुलिस प्रशासन की इस उल्टी नीति का नतीजा है कि देवरिया जिले में तरकुलुआ थाना है। उसमें कंठी पट्टी गांव है । एक कुम्हार, उसकी औरत और दो बच्चे शीत लहरी के समय से घर से निकाल दिये गये हैं । घर पर ताला लगा दिया गया है । खेती बाड़ी जब्त कर ली गई है । गांव से निष्कासन हो गया है लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं है। रुद्रपुर थाने में खोरया गांव है। शिवधर भर दिन दहाड़े लूट लिये गये और बाल बच्चों सहित घर से निकाल दिये गये । कोई खबर पुलिस को नहीं है। रुद्रपुर थाने में चराई कटाई फैली हुई है । लगभग डेढ़ हजार बीघे कच्ची फसल काट व चरा डाली गयी है। ५०० बीघे की खेती पक्कीपांग ली गई है । जिसका नतीजा यह है कि आपस में संघर्ष बढ़ गया है। मुंडेरा में कत्ल हो गया । गोनाह गांव में बलवा हुआ। पिपरा गांव में गुंडे धमकी दे रहे हैं लूटने की। इस रंजिश के बढ़ जाने के कारण लूटपाट बढ़ गयी है और रुद्रपुर थाने के कुछ लोग यह समझने लग गये ह कि उनकी रक्षा पुलिस भी नहीं कर सकेगी। फलस्वरूप निबही में गंगा पांडेय की १० बीघा अरहर काट कर जमीन पर डाले जाने पर वह पीपल के पेड़ पर चढ़ कर "हरीराम ब्रह्म

[श्री चन्द्रबली]

हो" का नारा लगा रहे हैं । उन्हें विश्वास नहीं है कि पुलिस उसकी रक्षा करेगी और उसको विश्वास हो गया है कि "हरी राम ब्रह्म" उसकी रक्षा करेंगे । असली जो रक्षा करने वाला चौकीदार है वह दरोगा का नौकर हो गया है । दरोगा के घोड़े के लिये घास छीलता है । उसकी हालत खराब है । उसकी तनख्वाह कम है । रहन सहन उसका खराब है । फल-स्वरूप इस तरह से दरोगा उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और माननीय मंत्रीगण सब जानते हैं इस बात को । यह बात वे स्वयं कहते रहते थे जब वे कुर्सी पर नहीं थे । तब वे खुद अपने को देशभक्त कहते थे । आज वे यह बात कहते जरूर हैं लेकिन देशभक्त नहीं रह गये हैं क्योंकि अब वे विकसित लोगों के, अमीर लोगों के काले, अंग्रेजों के भक्त हैं और ये अब छोटे कर्मचारियों के आम जनता के, गरीब के, पिछड़ी जातियों के, पिछड़े इलाके के भक्त नहीं रह गये हैं। ये भक्त तो पिछड़ों और पिछड़े इलाके के तभी होते जब समानता के सिद्धान्त को छोड़ कर विशेष अवसर के सिद्धान्त पर आगे बढ़ते । और जब यह रास्ता छोड़ कर नया रास्ता अपनायेंगे तभी कर की पद्धति भी नयी होगी ।

बुलन्दशहर के साथी ने कहा कि मालगुजारी ड्योढ़ी न हो जाय । अरे, जबतक इस आधार को आप न बदलावायेंगे तबतक मालगुजारी ड्योढ़ी करने का जो शक है वह शक ही नहीं रहेगा, अमल में आयेगा । और दुर्भाग्य तो यह है कि ड्योढ़ी करने की खबर इस बजट के पेश होने के पहले अखबारों में छप गयी और बनारस के अखबारों में छप गयी जिस पर कार्टून निकला । पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन मेरे विचार से यह सदन का अपमान भी है । जनता की भलाई के लिये कर की पद्धति को तब्दील करना पड़ेगा और बिना मुनाफे की खेती से मालगुजारी निश्चित तौर पर हटायी जानी चाहिये । यह तभी होगा जब आधार बदला जाय क्योंकि अभी आधार तो विकसित को और विकसित करने का है ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः यह कहता हूं कि यह बजट या तो मूर्खता का है या पिछड़े लोगों को और अविकसित इलाकों को धोखा देने का है ।

**श्री महेशसिंह** (जिला हरदोई)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत बजट पर जो कल से वाद विवाद हो रहा है उसको मैंने ध्यानपूर्वक सुना । मुझे उम्मीद थी कि हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य जो प्रदेश के सामने बड़ी बड़ी समस्यायें हैं उन पर अपने कुछ रचनात्मक सुझाव देंगे जिससे यह सरकार लाभान्वित होगी । लेकिन मुझे यह खेद से कहना पड़ता है कि अधिकांश लोगों ने अपने स्थानीय मसलों को ही सामने रखा और बड़ी बड़ी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । मुझे विशेषकर माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को सुनने का पूरा अवसर मिला । उन्होंने भी बहुत मसले रखे और जिस मसले पर काफी जोर दिया और किताब भी कई जगह पढ़ कर कोट किया वह था कोआपरेटिव फार्मिंग । वैसे तो बजट में सहकारी खेती के लिये कोई बहुत बड़ी मद नहीं है फिर भी उन्होंने इस पर बहुत ध्यान दिया इसलिये मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं ।

सहकारी खेती के विषय में काफी वाद विवाद सदन में और बाहर भी कई सालों से हो रहा है । उन्होंने यह दलील माननीय चौधरी चरणसिंह की किताब को पढ़ कर दी कि भारतवर्ष में जो पजेसिंग इंस्टिक्ट है,यानी आदमी को अपनी खेती को व्यक्तिगत बनाये रखने की जो प्रवृत्ति है वह एक ऐसी चीज है जिसके कारण यह कभी भी संभव न हो सकेगा कि खेती की तरक्की सहकारी खेती करके की जाय । मैं समझता हूं कि यह भारत के लिये कोई अनोखी बात नहीं है । भारत में ही नहीं भारत से अधिक पजेसिंग इंस्टिंक्ट वाले देश चीन में जहां के लोग भारत से कहीं ज्यादा दकियानूसी थे, वहां भी जब सरकार ने इस ओर प्रयास किया तो इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज के जरिये सारी खेती उसके अन्तर्गत आ गयी और काफी तरक्की वहां हुई । चीन का नाम लेने से कोई घबराये नहीं । हमें तो जहां भी कोई तरक्की हो उसको अपनाने की बात सोचनी चाहिये । जब वहां सहकारी खेती इतने थोड़े समय में इतनी उन्नति कर सकी

यहां भी करनी चाहिये । मैं एक दलील नहीं समझ पाया । कहा जाता है कि गांवों में किसानों की हालत ऐसी है कि जो हमारा टेक्नोलाजिकल एडवान्समेन्ट है उसका फायदा वे नहीं उठा पाते हैं । मैं नमूने के तौर पर कह दूं कि नहरें तो बढ़ती जाती हैं लेकिन पानी खरीदने वाला कोई नहीं है । सन् ५४-५५ में जितना पानी बिका सन् ५७-५८ में उतना नहीं बिका । यह बात क्यों होती है ? इसलिये होती है कि किसानों की क्रय शक्ति कम है । ऐसे ही आपने देखा कि खेती के लिये सरकार ने उर्वरक का बहुत बड़े पैमाने पर इन्तजाम किया और हर विकास क्षेत्र में और सहकारी समिति द्वारा हर गांव में, और मैं यहां तक कहूंगा कि प्रदेश के ७५ फीसदी गांवों में यह उर्वरक भेजे जा रहे हैं । लेकिन खरीदने वाले नहीं है । मैं हरदोई के संबंध में कहना चाहता हूं कि वहां पर कोआपरेटिव बैंक है उससे किसान उर्वरक लेना नहीं चाहते हैं और रुपया नगदी में लेना चाहते हैं । वे कहते हैं कि अगर हम उर्वरक लेंगे तो उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे और रुपया अदा नहीं हो सकेगा । इस तरह से हमारे सामने फर्टिलाइजर्स की दिक्कत यह है कि खरीदने वाला कोई नहीं है । मैं विरोधी पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं जो सहकारी खेती के खिलाफ हैं कि हालत कैसे सुधरेगी । इसका एक ही तरीका हो सकता है कि हमारे यहां के किसान मिलजुलकर काम करें और वे इन चीजों का फायदा उठा सकें और टेक्नोलोजीकल एडवांसमेन्ट का फायदा उठा सकें । इन चीजों का उपयोग वे कर सकें जिससे खेती की उपज बढ़े ।

एक दलील अक्सर दी जाती है कि कोआपरेटिव फार्मिंग का मसला ऐसा है जिस पर अधिकांश लोगों का विश्वास नहीं है । मैं कहता हूं कि अपने यहां के देहातों की हालत यह है कि जब चेचक का टीका लगना शुरू हुआ तो लोग इसके बहुत खिलाफ थे और लोगों में इसके प्रति आस्था नहीं थी । लेकिन फायदे की चीज है । इसलिये इसका धीरे धीरे प्रचार हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर इसका काम हुआ । हर बात में यह कहना कि सरकार दबाव से काम लेना चाहती है ठीक नहीं है और इससे कोई काम बनने वाला नहीं है । अगर सरकार कड़ाई से काम लेती है और जनहित में है तो सरकार को जरूर कड़ाई करनी चाहिये ।

मेरा कहना यह है कि जिस तरह से छोटे से पैमाने पर सहकारी खेती का प्रोग्राम बनाया गया है वह नाकाफी है । जहां लोग कहते हैं कि सहकारी खेती नहीं होनी चाहिये वहां मैं यह कहता हूं कि इस प्रोग्राम को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिये जिससे जो आज हमारे गांवों की हालत बिगड़ती जा रही है उसमें सुधार हो सके । अगर हम इसको बड़े पैमाने पर शुरू नहीं करेंगे तो हालत बिगड़ सकती है जैसे कि एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा था और आपके सामने फिगर्स रखे थे कि हालत चिन्ताजनक है । आगे अगर हमने कोई नया कदम नहीं उठाया तो खेती की तरक्की नहीं हो सकती है बावजूद इसके कि सरकार की तरफ से लोन का और खेती के औजारों का तथा फर्टिलरजर्स का प्रबन्ध है । इसलिये कि इन सामानों का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं हो पाता है, आगे भी नहीं होने वाला है अगर हमारी खेती का ढांचा इसी तरह का रहता है, सरकार को इसके बदलने के लिये फर्म डेटरमिनेशन से काम लेना चाहिये ।

जहां तक पशुधन की बात है, मैं उन लोगों में से हूं जो समझते हैं कि पशुधन के विकास में खेती की तरह से अड़चनें नहीं हैं । खेती में अधिक धन लगाकर भी सरकार पार नहीं पा सकी है लेकिन पशुधन में थोड़ा सा धन लगाकर भी अधिक तरक्की कर सकते हैं । इसमें जो अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें असल में बंधन गलत धारणा का और भावना का है । मैं अगर यह कहूं कि गौ के नाम पर वोट मांगने वाले लोग गौ के सबसे बड़े दुश्मन हैं तो गलत नहीं होगा । अक्सर लोगों ने इस को भावना का विषय बना लिया है और समस्याओं स मुंह मोड़ लिया है ।

आप जानते हैं कि कितने अनुपयोगी पशु अपने उत्तर प्रदेश में हैं । उन अनुपयोगी पशुओं से हमारा कितना नुकसान होता है लगभग महीने भर हुआ हमारे माननीय कृषि मंत्री ने मथुरा में एक भाषण दिया था और उन्होंने इस समस्या का छोटासा हल निकालने की तरफ इशारा किया था । उन्होंने कहा कि पशुओं में बर्थ कंट्रोल की बात की जाय । मैं समझता हूं कि, वह बहुत बड़े पंडित ग्रामीण समस्याओं के हैं, लेकिन इससे

[श्री महेशसिंह]

बहुत बड़ा काम बनने वाला नहीं है । और न वह इतने बड़े पैमाने पर कंट्रैसेप्टिव ही तैयार कर सकते हैं । जहां तक गोसदनों का संबंध है, अपने प्रदेश में केवल ९ गोसदन हैं, पांच सरकारी और चार गैर सरकारी । इन समस्याओं को समाजवादी विचारधारा के लोग सोचें और सरकार को पूरा सहयोग दें जिससे हमारी ग्रामीण समस्यायों पर पूरी रोशनी पड़े और जो लोग खाली भावना से काम लेने वाले हैं उनको मालूम हो जाय कि इन छोटी मोटी बातों को लेकर जो लोग अपने देहाती क्षेत्र में एक तरह से विकास रोके हुये हैं, वह बहुत गलत चीज है । इसकी काफी चर्चा प्रेस और पब्लिक में हो तभी कुछ काम बनने वाला है ।

खेती के अन्तर्गत दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह है बागबानी का विकास । आप जानते हैं कि बागबानी में खेती से अधिक लाभ है । यह जान कर शायद सभी माननीय सदस्यों को बड़ी खुशी होगी कि देश भर में बागबानी का जितना रकबा है उसका लगभग ४२ प्रतिशत रकबा उत्तर प्रदेश में है । बल्कि आम और अमरूद भारत में जितना पैदा होता है उसका हम ६० प्रतिशत पैदा करते हैं । हमारे पास यह एक बड़ा भारी साधन है जिसका हम उपयोग करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं । खेती के साथ साथ हम यह एक सब्सिडियरी इंडस्ट्री बढ़ा सकते हैं । हमारे प्रदेश में उत्तराखंड और कुमायूं डिवीजन ऐसे डिवीजन हैं जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर फलों की खेती होती है । उसका बहुत विकास किया जा सकता है । वहां के किसानों की आमदनी फलों के बागों से होती है । उन फलों को प्रिजर्व करके, डिब्बाबन्दी करके बाहर भेज सकते हैं जिस से बहुत बड़ा धन प्रदेश में पैदा कर सकते हैं । आप जानते हैं कि जब पहले पहल यहां चीनी की मिल खुली तो यह आशा नहीं थी कि बहुत बड़ा काम यहां चीनी का बढ़ने वाला है लेकिन जब शुरू में सरकार ने कुछ प्रोटेक्शन दिया तो धीरे धीरे यह व्यापार हमारा प्रमुख व्यापार हो गया । उसी तरह से जो बागों की सम्पत्ति है उसका उपयोग यदि हम छोटे छोटे गृह उद्योगों द्वारा डिब्बा बन्दी करके करें तो बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को खेती के साथ साथ एक नयी आमदनी मिल सकती है । गेहूं से एक एकड़ में जितनी आदमनी होती है, फलों से उतनी आमदनी १/५ एकड़ में होती है ।

मैं एक बात की ओर और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अक्सर लोगों का ध्यान इस ओर बहुत जाता है कि खाद्यान्न बहुत कम हैं लेकिन उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि समस्या का हल तभी हो सकता है जब हमारी खाने की आदतें बदलें । जितने ही विकासशील देश होते हैं खाने में उतना ही कम अनाज का अंश रहता है । अमेरिका में अनाज का जो अंश है वह हम से आधा ही है । यह नियम सा बन गया है कि जितना ही विकासशील देश होगा उतना ही अन्न कम खाता है, (केवल जापान को छोड़कर) । अगर हम अपने राज्य में अपने खाने में फलों और सब्जियों को ज्यादा स्थान दें तो यह समस्या हल हो सकती है । दूध की भी ऐसी ही समस्या है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में दूध का कुछ बड़े शहरों में इन्तजाम किया गया है । लेकिन वह नाकाफी है । आप बड़े पैमाने पर दूध कर इन्तजाम कर सकते हैं । इस सिलसिले में मैंने एक पत्र स्वायत्त शासन मंत्री को लिखा था कि किस प्रकार छोटे प्लान्ट लगा कर छोटे कस्बे में दूध को सहकारी समितियों द्वारा इकट्ठा करके, म्युनिसिपैलिटी द्वारा वितरण करवायें । इसमें सरकार का कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है । छोटे प्लान्ट यहीं बना सकते हैं । उसमें कोई खास मशीनरी नहीं होती ।

मदरास गवर्नमेंट ने यह प्रबन्ध किया है कि स्कूलों में बीच में बच्चों को कुछ खाने को दिया जाय । अगर उत्तर प्रदेश में भी यह स्कीम चालू हो जाय तो बच्चों को दूध या डिब्बे का फल मिल सकता है । यह एक नया काम होगा और इससे बड़ी भारी तरक्की होने वाली है ।

श्रीमन्, बहुत सी बातें भ्रष्टाचार वगैरह की की गयीं। एक आध सुझाव मैं भी देना चाहता हूं जिससे कुछ लाभ हो सकता है। अक्सर मेरी इंजीनियर्स वगैरह से बात हुई। उन्होंने बताया कि कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर अगर सरकार सख्ती से काम ले तो काम बन सकता है । मान लीजिये

ठेकेदारी का काम है। ठेकेदार को उसके बिल का बहुत दिन तक पेमेंट नहीं मिलता। उसमें बीच में भ्रष्टाचार का मौका रहता है। इसलिए सरकार एक समय नियत कर दे कि इतने दिन के अन्दर बिल पास हो जाय या नहीं पास होगा। अगर यह हो जाय तो वह भ्रष्टाचार बहुत हद तक रुक सकता है।

कोआपरेटिव के सम्बन्ध में भी मैं सुझाव देना चाहता हूं। कोआपरेटिव में बहुत बड़े एम्बेजेलमेंट पकड़े जाते हैं। उसको रोकने के लिये कोई चेष्टा की जानी चाहिए। अगर एक ऐंटी-एम्बेजेलमेंट आफिसर नियुक्त कर दिया जाय जो जिले जिले में जाकर पहले से चेतावनी देता रहे तो उसकी रोकथाम हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—मान्यवर, बजट के सिलसिले में मैं एक बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह कि जिस ढंग से बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाहों में और भत्तों में बढ़ौती करने का सुझाव दिया गया है यह बिलकुल गैरमुनासिब सी चीज है। जो आदमी ३ हजार रुपया माहवार के रूप में ले रहा है उसकी तनख्वाह ३६०० कर दी जाय और इसी तरह से बड़ी बड़ी तनख्वाहें पानेवाले जो पुलिस के या और आफिसर हैं, आई० ए० एस० के आफिसर हैं जिनकी तनख्वाह अब भी काफी है उनकी तनख्वाहों में बढ़ोत्तरी कर दी जाय, यह बढ़ी नामुनासिब सी चीज है जबकि छोटे छोटे सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहों में बहुत कम बढ़ोत्तरी हुई है। अगर यह रकम बचा ली जाय तो काफी जो बजट में घाटा होने जा रहा है उसमें कमी हो सकती है। क्या वजह है कि इन अफसरान को मौजूदा हालात में और रुपया दिया जाय जबकि वह आज जो साधन उनके पास हैं उसी में काफी खुश हैं और काफी उनके पास साधन हैं। जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं उनके सिलसिले में यह कहा जाय या अगर आप यह समझें कि वह अपनी इन्हीं सैलरीज पर अपने आपको बेस करते हैं तो यह बिलकुल नामुनासिब सी बात है। उनके तो सौ तरीके हैं, सौ धन्धे हैं कमाने के। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि जितनी ये कोतवालियां हैं और जितने जिलों में ये दूसरे अधिकारी वर्ग हैं, जिस तरह से दूसरे ठेके नीलाम होते हैं, उसी तरह से उनके भी ठेके नीलाम कर दिये जायं साल साल भर के लिए तो करोड़ों रुपया इस तरह से आमदनी के रूप में सरकार को मिल सकता है। वहां तो मुफ्त काम करने के लिए वह तैयार हैं। तनख्वाह को वहां कौन पूछता है? वहां तो कमाने के ढंग ही और हैं। मैं जिस तरह के कप्तान पुलिस आज हैं उनमें से एक की मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं। हमारे यहां एक नामी डाकू मारा गया। कई हजार रुपया उसके पकड़े जाने या मारे जाने पर इनाम पर था। उसके मारने के पांच घंटे बाद कप्तान साहब बहादुर को इत्तिला मिलती है कि डाकू मारा गया। लेकिन पांच घंटे बाद वहां पहुंचने पर भी डाकू की लाश को कई गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और उसकी इत्तिला बाकायदे मिनिस्टरान को और सरकार को दी जाती है। मैं खुद आकर मिनिस्टर महोदय से मिला। लेकिन एन्क्वायरी होने के बाद और सी० आई० डी० की एन्क्वायरी भी होती है, उसके बाद भी केस को दबा दिया जाता है और उसको सजा क्या दी जाती है कि आपको बजाय एस० पी० के बड़े इलाके में भेजकर एस० एस० पी० बनाया जाता है और बना दिया गया। इस तरह से उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है कि आपको और तरक्की मिलेगी, और पैसा आपको मिलेगा। अगर इसी तरह से आपकी हुकूमत चलेगी और हजारों लाखों आदमियों की जानें ली जायेंगी तो आप सोचिए कि इस राज्य के अन्दर क्या होने वाला है। यह तो रही एक बात।

अब आपकी प्लानिंग के सिलसिले में मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि प्लानिंग आफिसरों के मातहत पिछले दो तीन सालों में इतनी गाड़ियां कोयले की दी गई हैं कि जिसकी कोई इन्तहा नहीं जबकि लोग कोयले की कमी की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा रहे हैं। बेइन्तहा कोयला भट्ठे के नाम पर उनके जरिये दिया गया और ऐसे ऐसे भट्ठों के नाम पर जिनका कि कहीं नामोनिशां नहीं है। मेरे जिले में एक इस तरह का बड़ा भारी स्कैंडल पकड़ा गया। उसकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

एन्क्वायरी डी० एस० ओ० को सौंपी गई । अफसरान ने सारा केस दबा दिया । ऐंटी करप्शन आफिसर ने इस केस को चलाने में मदद की थी लेकिन आज दो साल बाद भी पता नहीं चला कि उसमें क्या हुआ । सारा केस दबकर रह गया । अगर मिनिस्टर महोदय या सरकार इस सिलसिले में जांच करने का जरा प्रयत्न करें तो उन लोगों की आंखें खुलें कि यह अफसरान जिनकी तनख्वाहें वह बढ़ाने जा रहे हैं, जिनकी पीठ वह ठोंक रहे हैं, उनकी काली करतूतें किस तरह से दुनिया को परेशान कर रही हैं ।

अब सोचिये एजुकेशन का सवाल है । जहां तक एजुकेशन का सवाल है, यह ठीक है कि बहुत से स्कूल खुलते जा रहे हैं और बहुत से लोगों को नौकरी भी मिल रही है जो टीचर के तौर पर वहां पर आते हैं । मगर हालत क्या है यह भी देखने की जरूरत है । एक मिनिस्टर एक मर्तबा किसी स्कूल की विजिट करने के लिये जाते हैं तो ५, ५ और १०, १० दिन तक लड़कों और लड़कियों को नाच गाना सिखाया जाता है । कोई पढ़ता नहीं है, उनका ध्यान नाच और गाने की तरफ हो जाता है ताकि जो मिनिस्टर वहां पर आयेंगे उनके सामने लड़कियां नाचें । यह पढ़ाई का हाल है कि चाहे १० वीं कक्षा का विद्यार्थी हो या ८ वीं का अगर उसको चिट्ठी लिखने को दी जाय उसके पिता या उस्ताद के लिये तो वह एक चिट्ठी नहीं लिख सकता है । आज हमारे एजुकेशन का स्तर गिर चुका है । पढ़ाई का स्तर गिर चुका है । अगर अच्छे ढंग से आप रुपया रखते भी चले गये और उसका इस्तेमाल सही तरीके पर नहीं हुआ तो देश की हालत बद से बदतर होती चली जायगी ।

अब आप अस्पताल को ले लीजिये । अस्पतालों के लिये जरूर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों से बहुत सा रुपया लिया गया है लेकिन जहां उनसे लाखों रुपया लिया गया है वहां उनको दूसरी तरह की सुविधाएं दी गई हैं । अगर किसी से ४ लाख रुपया लिया गया है तो उसको उसके एवज में ५० लाख की सुविधा उसके इनाम में मिली है । अस्पतालों में बड़ी बड़ी रकम की दवाइयां पहुंचाई जाती हैं लेकिन इस बात का कोई देखनेवाला नहीं है कि वह दवाई जिन आदमियों के लिये पहुंचाई गई है वह उनको मिली या नहीं । वे दवाइयां अस्पतालों में नहीं मिल पाती हैं । वही दवाइयां बाजार के अन्दर वही डाक्टर सजेस्ट करता है कि फलां जगह से वह दवा ले आओ और वह आदमी बाजार में जाकर उस दवाई को ले आता है जिस पर लिखा रहता है कि नाट फार सेल लेकिन वह ब्लैक मारकेट में जाकर वहां बिकती है । दूसरे मरीजों के काम में वह दवा आती है । मैं अपने जिले सहारनपुर की एक सही बात आपके सामने रखना चाहता हूं । वहां पर अस्पताल के बाहर एक मंडी सी बन गई है । वहां पर दुकानें हैं । उन दुकानों पर अस्पताल की मुहर लगी हुई दवाइयां बिकती हैं । मैंने वहां पर इसके लिये काफी प्रचार किया और इसके लिये लड़ाई भी लड़ी लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न मैं कामयाब हुआ और न हमारी पार्टी ही इसमें कामयाब हुई है क्योंकि हर अफसर के पीछे कोई न कोई ऐसा साधन है जिसकी सीधे पहुंच हमारी सरकार के लोगों तक है, किसी की एक मिनिस्टर से तो दूसरे की दूसरे मिनिस्टर तक है । हर किसी की पहुंच यहां पर किसी न किसी से बनी हुई है । कोई रिश्तेदार है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई बाप है जिसकी वजह से हालत यह होती है कि उनको गलती पर लाने की कोशिश की जाती है और गलत रास्ते पर उनको चलाने की कोशिश की जाती है । सरकार को तो यह सोचना चाहिये कि यहां का काम ठीक ढंग से चले और जो कार्य करना हो वह निजी तौर पर नहीं बल्कि सारी जनता के लिये समझकर करना चाहिये । सरकार का कार्य निजीतौर पर नहीं बल्कि सारी जनता के लिए होता है ।

मैंने एजूकेशन और कोयले के विषय में आपके सामने चर्चा की । अब यह जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है, उसमें ठीक है कि बहुत रुपया मांगा गया है और उसमें जगह जगह खर्च करने के लिये बहुत सा रुपया रखा गया है लेकिन उसमें कोई चर्चा राष्ट्रीयकरण का नहीं किया गया है । मेरे यहां आठ आना यूनिट पर बिजली बिकती है । प्राइवेट कम्पनी उसको बाहर से मंगा कर बेचती है लेकिन क्या वजह है कि इतने वर्ष गुजर जाने पर भी बिजली का राष्ट्रीयकरण

किया जाता है। उस कम्पनी का आज भी प्राइवेट इदारा चल रहा है। क्यों चल रहा है ? वह इसलिये कि उसको करोड़ों रुपये का मुनाफा है जो दूसरे लोगों की जेब में चला जाता है। जब कि जगह जगह बिजली सरकार अपने हाथ में लेती चली जाती है तो मैं भी सरकार से इल्तजा करूंगा कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाय और जितनी प्राइवेट कम्पनी इस वक्त बिजली के सिलसिले में चल रही हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये ताकि वह रुपया यहां की जनता के काम आ सके, देश के उत्थान के काम में आ सके और प्राइवेट लोगों के हाथ में न जाने पावे। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जिनके सिलसिले में आपने कहा भी है, लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि आपने जो रुपया इकट्ठा करने की कोशिश की है उस रुपये का सही इस्तेमाल होना चाहिये। आप देखें कि जितना रुपया जिस काम के लिये आपने दिया है वह वहां खर्च होता है या नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितना रुपया आप आसानी से जमा कर पाते हैं अगर उसका सही इस्तेमाल हो और वह रुपया गलत हाथों में जाने से बचाया जा सके तो इतने में ही काफी गुंजायश निकल आयेगी और आप को प्रदेश की जनता पर और अधिक टैक्स लगाने की जरूरत न पड़ेगी।

एक चीज और कहना चाहता हूं। सुन रहा हूं कि भूमि पर टैक्स और ज्यादा बढ़ने जा रहा है, लेकिन हमें तो यह पता है कि हमारे प्रदेश में लोगों के पास ज्यादा अनइकानामिक होल्डिंग्स हैं। चौधरी साहब जैसे सज्जन पुरुष हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और कुछ समय पहले तक उनकी नीति यह थी कि अनइकोनामिक होल्डिंग्स पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। जिन जमीनों से एक परिवार का भरणपोषण न हो सके उन पर से कर भार हटा लिया जाना चाहिये। आप थोड़े से ही शुरू करिये। आप १०, ५, २ बीघे से ही शुरू करिये, लेकिन एक कदम उठाने की तरफ ध्यान तो दीजिये। हो सकता है कि ऐसे गरीब आदमियों के बच जाने पर आप प्रदेश की भलाई का कोई रास्ता निकाल पायें, कोई ढंग संभव है ऐसा निकल सके कि जिस से जनता का फायदा हो सके। आप तय कर लें कि जमीन से इतनी आमदनी होने पर हम कोई टैक्स नहीं लगायेंगे, उनको करों से राहत देंगे और दो, तीन करोड़ रुपया आप इस नाते बजट में रखिये। मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ी तादाद में जनता को आराम मिलेगा और आपकी जड़ें आइन्दा के लिये मजबूत होंगी और लोग आप को दुआएं देंगे।

बार बार यह कहा जाता है कि हमारी कुर्बानियों का ही यह नतीजा है कि देश को आजादी मिली, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त के कांग्रेसी आप के साथ हैं कितने ? कुर्बानी देने वाले कांग्रेसी आज कांग्रेस में नहीं रहे। वह आपकी बुराइयों को देख कर आप को छोड़ कर चले गये हैं। आज कल आप में लेऊ कांग्रेसी हैं, देऊ नहीं। हमें अच्छी तरह से याद है कि जो लोग जेल में हमारा रास्ता काट दिया करते थे, जो उस समय हमारा विरोध करते थे आज वही टेढ़ी टोपी लगा कर उन बेंचों पर बैठते हैं और उन्हें देख कर हमारा कलेजा फुंकता है। उनको कांग्रेसी कहते देख कर हमें परेशानी होती है। मैं, अधिष्ठाता महोदय, अपने कटु शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूं और चाहता हूं कि मेरी बातों पर ध्यान दिया जाय।

**श्री मूलचन्द शास्त्री** (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, सदन के सामने जो वर्ष का सबसे आवश्यक विषय हो सकता है—बजट, वह प्रस्तुत है। जैसा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बतलाया था, कांग्रेस की यह पुरानी नीति रही है कि वह समाजवादी व्यवस्था की तरफ अपने प्रदेश को ले जाना चाहती है। हमें देखना यह है कि मनुष्य के लिये कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुयें हैं कि जिन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। उदाहरण के लिये कोई भी मनुष्य हो, उसे मकान की आवश्यता है, उसे खाने के लिये रोटी की आवश्यकता है, उसके लिये, अच्छी तरह आ जा सकने के लिये सड़कों की आवश्यकता है। सब बातों को ठीक ठीक समझ सके इसके लिये शिक्षा की आवश्यकता है और उसके साथ साथ यदि वह बीमार हो तो उसके लिये औषधालय और हास्पिटल्स की आवश्यकता है। तो जैसा मैंने कहा, ये कुछ ऐसी आवश्यकतायें हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिये जीवन से बंधी हुई हैं और कोई भी बजट जो इन आवश्यकताओं को पूरा करता हो, मैं समझता हूं, यह बजट हमें समाजवादी व्यवस्था की तरफ ले जाने वाला बजट

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

है। इस दृष्टि से अगर हम इस बजट को देखें तो निश्चय ही यह मानना पड़ेगा कि उसके अन्दर उन सब बातों के लिये प्राविधान किया गया है, जिन बातों के लिये कि हम आवश्यकता समझते हैं।

हमारा प्रदेश कृषि-प्रधान प्रदेश है और जब तक हमारे यहां कृषि की उन्नति नहीं होगी तब तक हम कोई तरक्की नहीं कर सकते। कृषि की तरक्की के लिये जिन जिन साधनों की आवश्यकता है उन सभी साधनों को पूरा करने के लिये इस बजट में कोशिश की गयी है और उनको मुहैया करने का प्राविधान है। कृषि की उन्नति के लिये जहां और बातों की आवश्यकता है वहां इस बात की भी आवश्यकता है कि हमारे खेत इकट्ठे कर दिये जायं और उसके लिये हमारी सरकार ने चकबन्दी योजना चलायी और उसका जितना लक्ष्य निश्चित किया गया था उससे अधिक और थोड़े समय में उस लक्ष्य को पूरा किया गया। यह ठीक है कि चकबन्दी से किसी किसी भाई को शिकायत हुई, मगर इससे ७५–८० फीसदी लोग संतुष्ट रहे हैं और यही बड़ी कामयाबी है। चकबन्दी का कोई भी ढंग ऐसा नहीं हो सकता था जिससे कि शत् प्रतिशत लोग संतुष्ट रहें और किसी को कोई शिकायत न रहे। मुझे खुशी है कि कुछ गांवों में, मेरठ आदि जिलों में तो ९० फीसदी लोग चकबन्दी से संतुष्ट हुए हैं। तो हमारी सरकार ने किसानों की एक मुख्य आवश्यकता को, जो चकबन्दी हो सकती थी, पूरा किया है और उस की इस प्रकार से व्यवस्था की जिससे ७५–८० फीसदी लोगों को संतोष हुआ है। प्रारम्भ में मुजफ्फरनगर में चकबन्दी के बारे में लोगों को शिकायतें हुईं, मगर अब लोग संतुष्ट हैं।

इसलिये मैं यह कह रहा था कि हमारे प्रान्त को अगर समृद्धि से भरपूर करना है तो कृषि की उन्नति की आवश्यकता है और उसके लिये एक और आवश्यकता है, और वह है कर्जा देने की। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि हम कृषि की उसी प्रकार से उन्नति करना चाहते हैं जिस प्रकार से उद्योग धंधों की। मैं समझता हूं यह बड़े ही संतोष की बात है। अपने प्रान्त में उद्योगों के लिये जिस प्रकार से सरकार कर्जा देती है, बैंकों से कर्जा मिलता है, दूसरे अन्य तरीकों से मिलता है, उसी प्रकार से सरकार ने कृषि के लिये भी कर्जा देना निश्चय किया है। इसके लिये पिछले बजट में जहां लगभग डेढ़ करोड़ रुपया था, अब वह सवा ४ करोड़ कर दिया गया है और वह धीरे धीरे और बढ़ता ही रहेगा ताकि किसानों को यह शिकायत न हो कि रुपया न मिलने के कारण उन्हें दिक्क़त हुई और वे अपनी खेती को उतना न बढ़ा सके जितना कि रुपया मिलने से बढ़ सकती थी।

खेती के लिये एक और चीज़ की आवश्यकता होती है और वह है सिंचाई की। पिछले बजट में सिंचाई के लिये ८ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी और इस बजट में उनके लिये करीब करीब १२-१३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इससे यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार धीरे धीरे किसानों को आगे बढ़ाना चाहती है और उनकी मुख्य मुख्य आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती है। सरकार ने करीब करीब सवा ४ करोड़ रुपया इस हेतु भी रखा है कि जो लोग कर्जा लेकर अपना कुआं या ट्यूबवैल लगाना चाहते हैं वे सरकार से रुपया लेकर बनवा सकें। और इसके लिये भी साढ़े चार करोड़ की धनराशि हमारी सरकार ने निश्चित की है। और यदि यह सब काम योजना के अनुसार पूरा हो जायगा तो १३ लाख एकड़ जमीन अधिक सींची जा सकेगी जितनी कि अब सींची जा रही है। यह बहुत बड़ा कदम है किसानों को ऊपर उठाने के लिए।

इस सदन में काफ़ी इस विषय पर चर्चा हुई कि हर साल बाढ़ से बहुत बड़ा नुक़सान होता है। प्रकृति के प्रकोप पर काबू पाने की मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी आसानी से जिस तरह से प्रदेश तरक्की कर रहा है उससे हमने धीरे धीरे प्रकृति के प्रकोप पर काबू पाने का प्रयत्न किया है। इसी बात को ध्यान में रख कर हमारी सरकार ने एक मास्टर प्लान की योजना बनायी है और हमें यह पूरी आशा है कि वह सफल होगी और ५६ लाख एकड़ जमीन जो बाढ़ से सतायी जाती थी उसको हम बचा सकेंगे और न केवल उसमें कुछ पैदा कर सकेंगे बल्कि उसे पैदावार को ड्योढ़ी कर सकेंगे।

तो इस बजट में सब से पहले इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम किसानों की किस तरह से उन्नति कर सकें, उन साधनों को एकत्रित करें जिनके द्वारा हमारा कृषि प्रधान देश आगे बढ़ सके, उद्योग धंधे बढ़ें ताकि खेती पर अधिक बोझ न पड़े। आज खेती पर ७५–७६ फीसदी लोग निर्वाह करते हैं। यदि इस प्रतिशत को ५०–५२ पर लाया जा सके तो बहुत अच्छा हो और उसके लिए उद्योग-धंधों की व्यवस्था की गयी है। उदाहरण के लिए जैसा कि अभी आप को बतलाया गया, हरिद्वार में एक बहुत बड़ा हैवी इलेक्ट्रिक कंसर्न शुरू किया गया है और वह जल्दी ही ४–५ साल में तैयार हो जायगा तो उद्योग-धंधों की तरफ विशेष प्रगति होगी। उसके साथ साथ रबड़ का कारखाना, कपूर बनाने का कारखाना, ट्रेक्टर, न्यूज़ प्रिंट और दूसरी तरह का कागज़ बनाने के कारखाने लगाये जा रहे हैं। गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया की नीति और जो सुख-सुविधायें हमारी सरकार देना चाहती है उसको देख कर काफी उद्योगपति अब यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आकर अपने कारखाने लगावें, जगह जगह उन चीजों का निर्माण शुरू करें जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारी प्रान्तीय सरकार ने उसका ध्यान रखा और इस वर्ष के बजट में करीब करीब १२–१३ करोड़ की व्यवस्था की ताकि बिजली को अधिक बढ़ा सकें। काफी बांध इसी मंशा से बांधे जा रहे हैं ताकि पानी के साथ विद्युत् शक्ति भी प्राप्त हो सके।

जहां और सुख-सुविधाएं हैं वहां शिक्षा की भी आवश्यकता है। इसमें संदेह नहीं कि हमारा प्रान्त शिक्षा के विषय में काफी पिछड़ा हुआ है। उसमें जहां सरकार की कमी है वहां हमें यह भी मानना पड़ेगा कि बहुत से ऐसे स्कूल कालिज हैं जहां एक सेक्शन के विद्यार्थी भी पूरे नहीं हैं। ऐसे भी कालिज हैं जहां बैठने की जगह नहीं है, विद्यार्थियों की तादाद ज्यादा है। जहां एक सेक्शन के भी विद्यार्थी नहीं हैं वहां खर्चा पूरा ही होता है, अध्यापकों को वेतन पूरा देना ही पड़ता है, बिल्डिंग बनाना और जितने दूसरे काम हैं वे सब पूरे होते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जहां सरकार की इस विषय में कुछ त्रुटि है वहां हमें भी यह ध्यान रखना है कि जहां-जहां हमारे स्कूल खुले हुये हैं वहां हम भी लोगों में यह प्रचार करें कि वह किस तरह से अपनी शिक्षा संस्थाओं से पूरा पूरा फायदा उठावें। केवल सरकार का दोष निकालने से और उस पर सारी जिम्मेदारी डाल देने से काम नहीं होगा। एक और आवश्यक विषय है जिसकी की ओर सरकार ने कदम उठाया है और वह है—प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थायें। हमारे यहां पर इंजीनियरिंग और दूसरी प्रकार की टेक्निकल शिक्षाओं के लिये काफी तादाद में प्रशिक्षण संस्थायें खुल भी रही हैं लेकिन उनमें सब से बड़ी दिक्क़त यह है कि अभी उस तरह के योग अध्यापक नहीं मिलते हैं जो शिक्षा दे सकें।

इसके साथ साथ जैसा कि भाषण से स्पष्ट है हमारे यहां अस्पतालों में रोग शय्या बढ़ाने के साथ साथ अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का भी प्रबन्ध किया गया है। मैं समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान में नयी पीढ़ी के बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें प्लेग का नाम मालूम हो और जिस तरह की सरकार की योजना चल रही है, मेरा विश्वास है, मलेरिया जो एक व्यापक बीमारी है उस को भी लोग भूल जायंगे कुछ दिनों में।

एक बात जो काफी व्यक्तियों ने दोहराई वह यह है कि धीरे धीरे शासन में अव्यवस्था आती जा रही है, कुछ गड़बड़ी होती जा रही है। मैं इस सम्बन्ध में अपने हल्के का एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक घर में किसी नौकर ने चोरी की। पुलिस आयी और उसको पकड़ा, हो सकता है कि कुछ डांटा डांटी की हो और कुछ मारा भी हो, बहरहाल आवश्यक कार्यवाही की गई। कुछ देर के बाद उस को छोड़ दिया। लोग उस नौकर के घर पहुंचे और धीरे धीरे दो ढ़ाई सौ आदमी हो गये। उन्होंने उस को खाट पर लिटाया और कस्बों में जुलूस निकाला कि इसको पुलिस ने मारा है। उसके बाद, कुछ आदमियों ने मुझे बताया कि वह नौकर एक चाट की दूकान पर चाट खाने लगा। किसी आदमी ने हंस कर कहा कि तुम तो अभी खाट पर पड़े हुये थे, अब चाट खाने लगे तो उसने कहा पुलिस ने पीटा था उसी की दवाई कर रहा हूं चाट खाकर। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से कुछ लोग बहकायेंगे और जुलूस निकालेंगे तो क्या होगा? पुलिस की भी एक मर्यादा होती है। आखिर पुलिस किस तरह से ठीक प्रबन्ध कर सकेगी? मुझे लखनऊ की ही बात याद है। दो

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

साल पहले मेरे से एक पुलिस अफसर ने कहा था कि क्या इस प्रकार से सम्बोधन करके कि आइये सेठ जी, चौधरी साहब, लाला जी, बैठिये, किसी चोरी डकैती का पता लगाया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि यह एक व्यापक विषय है जिस पर हम सभी को मिल कर विचार करना है....

श्री अधिष्ठाता—समय समाप्त।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बजट को देखा, पढ़ा भी परन्तु उस में एक बात कहीं देखी ही नहीं। उसमें कहीं पर भी यह नहीं है कि हम चरित्र निर्माण के लिये क्या कर रहे हैं। आप यहां पर आंकड़े चाहे जितने प्रस्तुत करें, यह तो आप कलम लेकर लिख सकते हैं परन्तु जिनको करना पड़ता है उनके चरित्र की ओर भी ध्यान देना होगा। आज हम देखते हैं कि कोई निर्माण का कार्य होता है उस निर्माण के कार्य में—अगर हम पी० डब्लू० डी० को देखें तो हमें स्पष्ट दिखलायी देता है और उसका प्रमाण हमें रोज अखबारों में भी देखने को मिलता है कि कहीं बांध टूटते हैं, कहीं पर इस साल पुलिया बनी और बरसात में टूट जाती है, बाढ़ आती है, लाखों करोड़ों रुपये का नुक्सान होता है। उसका प्रमाण क्या है। कहीं न कहीं कुछ चरित्र में गड़बड़ी है। चरित्र निर्माण की बात बहुत ही अच्छी बात है, अगर हमारे देश के इंसानों में नेशनल कैरेक्टर नहीं होगा या हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर सकेंगे। हम अपने व्यक्तिगत चरित्र को देखें तो हमें यह अनुभव है कि चाहे हम इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, जिनके हाथ में सत्ता होती है वे लोग अपने तक ही देखते हैं। आज हम लोग तो विरोधी पक्ष में हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि आज जिनके हाथ में सत्ता है वे किस प्रकार से अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। चाहे कोई भी काम हो, वहां यही चलता कि ये अपने आदमी हैं, इनको किसी प्रकार से ले लो। या इनको किसी प्रकार से बचा लो।

अब मैं अपने जिले की बात ले लूं कि वहां चार साल पहले ७ पुलियां बनीं और वे उसी साल खत्म हो गयीं। उसका कारण मैंने पता लगाया जो मालूम हुआ कि ठेकेदार कुछ परसेंट ओवरसियर को देते हैं, कुछ परसेंट इंजीनियर महोदय को देते हैं और वे खुद भी खाते हैं। एक कैलकुलेशन बना कर दे दिया जाता है कि इतनी लागत पुलिया पर आयेगी, उसका टेंडर दे दो। टेंडर दे दिया बेचारे ने और जब आधा काम समाप्त हो गया तो मांग आती है कि १० परसेंट हमारा दे दो वरना उसकी मंजूरी नहीं होगी। अब सीमेंट लगेगा कहां, सीमेंट तो ब्लैक में बिकेगा।

इसी प्रकार से कचहरियों में जा कर देखा जाय तो वहां लिखा तो यह है कि घूस देना और लेना दोनों पाप और जुर्म है लेकिन वहां पर जाकर देखा जाय कि कोई फाइल निकल नहीं सकती जब तक कि उसे कुछ न कुछ दे न दिया जाय या दो रुपया देकर तारीख न बढ़ जाय। क्या हमारा यही चरित्र है? जब तक हमारा नेशनल कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, अपने देश व समाज के लिये मर मिटने की अभिलाषा नहीं होगी, अपना कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक हम पनप नहीं सकते, चल नहीं सकते, कोई योजना चल नहीं सकती चाहे कितना भी पैसा हम सरकार को दे दें, चाहे कितना भी टैक्स सरकार लगा ले, परन्तु उसका उपयोग कैसे करें। उसके लिये हमें चरित्र की तरफ ध्यान देना होगा। इस तरह से चाहे पी० डब्ल्यू० डी० को लें, चाहे सिंचाई विभाग को लें या किसी भी विभाग को लें, हर विभाग में बड़ा गड़बड़-घोटाला है। आप भी श्रीमन्, इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि चुनाव के सिलसिले में भी आपको भी कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ा होगा। वहां पर कुछ लोग यह कह कर आते हैं कि हम तुम्हारा यह काम करवा देंगे और उसी बिना पर उनको वोट भी मिलता है लेकिन सोचने की बात यह है कि वे इस प्रकार से अपने कर्त्तव्य को नहीं देखते कि हम चुनाव में जीतेंगे तो अपने बल पर जीतेंगे, अपने चरित्र के बल पर जीतेंगे। अगर गलत गलत वादा करके आते हैं तो गलत काम भी करना पड़ता है। अभी पिछले साल मैंने देखा कि एक सज्जन थे जिनका लड़का डाक्टरी में नहीं लिया जा रहा था क्योंकि उतने नम्बर

उसको नहीं मिले थे लेकिन मिनिस्टर साहब की सिफारिश पर वह ले लिया गया । इस तरह की बातें क्या चरित्र की हैं । इसको हंसी और मजाक में उड़ा दिया जाता है लेकिन अगर आप अपना चरित्र निर्माण नहीं करेंगे तो देश चलेगा नहीं, सूबा तबाह हो जायगा और इसका खामियाजा सब आपके सिर पर होगा ।

अधिष्ठाता महोदय, चकबन्दी मुहकमे की बात अभी एक सज्जन ने की कि वह बहुत अच्छी है। हम भी कहते है कि अच्छी है चकबन्दी अच्छी है लेकिन उस को करने वाले ठीक नहीं हैं, उसका जो खर्चा है वह इतने नाजायज ढंग से होता है कि क्या कहा जाय । उस गलत चीज का हम विरोध करते हैं, चकबन्दी बुरी चीज नहीं है लेकिन उसको ठीक तरह से होना चाहिये । चकबन्दी के अफसरों को हम देखते हैं कि कल उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन आज कोठी बनी खड़ी है, कहां से पैसा आया । क्या उन की बीबी ससुराल से ले आई है । हम देखते हैं कि चरित्र का पतन हो गया है, वह खत्म हो रहा है और अगर हम चरित्र निर्माण की बात यहां करते हैं तो शायद उस पर वह विचार भी न करेंगे ।

इसी प्रकार सेल्स टैक्स में भी तमाम बुराइयां हैं । गरीब दूकानदार हैं जो १२ हजार का सेल्स टैक्स नहीं दे सकते, न बिक्री है और न वह हिसाब किताब और मुनीम ही रख सकतेहैं । उन का व्यापार चौपट हो रहा है, उस की आय और बिक्री घटती भी है तो उस पर कोई विश्वास है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता इसलिये लाजमी हो जाता है कि वह बेईमानी करे । अगर आज सरकारी अधिकारी व्यापारी पर विश्वास करें और उस के आधार पर चलें तो पब्लिक मैन कभी बेईमान नहीं बनेगा लेकिन उस को बेईमान बनाया जाता है क्योंकि इसी तरह से तो अधिकारी लोगों को मौका मिलता है और वह अपना खर्च पूरा करते हैं ।

अभी यहां पुलिस का जिक्र आया । जैसा कि अभी एक भाई साहब ने कहा कि अगर कोतवाली नीलाम की जाय तो ज्यादा से ज्यादा बोली आ सकती है, वे बेधड़क पैसा पैदा करते हैं क्योंकि उन के ऊपर अधिकारियों का हाथ है । तो ऐसी हालत में फिर हमें विचार करना होगा कि कभी क्या है और कहां है । हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारा नेशनल कैरेक्टर गिर गया है । हमें अपने चरित्रों का निर्माण करना होगा, उसी प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा, । अगर हम यह नहीं करते तो चाहे जितना बजट और योजनायें बने, चाहे जितना पैसा व्यय हो, कितना ही टैक्स मिले लेकिन देश चलने वाला नहीं है ।

इस बजट में मुख्य बात यह है कि इस में १३ करोड़ का घाटा दिखाया गया है । पिछले बजट को गौर से देखा तो पिछले बजट में जो रुपया रखा गया था उससे अन्त में ८ करोड़ रुपया बढ़ गया । मैं जानना चहता हूं कि इतना गलत बजट क्यों बनाया गया कि आखिर में ८ करोड़ रुपया बढ़ गया । वह तो बढ़ा ही लेकिन खर्च में भी ७ करोड़ रुपया बढ़ गया । जब आय बढ़ गई थी तो उसको खर्च करके अपव्यय करने की जरूरत ही क्या थी ? यह सरकार पर अपव्यय का चार्ज है । बजट ऐसा बनना चाहिये कि अपव्यय न हो । हमारे मुख्य मंत्री जी जब आये थे माननीय गुप्ता जी तो उन्होंने कहा था कि हम किफायतशारी करेंगे और मोटरें छोटी लेंगे, कोठियां भी नहीं लेंगे अपनी ही कोठी में रहेंगे लेकिन वह किफायतशारी यह हुई कि आज मंत्रियों की पूरी फौज खड़ी है जरूरत हो तो और ज्यादा होगी ४५ तो हो चुके ७ और बढ़ जायं तो शायद ५२ पत्तों का खेल हो जाय । मेरी समझ से अगर पैसे का ठीक प्रयोग हो तो जितना पैसा है वह काफी है, वह हम नहीं है और अगर ठीक उपयोग होगा तो जनता भी आप को और पैसा देगी, वह टैक्स देगी लेकिन आप उसका ठीक से उपयोग तो करें । ऐसी फौज के ऊपर खर्च करें कि जो मनमानी करे तो करदाता के मन में प्रश्न होता है कि क्यों ३६ प्रतिशत द्वारा चुने गये लोगों पर ही सारा ऐसा व्यय हो । इसके लिये फिर वही चरित्र बीच में आता है । आपको चरित्र निर्माण की एक योजना बनानी होगी और कैरेक्टर पर पूरा ध्यान सब से पहले देना होगा । जब तक आप अपने विद्यार्थियों की शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन न करेंगे, वह संभव नहीं है और कैरेक्टर बन नहीं सकता । आज हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उसी का नारा लगता है लेकिन हम पर साम्प्रदायिक होने का चार्ज लगता है, जब

[श्री रामचरण शाह]

कि साम्प्रदायिक खुद हैं । केरल में मुस्लिम लीग से गठबन्धन क्या है ? हिन्दी की बात कही जाती है और उर्दू को बढ़ावा दिया जाता है । उर्दू के पीछे भावना क्या है, उस भावना का क्या अर्थ है जिससे पीछे एक साम्प्रदायिक भावना खड़ी हो जाती है। श्रीमन्, उस साम्प्रदायिक भावना को पैदा करने वाले वे हैं । हमारे यहां कुर्सीवाद पर एक चुनाव लड़ा गया क्योंकि कुर्सी वहां बहुत हैं । इस तरह की भावनायें भड़काने वाले वे हैं और चार्ज हम पर लगाया जाता है । जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं उनको संयम से काम लेना चाहिये और अपनी सत्ता का दुरूपयोग नहीं करना चाहिये । चाहे हम हों या चाहे उधर के लोग हों सबको एक अधिकार होना चाहिये अगर हमारी बात सही है तो उन्हें मानना चाहिये । यह नहीं कि हमने कहा कुछ और किया कुछ । ६ घंटा बोले लेकिन हां की आवाज ज्यादा है, नहीं की कम है तो इस डिक्टेटरशिप से काम होने वाला नहीं है । सही बात है विरोधी दल की तो उसे मानना चाहिये लेकिन मानेंगे नहीं क्योंकि सत्ता में मत्त है और जो मत्त होता है उसका घमंड चूर होता है और होगा भी । इसलिये जितने भी इस माननीय सदन के सदस्यगण हैं उनको इस ओर ध्यान देना है । अपने अपने क्षेत्र में जहां कहीं कोई मौका आये तो अपने इस लक्ष्य को वह न भूलें कि हम में कुछ राष्ट्रीय चरित्र की भावना हो और उसके जरिये हम देश को बढ़ाना है । जब तक उस राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान नहीं होगा तब तक राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता । इसलिये राष्ट्रीय चरित्र को लेकर हम चलें वर्ना चाहे जितना भी टैक्स बढ़े हर साल बजट डेफिसिट आयेगा । योजनायें बननी हैं और बजट में डेफिसिट लाना ही पड़ेगा और जनता परेशान होगी ही । १० साल के बाद इस सदन में दूसरा रूप होगा । उस पर हमें विचार करना होगा । आज ही मैं उस बात को कहना चाहता हूं कि अभी से हमारे सभी सदस्यगण इस चरित्र की बात को लेकर चलें और इस पर ठंडे दिल से विचार करें और सोचें ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने वित्त मंत्री को हार्दिक धन्यवाद देता हूं । वैसे तो हमारी सरकार ने जनकल्याण के लिये काफी कार्य किये हैं, जो सर्वविदित हैं और इस प्रांत के निवासियों से वे छिपी नहीं हैं । शिक्षा देने के लिये काफी स्कूल बनाये हैं । जो इस प्रदेश के नवयुवक विद्यार्थी हैं उनको काफी सुविधायें प्रदान प्रदान की गयी हैं । चिकित्सा के लिये काफी हास्पिटल्स खोले गये हैं और सिंचाई के लिये काफी सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है, नहरें और ट्यूबवेल बनाये गये हैं । किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिये काफी सुविधायें दी गयी हैं और उत्पादन काफी प्रदेश का बढ़ा है । जहां तक हरिजन और पिछड़े वर्ग का संबंध है उसका काफी कल्याण हुआ है और इतना कल्याण शायद ही किसी प्रदेश में देश के हुआ हो । जहां तक समाजवाद की बात है तो विरोधी-दल जिस समाज वाद का नारा लगाता है उसमें भी वह समाजवाद की भावना नहीं है जो हमारी सरकार में है और जिसपर विरोधी दल लांछन लगाता है ।

उनमें भी जो सरमायेदार हैं वह उसी ढंग से बातें करते हैं और उसका भी रास्ता वही है क्योंकि हमने यह देखा पिछले ५ वर्षों में सीमा निर्धारण बिल पारित हुआ और उसके संबंध में जो जमींदार वर्ग था उसकी वही भावनायें थीं जो एक सरमायेदार या जमींदार की होती है, चाहे वह इधर का हो या उधर का । वह भावनायें उन्हीं पार्टियों में नजर आयीं जो रोज जनता की दुहाई देती हैं । पर हुआ क्या कि उन जमींदारों और सरमायेदारों से एक इंच भी जमीन नहीं निकली, वही खानदान में बंट कर रह गई, टुकड़े टुकड़े हो गये और खेतिहर मजदूर को कुछ भी नहीं मिला ।

हरएक सदस्य किसान की बात करता है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं गरीब किसान है कौन जिसके पास ४०,५० बीघे जमीन है । असल में किसान वही है न कि वह जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है । वाकई में गरीब किसान पर मालगुजारी बढ़ाना गलत है, वह नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बढ़नी चाहिये । हां जो बड़े बड़े फार्म करने वाले हैं यदि सरकार को बजट पूरा करने की आवश्यकता हो तो जरूर ऐसों पर कर लगाना चाहिये । वे तो उन्हीं सरमायेदारों की श्रेणी में हैं जिनमें मिल मालिक आते हैं जो प्रदेश का आज भी शोषण कर रहे हैं । इसलिये जो दोषारोपण समाजवाद का सरकार पर किया जाता है तो जो दूसरे समाजवादी लोग हैं उन सब की नीति एक ही है, सब ने एक ही रास्ता अपना रखा है । कभी इधर उधर, सोशलिस्ट बने, प्रजा समाजवादी बने, कभी कम्युनिस्ट बने, कभी उधर से आकर कांग्रेस में शामिल हो गये, इसमें कोई अन्तर नहीं है । लेकिन देखना यह है कि प्रांत के निवासियों का कल्याण कैसे और क्यों कर हो ? किसान की आज वही दशा है, गरीब किसान पर आज भी कर्जा है, आज भी वह उचित समय पर अपना लगान और आबपाशी नहीं दे पाता है । खेतिहर मजदूर के पास वही एक झोपड़ी है जिसमें उसका सारा परिवार रहता है । उसको क्या स्वतंत्रता मिली है ? बुन्देलखंड में जो कर देखिये और उनसे पूछिये कि किसे स्वतंत्रता कहते हैं । आज भी उनकी झोपड़ी वैसी है, उनके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ ।

मैं पूछना चाहता हूं मेरठ जिला सरकार को १० करोड़ रुपया सालाना कर के रूप में देता है । सरकार ने उसकी तरक्की के लिये कितना पैसा खर्च किया ? यों हमारे जिले के मंत्री महोदय भी हैं, उप-मंत्री भी हैं और १२ सदस्य भी हैं, लेकिन क्या कोई पैसा पिछले १० साल में वहां की मेहनतकश जनता के लिये खर्च किया गया? पिछले १० साल में कोई सड़क वहां बनी ? जो जिला सारे जिलों से अधिक कर देता है । उसके लिये कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, सड़कें सारे जिलों से कम वहां है, वहां का मजदूर किसान, शिल्पकार तथा हरएक व्यक्ति अधिक परिश्रम करता है लेकिन इतना कर देने के बाद सिफर ।

हमको यह आश्वासन दिया गया था कि मेरठ में यूनिवर्सिटी बनेगी । श्रीमन्, आज भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, ११ वां वर्ष चल रहा है । हमको यह आश्वासन दिया गया था कि हाई कोर्ट की बेंच वहां स्थापित होगी । पता नहीं वह बेंच कहां चली गयी । यहीं तक नहीं, कहा गया कि मेडिकल कालेज खोला जायगा, लेकिन आज वह बनारस, गोरखपुर और इलाहाबाद में खुल रहे हैं और मेरठ तबाह है जो १० करोड़ रुपया कर देता है । यही नहीं, जिस गाजियाबाद का उदाहरण दिया जाता है आज वहां के किसानों में त्राहि त्राहि मची है । उन्होंने केंद्रीय सरकार से कुछ अपने परिश्रम के द्वारा उस सारे कार्य को किया है जिससे वहां उद्योग धंधे फैले हैं । लेकिन जो वहां के कृषक और मजदूर हैं उनके लिये इस सरकार ने क्या विशेष बात की है, इसका एक प्रमाण तो दें ।

हरिजन कल्याण विभाग जिसे आप कहते हैं क्या उसके द्वारा कोई हरिजन कल्याण हुआ है । आप देखें कि आज इस हरिजन कल्याण के द्वारा कितने ईसाई हुये हैं, कितने बौद्ध बने हैं । क्या हरिजन कल्याण विभाग का कर्त्तव्य यही है कि वह हमारे समाज का सुधार भी न कर सके । यदि इतना धन हमारे पास होता तो हरिजन कहलाने का हमें ही अधिकार क्यों होता । सब हरिजन हैं, कोई दुर्जन नहीं है । अगर ये दुर्जन हैं तो हम अछूत क्यों । हमारे लिये कौन से उद्योग धंधे खोले गये ? जो १८ फीसदी का रिजर्वेशन होने की बात है वह किसी भी विभाग में पूरा नहीं हुआ । हमारे वित्त मंत्री देश के उन आदमियों में हैं जो सारे धर्म और राजनीति की व्यवस्था को जानते हैं । हमारी कोई हैसियत तो है नहीं, हमें कर्जा मिला नहीं पैसा न होने की वजह से हम इंडस्ट्रीज आफ़िसर को रिश्वत नहीं दे सकते । अगर असल में हरिजनों का कल्याण करना है तो सरकार इस ओर ध्यान दे और हमारे प्रांत में छोटे छोटे उद्योग धंधे खोले ताकि देश और प्रदेश की बेकारी दूर हो । जो गरीब लोग हैं उन्हें जमीनें दी जायं और उनके मकान बनवा दिये जायं और मकान ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी मदद की जाय । यदि सहकारिता इन अफसरों के हाथों में रही तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकती । आप देख लीजिये प्रांत भर में कितना गबन इन अफसरों ने किया और करवाया है । इसलिये इनके हाथों से निकाल कर जनता के हाथों में सहकारिता दीजिये यदि इसे आप फलीभूत देखना चाहते हैं । जहां तक हरिजनों की समस्या है वह इस तरह से नहीं सुलझ सकती । जिस तरह

[श्री हरीसिंह]

से आर्यसमाज ने प्रचार कर के उनके मस्तिष्क की गन्दगी दूर की थी और उनका सामाजिक सुधार किया था, उसी तरह से हरिजन विभाग जब तक अपना प्रचार नहीं करेगा तब तक इससे हरिजन कल्याण नहीं होने वाला है। जब तक उनका सामाजिक सुधार नहीं होगा, जब तक उनको धर्म कर्म नहीं समझाया जायगा तब तक उनका वास्तविक उत्थान होने वाला नहीं है।

आप उनका जो रिजर्वेशन १८ फीसदी था, उसको भी पूरा नहीं कर सके किसी भी विभाग में। सब दिखावे की बातें की जाती है। योग्य से योग्य हरिजनों के लड़के आते हैं, उनको अयोग्य बतला दिया जाता है और लिया नहीं जाता है। मेरठ के पचीसों उदाहरण मेरे पास हैं कि जो यहां से फेल कर दिये जाते हैं लेकिन दूसरे राज्य वाले उनको ले लेते हैं। जजी में, इंजीनियरी में सभी जगह उनका चुनाव नहीं होता है। राजस्थान में इसी वर्ष ३ लड़के इस वर्ष आये हैं जो यहां फेल कर दिये गये थे। यहां फेल हो जाते हैं लेकिन जब वही कम्पेटीशन में बैठते हैं तो न जाने कहां से उनके दिमाग आ जाता है। तो मैं सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि रुपये में बारह आने तो करो और अगर नहीं करोगे तो आने वाली सन्तति अपने आप अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करके रहेगी।

इसी तरह से पिछड़े वर्ग की समस्या है। उनपर भी उसी प्रकार ध्यान दें। ये चार पांच वर्ग ऐसे हैं जिन गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। अभी थोड़ी देर हुई एक सदस्य ने हरिजनों के बारे में अभी कहा वरना हरिजनों के बारे में कोई कहने वाला नहीं है।

इन शब्दों के साथ मे अन्त में वित्त मंत्री जी को बधाई देता हुआ उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे हरिजनों की दशा सुधारने तथा मेरठ की मांगों पर ध्यान देने की कृपा करें।

**श्री परमाई** (जिला हरदोई)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां पर कल से माननीय विरोधी दल के नेता ने जिस बजट भाषण को आरम्भ किया था उसके बाद से बजट पर सामान्य विवाद चल रहा है। लेकिन जितनी बातें यहां पर बजट के द्वारा की जा रही हैं वह सब काश्तकारों के बारे में ही की जाती हैं, न सरकारी अहलकारों के बारे में और न विधायकों के बारे में कोई बात होती है। बजट में घाटा दिखाने की कोशिश की गयी है और वह घाटा वसूल किससे किया जायगा, जनता से और सरकारी अहलकारों से अगर विधायक ही उस घाटे को पूरा करें तो उन्हें पता चल जाय कि वास्तव में जनता पर क्या बीतती है और उसकी क्या दशा है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जनता के लिये अस्पताल खुल गये हैं, स्कूल खोले गये हैं, जनता के लिये सड़कें बनवाई गईं और जनता की सुरक्षा के लिये पुलिस रखी गयी है। उस समय मौका नहीं था नहीं तो मैं उनसे कहता कि अगर सड़कें बनवाई गई है तो उनपर पिटाई ठीक नहीं हुई है, अगर अस्पताल खोले गये है तो उनमें दवाई ठीक और काफी नहीं है, अगर स्कूल खोले गये हैं तो वहां पढ़ाई ठीक नहीं है, और अगर पुलिस बढ़ाई गई है तो कम क्रियाशील ज्यादा भरे गये हैं अगर इस प्रकार के न भरे गये होते तो एक मेरे जिले हरदोई में एक साल में ६३६ डाके न पड़े होते। पुलिस इतनी बढ़ा दी जाती है लेकिन उसकी कार्यवाहियों पर कोई अंकुश नहीं रखा जाता। पुलिस द्वारा गौरा टांडा के पास एक बदमाश मार डाला गया। उस पर ६ सौ रुपये और बंदूक वगैरह का इनाम था। उसका परिणाम क्या हुआ कि जनता से पुलिस ने कहा कि तुम उस बदमाश को पकड़वाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा। बदमाश ने कहा एक महीने के अन्दर इतना रुपया दो नहीं तुमको मार डालेंगे। सरकार के पास कहा गया मगर सरकार ने उसके लिये कुछ नहीं किया।

एक बात यह कही गयी है कि १३ करोड़ ३५ लाख रुपये का घाटा हुआ। मैं कहता हूं कि जितने मंत्री हैं वे यहां सिर्फ भत्ते पर काम करें और अपनी तनख्वाहें घाटे की पूर्ति के लिये दे दें। मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि जनता के पास क्या रखा है और क्या आपने उसे दे दिया है जो उससे वसूल करोगे। उसके तन पर कपड़े नहीं हैं लेकिन यह १३ करोड़ का घाटा भी उसी से निकाला जायगा।

इसी सरकार के जमाने में आवाज आयी थी कि १० गुना देकर भूमिधर किसान बन बन सकते हैं और उस उनका लगान आधा हो जायगा। यही सरकार जब मालगुजारी वसूल करती थी तो ६० रुपया जमींदार लेता था और ४० रुपया सरकार लेती थी। लेकिन अब तीन गुना सरकार ने लगान बढ़ा दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि और प्रदेशों में क्या जमीन ज्यादा उपजाऊ है जो वहां कम लगान से काम चल जाता है। पंजाब में १ रुपये १ आना ६ पाई फी एकड़ लगान है, बिहार में १ पये ६ पाई फी एकड़, राज्यस्थान में १३ आने ६ पाई फी एकड़, आसाम में २ रुपये ६ आने ८ पाई एकड़, बंगाल में १ रुपये ९ पाई फी एकड़, मध्य प्रदेश में १ रुपये ५ आने ३ पाई फी एकड़ और बम्बई में २ रुपये ८ आने ९ पाई एकड़ है लेकिन हमारे यहां ४ रुपये ६ आने ८ पाई फी एकड़ लगान है। यह क्यों है? हमारे यहां पाले और शीत के कारण किसान इतना बरबाद हो चुका है कि कहा नहीं जा सकता। इस सूबे में कितनी पैदावार है और वह सब के सामने रख दिया जाय तो पता चलेगा कि हालत क्या है। मैं आपके सामने उसे भेज दूं।

**श्री अधिष्ठाता**—उसकी आवश्यकता नहीं है।

**श्री परमाई**—मैं चाहता हूं कि सरकार के पास कम से कम वह पहुंच जाय तो उनको पता चल जाय कि कैसी उनकी हालत खराब हो गयी है, कैसे पाले से उनका अनाज खराब हो गया है, वह कैसे उनसे कर वसूल कर पायेंगे। जनता तो वैसे ही मुहताज हो रही है। इसीलिये मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि किसानों का लगान आधा किया जाय। अगर घाटा पूरा करना है तो सरकारी अहलकारों पर बड़े कमिश्नरों, कलेक्टरों और डिप्टी कलेक्टरों के ऊपर टैक्स खूब लगाइये और उनसे वसूल कीजिये और उन्हीं से निकालिये तब उनको पता चल जाय। आप यह समझ रहे होंगे कि जनता ने तो ५ साल के लिये आपके हाथ में बागडोर दे ही दी है और जिस प्रकार से चाहे आप उनको कतर सकते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं है। गुप्ता जी तो चेकों से काम करते हैं और क्या क्या उसके जरिये से करते रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो १३ करोड़ का घाटा दिखाया जा रहा है यह कितनी मौज मंत्रियों ने उड़ायी है और उड़ायेंगे जिसके लिये यह दिखाया जा रहा है। लेकिन यह सब ज्यादा दिन चलनेवाला नहीं है।

***श्री अमजद अली** (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, एक जम्हूरी हुकूमत में बजट सबसे अहम चीज होती है क्योंकि इसका असर जम्हूरी निजाम की जो बैकबोन हैं सर्विसेज उनपर और अवाम दोनों पर होता है। बजट यहां पेश हुआ और उस पर मुफस्सिल तकरीर करना या उस पर अच्छी तरह से मुताला करना एक बड़ी अहम बात है। इसके मुताल्लिक बहुत एक्सपीरियन्स की जरूरत है। लेकिन इस बजट का असर अवाम के ऊपर पड़ता है, काश्तकारों पर पड़ता है और सर्विसेज पर भी पड़ता है। मैं एक हल्के का नुमायन्दा हूं और उनके जजबात और अहसासात को जिनका मैं नुमायन्दा हूं, अध्यक्ष महोदय के जरिये से ऐवान के मेम्बर साहबान के पास तक पहुंचा देना चाहता हूं। जहां तक बजट का सवाल है इसका रिएक्शन अवाम पर और सर्विसेज पर अच्छा नहीं हुआ है। अवाम के अन्दर एक तरह की बदहवासी फैल गई है यह देखकर कि यह डेफिसिट बजट है, खसारे का बजट है, इसलिये काश्तकारों में अजीब अजीब ख्यालात और परेशानियां पैदा हो गई हैं। मुझसे उनकी मुलाकात हुई थी तो मुलाकात के दौरान में उन लोगों ने कहा था कि लगान बढ़ाया जायगा, टैक्सेज बढ़ाये जायेंगे। ऐसा न हो कि लगान बढ़ जाय। अगर बढ़ गया तो हम लोग तबाह और बरबाद हो जायेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं जो हमारे सूबे में सब से ज्यादा बैकवर्ड जिला है। यहां पर हमेशा बाढ़ और सूखा की परेशानियों से लोग तबाह होते हैं। यह बहुत ही गरीब और पसमांदा जिला है। इस बजट को देखकर सब परेशान हैं और काश्तकारों में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अमजद अली]

यह अफवाह फैल गई है कि उनका लगान बढ़ाया जायगा । तो मैं चाहता हूं कि इस बात की सफाई दी जानी चाहिये । जो कुछ भी हो मैंने उन लोगों को समझाया कि लगान नहीं बढ़ेगा लेकिन उनकी परेशानी दूर नहीं हुई । इसी तरह से सर्विसेज में जो नीचे का तबका है उसका ख्याल है कि उनके लिये इस बजट में कुछ भी नहीं है । डेवलपमेंट के काम को पूरा करने के लिये सारा दारोमदार छोटे-छोटे मुलाजमान पर ही है । मसलन गांव सभा के प्रधान हैं वे चुने हुये हैं । लेकिन जो गांव सभा के सेक्रेटरीज हैं वे सारा काम करते हैं और इसके बाद बावजूद भी न तो वे परमानेंट हैं और न उनकी कोई जगह ही है । गांव के डेवलपमेंट का सारा काम उनके सुपुर्द है और सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है लेकिन उनसे मेरी बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि उनके अन्दर बदहवासी फैली हुई है कि न तो उनकी जगह मुस्तकिल है और न उनकी कोई आगे तरक्की है । मैं कहता हूं कि जो आपके डेवलपमेंट की बैकबोन है—गांव सभा का सेक्रेटरी उसका आपके बजट में कोई जिक्र ही नहीं है और न उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है । वे सब से ज्यादा परेशान हैं । जो गवर्नमेंट के छोटे-छोटे मुलाजमीन हैं वे सबसे ज्यादा परेशान हैं । गांव सभा के सेक्रेटरीज का कुछ न कुछ इस बजट में होना चाहिये था क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि अगर इस जमहूरियत की ईंट टेढ़ी है तो पूरी इमारत ही टेढ़ी हो जायगी ।

इसी तरीके से आपकी पुलिस जम्हूरियत के निजाम में एक खास अहमियत रखती है और मुल्क के अन्दर अमनोअमान कायम रखना उनका अव्वलीन फर्ज है । पुलिस का कांस्टेबिल २४ घंटे ड्यूटी देता है । दिन भर वह वारन्ट और समन वगैरा सर्व करता है और रात भर गांव का पहरा देता है । इसलिये उसको डायरी झूठी लिखानी पड़ती है । अध्यक्ष महोदय, क्या यह किसी इन्सान के लिये मुमकिन है कि वह २४ घंटे ड्यूटी दे ? कभी नहीं, किसी भी हालत में यह मुमकिन नहीं है । इसका क्या इन्तजाम किया गया है । हम लोग केवल कागजात को देखते हैं और समझते हैं कि काम हो रहा है । जिस इन्सान की दिन में १२ घंटे ड्यूटी हो वह रात में पहरा कैसे दे सकता है । मैंने देखा है कि उसको हर घंटे पर रोजनामचे में लिखना पड़ता है और उस लिखे हुये को सही माना जाता है और रात में ड्यूटी दे तो यह कैसे मुमकिन है । तनख्वाह बढ़ाने के लिये कहा जाय तो उससे भी नहीं हो सकता है । क्योंकि किसी इन्सान से २४ घंटा काम लेना मुमकिन नहीं है । कांस्टेबिल जो पुलिस की बैकबोन है वह २४ घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता है इसके मुताल्लिक जरूरत है कि जल्द अज जल्द कोई इन्तजाम होना चाहिये । इसको कम से कम ८ घंटे का वक्त सोने के लिये मिलना चाहिये, और वह वक्त ड्यूटी में, कागज में न लिखा जाय ।

अपोजीशन के मेम्बरान ने जो खास खास ऐतराजात किये हैं, उनकी तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं । सबसे बड़ा जो ऐतराज किया गया है वह यह किया गया है कि यहां मिनिस्टर ज्यादा बनाये गये हैं । उसकी वजह से अवाम की जेब पर काफी असर पड़ रहा है । यहां पर, साढ़े सात करोड़ आदमी हैं उनकी दिक्कतों को सोचने के लिये, उनमें सोशलिज्म लाने के लिये, ४५ आदमी कोई ज्यादा नहीं हैं । लेकिन उस सूरत में हमारे मिनिस्टर साहबान महज टेबिल वर्क पर न रहें, चन्द सवालात का जबाब देकर दफ्तरों में न बैठे रहें बल्कि सूबे में नीचे से ऊपर तक दौरा करके मुआयना करें, ताकि अफसरों को डर रहे कि कहीं मिनिस्टर साहब न आ जायं । कभी-कभी थानों में सर्प्राइज विजिट किया करें जिससे अफसरों को खौफ रहे । दो ही तरीके से निजाम चल सकता है या तो अफसरों को सरकार का खौफ हो या खुदा या ईश्वर का डर हो । खुदा और ईश्वर का डर नहीं है । तो एक ही तरीका हो सकता है मिनिस्टर जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वह बजाय इसके कि टेबिल पर बैठे रहें, वह अपने सेक्रेटरीज के फाउंटेनपेन की हैसियत से काम करें या यहां आकर चन्द सवालात का जवाब दे दें, साढ़े सात करोड़ जनता के बीच में पहुंचे, कभी-कभी अवाम में घुस जायं और ऐसी तवारीखें भी पढ़ें जिन्होंने समाजवाद कायम करने का बीड़ा उठाया था । वह तवारीख भी पढ़ें कि उन्होंने कमली ओढ़ कर अवाम में जा कर यह जानने की कोशिश की कि अवाम की तकलीफ क्या है । वह यह भी करें, जब वह समाजवाद लाना चाहते हैं तो अपने को भी उसी अमल पर लाने की कोशिश करें । मैंने तवारीख में पढ़ा है कि जो लोग समाजवाद लाना चाहते थे, वह अपने बच्चों को त्योहार पर भी नया कपड़ा नहीं देते थे ।

जब उनके बच्चे रोते थे वह कहते थे कि जब तक अवाम का एक बच्चा भी त्योहार पर नये कपड़े नहीं पहन सकता, तब हम सबसे बड़े जिम्मेदार लोग हैं, हम अपने बच्चों को नये कपड़े कैसे पहना सकते हैं ? अपोजीशन का ऐतराज जायज होगा अगर मिनिस्टर जिस तरह से इस वक्त रहते हैं, रहते रहें । मुझे यह देख कर अफसोस है कि समाजवाद में जिस तरह सबसे बड़े जिम्मेदार लोगों को रहना चाहिये वैसे नहीं रह रहे हैं । हम २४८ मेम्बरान हैं । वह यह नहीं देखते हैं कि वह तो बड़ी-बड़ी कोठियों में हैं, और हम लोग फुटपाथ पर हैं । जब हमें नहीं देख रहे हैं तो अवाम को क्या देखेंगे । जब वह २४८ आदमियों पर निगाह नहीं रख सकते तो साढ़े सात करोड़ अवाम को क्या देखेंगे कि उनकी क्या तकलीफें हैं और उनके लिये क्या करना चाहिये ? उनको दर्द नहीं है, दिल नहीं है, समाजवाद के लिये दिल की जरूरत है ।

(इस समय ३ बजकर ४९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मैं २२ साल से वकालत कर रहा हूं । मुझे दर्द था गरीबों का । मैं पचास फीसदी मुकदमें मुफ्त लड़ा करता था क्योंकि मेरे दिल में दर्द था । मेरा ख्याल था कि यहां आ कर बड़े बड़े वर्कर्स से मिलूंगा जो रात को बैठ कर गरीबों के लिये आंसू बहाते होंगे, मैं उनसे मिल कर ताकत हासिल करूंगा । लेकिन मुझे यहां आ कर बड़ी मायूसी हुई है । जो इतने बड़े जिम्मेदार लोग हैं उनके इर्द गिर्द महज खुशामदी लोग घेरे रहते हैं । उनको हम लोगों से बात करने का मौका नहीं, उनको फुर्सत नहीं है यह देखने की कि कौन आ रहा है । आजमगढ़ से हम तीन मेम्बर आते हैं उनको फुर्सत नहीं है यह देखने की कौन कहां रहता है । वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टियां मरती जा रहीं हैं और वहां पर डिक्टेटरशिप आ रही है ।

**श्री अध्यक्ष**—आप बजट पर बोल रहे हैं या ....

**श्री अमजद अली**—मैं बजट पर बोल रहा हूं । मैंने यहां देखा कि यहां पर दरिद्रता से लेकर हैसियत तक हर चीज पर बोलने की इजाजत दी जा चुकी थी, इसलिये मैं इन बातों को कह रहा था और मिनिस्ट्री के ऊपर बोल रहा था कि मिनिस्टर्स के ऊपर जो एतराज किया गया वह कहां तक सही है और मैं तो बहुत नातजुर्बेकार हूं, अभी नया नया आया हूं, मेरा तजुर्बा बिलकुल महदूद है इसलिये मैं आनरेबिल स्पीकर से माफी चाहूंगा अगर कोई चीज दायरे के बाहर हो जाय । वैसे मैं दायरे के भीतर रहने की पूरी कोशिश करूंगा ।

तो जम्हूरियत के लिये आज इस बात की भी जरूरत थी कि हमारी अपोजीशन पार्टियां भी अपने फर्ज को ठीक ढंग से अदा करें । आज ऐसा मालूम होता है कि जनता का सारा दर्द उन्हीं को है और हमारे अन्दर उनके लिये कोई दर्द नहीं है । डेमोक्रेसी में यह हुआ करता है कि अपोजीशन और सरकारी दल दोनों फील्ड के अन्दर जाकर लड़ा करते हैं और यहां आने के बाद दोनों मिल-जुलकर काम करते हैं । अपोजीशन यहां रूलिंग पार्टी को महज सुझाव और इशारे दिया करता है और सारा काम यहां मिल जुलकर होता है । लेकिन मैंने देखा कि इस फील्ड में भी अदावत करते हैं और यहां भी अदावत करते हैं । कोई अगर यहां दिन को दिन कहा जाता है तो उसको भी वह रात कहने की कोशिश करते हैं । और वहां पर फील्ड के अन्दर जनता की जहनियत को खराब करते हैं । यहां पर बजट का मामला, डेमोक्रेसी और सोशलिस्टिक पैटर्न को कायम करने का सवाल है, और उसके लिये एक मेंटल इक्वैलिटी कायम करने की आज जरूरत है । लेकिन मैंने जनता के अन्दर देखा कि वहां पर ये एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग करने की बात करते हैं । तो यहां पर डेमोक्रेसी कैसे चलेगी ? यह सोशलिस्टिक स्टेट कैसे बनेगी ? जब यहां का अपोजीशन इस तरह की बात करता है । एक आदमी आज २० वर्ष से काम कर कर रहा है, उसके ऊपर काऊ स्लाटरी की इल्जाम लगा दिया, इस तरह से अगर लोगों की जहनियत को बिगाड़ा जायगा तो मुल्क कैसे आगे तरक्की करेगा ? इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि आज जहनियत बदलने की जरूरत है और यहां पर अमली कदम उठाने की जरूरत है । लेकिन न अपोजीशन अमली कदम उठाता है और न रूलिंग पार्टी उठाती है ।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, जरा सा सदस्य महोदय से कह दीजिये कि माइक से थोड़ा दूर हटकर बोलें जिसमें सुनाई तो पड़े कि वह क्या कह रहे हैं।

श्री अमजद अली—मैं तो बहुत कम बोलता हूं....

श्री अध्यक्ष—वह सिर्फ यह कह रहे हैं कि जरा माइक दूर रखें तो आवाज साफ आये।

श्री अमजद अली—तो आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें। हम भी और आप भी दोनों जनता की भलाई चाहते हैं। इसलिये हम लोग यहां पर ठंडे दिल से बैठकर गौर करें और यहां भी मिलजुल कर काम करें तथा बाहर भी मोहब्बत से रहें। लेकिन बाहर कम्यूनलिज्म, कास्टीज्म और तमाम इस तरह की चीजें फैलायी जाती हैं। अपोजीशन की तरफ से यह कहा गया कि एलेक्शन में अफसरान ने तरफदारी की। लेकिन मैं यह कहता हूं कि एलेक्शन में किसी सरकारी अफसर ने तफरदारी नहीं की। तरफदारी अगर कुछ हुई है तो लोअर लेविल पर थानेदार या कांस्टेबिल के द्वारा कम्यूनलिज्म के आधार पर हुई है। मैंने देखा कि थानेदार ने अपनी बिरादरी के आधार पर एक आदमी को सपोर्ट किया। यह कम्यूनलिज्म अपोजीशन का फैलाया हुआ था। तो लोअर लेविल पर कम्यूनलिज्म की बिना पर तरफदारी थानेदार और कांस्टेबिल तक के लेविल तक हुई। बड़े बड़े अफसरों ने कांग्रेस की तरफदारी नहीं की और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारा आजमगढ़ जिला है जहां एक कांग्रेसी ८ वोट से हारा और १४ सीट में से ११ सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई, केवल तीन आदमी आये हैं और केवल आठ आठ वोट से वहां हारे हैं। यह मिसाल है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एलेक्शन आफिसर, और एस० पी० इन अफसरों ने तरफदारी नहीं की। तरफदारी नीचे के लोगों ने की, वह भी कम्यूनलिज्म की बिना पर की और कांग्रेस की मदद के लिये नहीं की बल्कि अपोजीशन की मदद के लिये की। उस फिरकापरस्ती की बिना पर उन्होंने उनकी तरफदारी की जो फिरकापरस्ती अपोजीशन के लोगों ने उभाड़ दी थी।

आखिर में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी और सोशलिस्टिक पैटर्न के लिये आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस का रवैया नीचे के लेविल पर जो है वह बहुत खराब हो चुका है, उसे दुरुस्त किया जाय।

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, अभी सरकारी बेंच की तरफ से जो समावादी पैटर्न के बजट और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बजट की बात कही जा रही है, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ कि अपने प्रदेश की सरकार आखिर किस देश को समाजवादी मानती है और उसके समाजवाद का ढांचा क्या है? जिस प्रदेश में बेकारी, भुखमरी, गरीबी, बेईमानी और भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हों, उस प्रदेश की सरकार का बजट समाजवादी सरकार का बजट कहा जाय, तो इससे ज्यादा निन्दनीय बात कोई और नहीं हो सकती। मैं आपका ध्यान सरकारी बेंचों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि उनमें से लायक दोस्त सदस्यगण सरकार की आलोचना करते जाते हैं और जब बजट पर प्रस्ताव आयेगा और उससे हेरफेर किया जायगा तो सरकार के पक्ष में साथ मत दिया जायगा। अगर आपको बजट की मुखालिफत करनी है तो इस तरफ आकर बैठिये और अगर मुआफिकत करनी है तो वहीं बैठकर करें। जनता को इस तरह से गुमराह करने की बात को छोड़ दीजिये। आप इस तरह दोनों तरह से क्यों लाभ उठाना चाहते हैं।

आज हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या है वह बेकारी की समस्या है। जिस प्रदेश की सरकार समाजवादी बजट की बात करे और उसमें बेकारी की प्रमुख समस्या रहे और फिर भी वह अपने को समाजवादी सरकार कहे तो पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और सामन्तवादी सरकार में कौन सा अन्तर है जो समाजवादी सरकार में नहीं है। आज अपने प्रदेश में जितने लोग बेकार दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद थे इस साल तीसरी पंच वर्षीय योजना के आने पर और भी बढ़ जायेंगे। हमारे प्रदेश में दो तरह के बेकार हैं। एक तो अर्ध बेकार हैं जिनमें किसान और

खेतिहर मजदूर आते हैं और दूसरी तरफ सम्पूर्ण बेकार हैं जिनमें पढ़े-लिखे विद्यार्थी आते हैं। वे बेचारे सारे समय बेकार रहते हैं। इनके साथ ही वे बी० ए० और एम० ए० पास करके जो गली-गली और सड़क सड़क पर नौकरी के लिये मारे मारे फिरते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं भी कुछ दिन पहले तक एक डिग्री कालेज का विद्यार्थी था। मैंने देखा कि प्रदेश के अन्दर जितनी बुरी हालत शिक्षित नौजवानों की है उसको कहा नहीं जा सकता है। क्या प्रदेश के उन नौजवानों का कोई कसूर है? यह तो सरकार का कसूर है कि उनके लिये न नौकरी का प्रबन्ध है और न किसी उद्योगधन्धे का प्रबन्ध है। इस कारण बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आप बताइये कि इसमें बेकारों का क्या कसूर है। आपने ही कानून से अपने विश्वविद्यालयों की स्थापना की है और अगर नौजवान वहां से डिग्री प्राप्त करके निकलते हैं तो उनके लिये रोजी का प्रबन्ध करना सरकार का कर्त्तव्य है। किन्तु सरकार के पास न नौकरी का प्रबन्ध है और न उनके लिये उद्योग धन्धे का प्रबन्ध है। आपके इस बजट में अर्ध बेकार और सम्पूर्ण बेकारों के लिये सुनियोजित योजना होनी चाहिये लेकिन इसके अन्दर कोई सुनियोजित योजना नहीं है। इसलिये इस बजट को समाजवादी सरकार का बजट नहीं कहा जा सकता। यह तो उसी तरह का बजट है जैसे कि पूंजीवादी देशों की सरकार का बजट होता है। आप जरा इस तरफ भी देखें कि आपके प्रदेश के अन्दर चौकीदार को क्या मिलता है। यहां के मुख्य मंत्री की आमदनी क्या है? बड़े अधिकारियों को क्या मिलता है? दुनियां के पूंजीवादी देशों की बात मैं कहता हूं। मैं समाजवादी देशों की बात नहीं करता कि उन देशों के अन्दर छोटे आदमी की क्या तनख्वाह है और बड़े अफसर की क्या तनख्वाह है। अगर आप उन देशों में छोटी तनख्वाह और बड़ी तनख्वाह के अनुपात को देखें तो वहां पर अधिक अन्तर नहीं है। मैं समझता हूं कि वह अन्तर १ और १० से ज्यादा तो कहीं भी नहीं है। मैं अमेरिका और इंग्लैंड जैसे पूंजीवादी देशों की बात करता हूं कि वहां पर मजदूरों की औसत आमदनी क्या है। वहां पर जो एक मजदूर को मिलता है और एक ऊंचे अधिकारी को मिलता है उसमें १ और ७ से अधिक का अन्तर नहीं है। आप यहां पर समाजवादी समाज की रचना की बात कैसे करते हैं जब कि यहां पर इतना अधिक वैषम्य है। मैं प्रदेशीय सरकार के सामने कुछ अपने ठोस सुझाव रखना चाहता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अर्ध बेकार और सम्पूर्ण बेकारों के लिये प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर सरकार एक एक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जिसमें सम्पूर्ण बेकार और अर्ध बेकारों को शिक्षा दी जाय जिससे प्रदेश के अन्दर बेकारी दिन ब दिन कम होती चली जाय। जब वह बेकारी कम होगी तब कम से कम सरकार के लिये यह कहा जा सकता है कि यह सरकार अब समाजवाद की तरफ, समाजावादी बजट की तरफ थोड़ी सी अग्रसर हो रही है वरना इन सब बातों के कहने से कोई लाभ नहीं है। समाजवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ टैक्स बढ़ाते हैं, बेकारी बढ़ाते हैं, भुखमरी बढ़ाते हैं, गरीबी बढ़ाते हैं और जब इधर के लोग आलोचना करते हैं तो कहा जाता है कि हमारी नीयत तो साफ है—और नीयत तो खराब नहीं है। २०० रुपया हम भी लेते हैं आप भी लेते हैं और जो भत्ता हमको मिलता है वही तुमको भी मिलता है। इस प्रकार से सरकारी बेंचों की तरफ से कहा जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि दुनियां का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर जनता की कमर इस तरह से तोड़कर, जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाकर, वहां पर बेकारी और भुखमरी को स्थापित करके प्रगति की गई हो। ऐसी प्रगति से तो अगर यह सरकार प्रगति न करे तो ज्यादा कारगर हो सकती है। इस तरह से जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। सरकारी तरफ से कहा गया कि कैसे प्रदेश में हल्ला मच गया कि लगान बढ़ जायगा। मेरी समझ में बात नहीं आती है कि यह कैसे हल्ला मच गया। हमने कोई एलान नहीं किया कि लगान बढ़ाया जायगा। हल्ला मच गया समाचार पत्रों से, हल्ला मच गया वित्त मंत्री महोदय के उस सम्बोधन से कि बजट में जो घाटा है उसे पूरा करने के लिये कोई न कोई हल निकाला जायगा। तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि हल सरकार क्या निकालेगी। क्या वह हल चोरी करके निकालेगी? और क्या हल हो सकता है? जनता पर टैक्स न लगायेगी तो क्या करेगी? या तो वह प्रत्यक्ष कर होंगे या अप्रत्यक्ष कर होंगे, लेकिन यह स्वाभाविक है कि उसका भार किसानों पर पड़ेगा। यदि ईमानदारी से आपको टैक्स नहीं

[श्री राधेश्याम]

लगाना है तो उसका सुझाव बजट में होना चाहिये था कि हम टैक्स नहीं लगायेंगे और अपना जो यह घाटा है वह इस तरह से पूरा करेंगे । उस समय जनता में इस तरह को कोई गलतफहमी नहीं पैदा हो सकती थी ।

जहां तक समाजवादी सिद्धान्तों की बात, है, समाजवादी सरकार की बात है, उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार में कोई एक भी आदमी बेकार और भूखा नहीं रहना चाहिये । अगर लोग सरकार के राज्यों में बेकार रहते हैं, भूखे रहते हैं तो ऐसी सरकार को अपने को समाजवादी नहीं कहना चाहिये । मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन साधनों से जो समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात कही जाती है वह बेकार है । आपके पास कोई सुनियंत्रित योजना इसके लिये होनी चाहिये । जब तक कोई सुनियंत्रित योजना आप के पास नहीं है तब तक समाजवादी समाज की स्थापना की बात निरर्थक है । इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि बेकारों और अर्ध बेकारों के लिये सरकार कोई न कोई सुनियंत्रित योजना चला कर उनको प्रशिक्षण दे ताकि उनकी और इस प्रदेश की बेकारी दूर हो सके ।

जहां तक योजनाओं का संबंध है, सरकार उसमें बहुत फिजूलखर्ची कर रही है । मेरे क्षेत्र में मेरे खिलाफ इस सरकार के भूतपूर्व मंत्री श्री लक्ष्मीरमण जी चुनाव लड़े हैं । जिस प्रकार उन्होंने उस क्षेत्र की जनता को पिछले दस, बारह साल गुमराह किया यह बता कर कि यहां ट्यूबवेल लगाया जायगा, यहां कुलाबा बनाया जायगा और कोई बात नहीं पूरी की गयी । वहां सभी को विदित है और ऐसा नहीं होना चाहिये । मैं जिस माट क्षेत्र से चुन कर आया हूं वहां एक बांध बनाया जा रहा है और उसे लेकर वहां की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । जनता का ५०,००० रुपया और एक लाख बीघा भूमि इसके चक्कर में आ गयी हैं । यह भूमि हर वर्ष जलमग्न हो जाया करती है अंग्रेजी शासन काल से ही और उस भूमि पर पैदा हो सकने वाला ४ लाख मन अनाज राष्ट्र को नहीं मिल पाता है । उस क्षेत्र की जनता परेशान है । वहां के लिये इंजीनियरों की रिपोर्ट है कि साढ़े ६ या सात लाख रुपये से वह बांध बनाया जा सकता है, लेकिन वह अभी तक नहीं हो पाया है । पिछले दोनों में जब आर्टस गोली कांड सत्याग्रह में जेल में था, कहा गया कि जनता इसके लिये चन्दा इकट्ठा करे । ५०,००० रुपया इकट्ठा किया गया और उस गांव बांध को बनाने के लिये दर्जा, ४, ५ और और ६ के बालकों को इकट्ठा करके श्रमदान कराया गया । श्रमदान के लिये २ रुपया फी विद्यार्थी खर्च किया गया और इस प्रकार २००० रुपया रोज खर्च किया गया और इस तरह से उन पर जनता का ५०,००० रुपया बर्बाद कर दिया गया । मिट्टी छोटी-छोटी डलियों से डलवाई गयी और सब बारिश में बरबाद हो गयी । अब मुझे मालूम हुआ है कि सरकार ने उसके लिये लगभग ६ लाख रुपया मंजूर किया है । यह मुझे वहां के अधिकारियों से मालूम हुआ है । मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि अगर इस तरह से योजनाओं को आप पूरी नहीं कर सकते हैं तो उस से न करना अच्छा है । मेरा सुझाव यह है कि सरकार जो भी योजना ले उसे पूरी तरह से पूरा किया जाना चाहिये । ऐसा न होने पर जनता में खामखयाली फैलती है । आज कल सड़कें बनायी जाती हैं, कहीं चार मील अच्छी होती है, कहीं खराब और खानापूरी हो जाती है, लेकिन कुछ होता नहीं है ।

ऐसा ही गरकी का सवाल है । उससे हम हर साल परेशान होते हैं और जब वह हो जाती हैं तो मिनिस्टर साहबान और सदस्यगण दौड़ते हैं और बड़े-बड़े आश्वासन दिये जाते हैं कि अगले साल से इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर दूसरे साल वही होता है । तो इस तरह से जितनी समस्यायें हैं उनका हल निकलना चाहिये । महात्मा गांधी का फोटो आपके सामने है : वह कहा करते थे कि जिस काम को करो उसे पूरा करो । काम भले ही कम हो, लेकिन वह अच्छा होना चाहिये और पूरा होना चाहिये । सारे काम करने के लिये मुंह नहीं फाड़ना चाहिये क्योंकि उनके पूरा न हो पाने पर जनता में व्यर्थ का विवाद खड़ा हो जाता है । इसलिये आप कोई ठोस कदम उठाइये । योजना को ठोस तरीके से पूरा करने के लिये कदम उठाइये । मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा

और यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार जो भी कदम उठायेगी वह ठोस कदम हों। ऐसे कदम न हों जो बच्चों की तरह खिलावाड़ करने वाले हों और समाजवाद को बदनाम करने वाले हैं। आप लोग तो समाजवाद के पंडित हैं, आप उसे अच्छी तरह समझते हैं, फिर जब ऐसी बातें होती हैं तो दुख होता है। हम लोग तो शुद्ध समाजवाद में विश्वास करते हैं और हमारा समाजवाद तो यही है कि आमदनी में १ और १० का अधिक से अधिक अन्तर हो। आप हमको प्रतिक्रियावादी पार्टी समझते हैं, मगर यह सोशलिस्ट पार्टी तो पिसे हुये लोगों की, काम से दबे जा रहे हैं उन गरीबों की, किसानों की पार्टी है और उन्हीं से इसका संबंध है। जहां तक राष्ट्रीय आन्दोलनों का प्रश्न है उसमें भी यह पार्टी पीछे नहीं है। गोआ के मामले में, काश्मीर के मामले में, तथा अन्य मामलों में यह पार्टी कभी पीछे नहीं रही। इसलिये मैं कहता हूं कि विरोधी पक्ष जनतंत्र की जान होता है और अगर विरोधी पक्ष एक महीने तक यहां न बैठे तो आप लोग खुद ही लड़ने लग जायेंगे जैसा कि अभी हुआ। प्रदेश में आपकी गुटबन्दी का क्या नतीजा हुआ? अलीगढ़ में एक मिनिस्टर के तो जूतों की माला तक डलवाई और. . . . .

**श्री अध्यक्ष**—आप इस किस्म की बात न कहिये। यह शोभा नहीं देता।

**श्री राधेश्याम**—वह तो श्रीमन्, अदालत में केस चला, पेपर में भी निकला। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी योजनायें हों वे सुनियोजित हों और ठोस हों और उनमें धन का कोई अपव्यय न हो। अगर ऐसी योजनायें होंगी तो हम पग-पग पर आपके साथ होंगे और योजनाओं की प्रगति में हम सब का सहयोग होगा और जहां भी प्रदेश के निर्माण का प्रश्न होगा हम कभी पीछे नहीं रहेंगे और न रहे हैं. . . . .

**श्री अध्यक्ष**—अब आपका समय समाप्त हुआ।

**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—श्री अध्यक्ष महोदय, आज का विषय बजट का विषय है और मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सदन के लिये नया हूं और सदन भी मेरे लिये नया है, हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो जाय, उसके लिये आप मुझे क्षमा करें। मैंने वित्त मंत्री जी का भाषण तो नहीं सुना, हिन्दी कम जानने के कारण जो बजट भाषण की प्रति मिली वह भी नहीं पढ़ सका, किन्तु मैंने उसको पढ़वाया और उसकी एक भी बात को नहीं समझ पाया, केवल इतना समझ पाया कि कहीं १७२ करोड़ का जिक्र है, कहीं ६० करोड़ का जिक्र है, कहीं कितने करोड़ का जिक्र है, मगर कहीं भी हजार या लाखों का जिक्र नहीं है, जिससे यह प्रतीत हुआ कि इस बजट में दौलत ही दौलत की भरमार है। जब मैंने उस छोटी सी पुस्तक में करोड़ों की बात देखी तो और कुछ देखने की हिम्मत नहीं हुई। तो रुपये की हमारे बजट में कोई कमी नहीं है। उस पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। बजट बहुत लम्बा चौड़ा है, बहुत बड़ा बर्तन बजट का है। हमारे बजट में हमारे सरकारी पक्ष के माननीय सनस्यों ने बार-बार इसको "कल्याणकारी कल्याणकारी" कहा है। मैं बिलकुल मानता हूं, सहमत हूं कि हमारा बजट आना पाई से कल्याणकारी कतई है, लेकिन किसके लिये है? वह या तो बड़े-बड़े अरबपति, करोड़पति ठेकेदारों के लिये है या सरकारी कर्मचारियों के लिये कल्याणकारी है। लेकिन अगर इस बजट को मैं उस अपने परिवार पर, ढाई लाख या तीन लाख के परिवार पर जिसका मैं सदस्य बनकर आया हूं इसको लागू करूं तो न यह उसके लिये कल्याणकारी है और न समाजवादी है। मेरा परिवार, जिसमें चपरासी, पटवारी, गरीब मजदूर, छोटे किसान हैं जो ढाई लाख की संख्या में हैं। उनकी तुलना में यह बिलकुल निकम्मा है।

इस बजट के आंकड़े पढ़ कर क्या सुनाऊं, आपने स्वयं पढ़े होंगे कि आबपाशी पर कितना खर्च होगा। किसके लिये आबपाशी पर खर्च होगा? अगर तकावी मिलेगी तो उन काश्तकारों को मिलेगी जिनके पास ५००, ४०० बीघे जमीन है और उन्हीं की आबपाशी पर खर्च होगा। आपके ५० बीघे, ३० बीघे, १० बीघे वाले को नहीं मिलेगी। अगर कोई ८०–९० बीघे का काश्तकार तकावी लेने की कोशिश करता है और मिलती भी है तो क्या सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि फर्द बनाने के लिये पटवारी को, कानूनगो को रिश्वत देनी

[श्री विजयपालसिंह]

पड़ती है और बराबर रिश्वत देकर ५०० में १०० रुपया चले जाते हैं । यह हर तहसील में होता है । यही हमारा कल्याणकारी बजट है ?

हमारा बजट समाजवादी भी है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि चकबन्दी से कृषि सुधार हुआ । जरा उसके आंकड़े उठाइये । कितने किसान २० बीघे से नीचे के हैं जिनको एक चक दिया गया है ? ६० फीसदी ऐसे हैं जिनके पास २० बीघे जमीन है और उनको २–३ चक दिये गये हैं और २० बीघे से ज्यादा वालों को एक चक दिया गया है । मुजफ्फरनगर के आंकड़े मंगाकर देख लीजियेगा । सहायता उनको दी गई है तो जो ५०० बीघे के काश्तकार हैं ।

चकबन्दी की बड़ी योजना को छोड़िये, छोटी छोटी मिसालों को लीजिये । मैं किसानों में जाता हूं कि जिन गांव में चकबन्दी हो चुकी है वहां नाली नहीं मिलती है और कागज पर मिली हुई है । चकरोड नहीं मिलती । इस तरह से सैकड़ों मुकदमें कचहरियों में मौजूद हैं । नालियों और चकरोड के लिये २–२ महीने, ६–६ महीने लगते हैं, २०–२० तारीख लगती हैं, कई सौ रुपया बरबाद होता है, इस तरह के झगड़े हुआ करते हैं । यह है कल्याणकारी चकबन्दी । आपने जब कहा है, कुछ रुपया उस पर लगा है, तो कुछ न कुछ लाभ तो जरूर होगा, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन गांवों में चलकर देखिये । छोटे किसानों से पूछिये कि कितना लाभ हुआ । जितने हमारे माननीय सदस्य सरकारी पक्ष के कहते हैं कि बड़ा भारी लाभ हुआ है वह जरा गांव में चल कर कहें तो खबर लगेगी, इसको वहां कह कर देखें । हां, इस हाउस में और कागज के ऊपर ठीक है और वैसे भी ठीक ।

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि यह है चकबन्दी । आबपाशी, बिजली, बांध वगैरह बने, मैं तो नाम नहीं जानता । रिहन्द बांध, हरदुआगंज का, कितने ही बांध बना दिये, कितनी बिजली तैयार हो रही है, लेकिन सन् ४७ से पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिजली के कुयें बन्द नहीं हुआ करते थे, वह २४ घंटे चलते रहते थे । लेकिन सन् ४७ के बाद बिजली के कुयें गर्मियों के दिनों में जब ईख सूखती है, किसान का नौजवान बेटा कंधे पर फावड़ा लेकर नाली पर दौड़ता है तो १२–१२ घंटे के लिये कुयें बन्द हो जाते हैं । बिजली पता नहीं कहां चली जाती है । बिजली पैदा हो रही है । आबपाशी के लिये रुपया खर्च हो रहा है लेकिन २४ में से १२ घंटे कुयें बन्द हो जाते हैं । जब किसान को गेहूं के लिये पानी की जरूरत होती है तो आपकी आबपाशी की नहरें खामोश खड़ी हो जाती हैं । जब हम एक रुपया नहर के पानी का रेट दिया करते थे उस वक्त रजबहा एक महीने में तीन हफ्ते चला करता था लेकिन आज जब हम सात गुना रेट दे रहे हैं तो एक महीने में तीन हफ्ता पानी बन्द हो जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी बिजली के प्राइवेट कनेक्शन्स काश्तकार को देते हैं तो वह किसी एक काश्तकार की सम्पत्ति नहीं है, पूरे प्रान्त के काश्तकारों की सम्पत्ति है, क्यों नहीं यह लागू किया जाता है कि फालतू समय में बाकी काश्तकारों को वह पानी दिया करें जिस तरह से स्टेट ट्यूबवेल्स पानी देते हैं । लेकिन कोई कानून नहीं है । जब इतना रुपया खर्च होगा तो कुछ न कुछ कल्याणकारी तो होगा ही, कल्याणकारी तो मैंने मान लिया लेकिन वह समाजवादी कैसे हो गया ? पता नहीं यह कहां का समाजवाद है, रूस का है, चीन का है, हिन्दुस्तान का है या आसमान का है ? इसका शोर चारों तरफ मच रहा है । मैं पूछता हूं कि क्या यही समाजवाद है ? आप गौर करके देखें कि जिनके पास बड़ी-बड़ी मिलें हैं उन्हीं के पास बड़े-बड़े बाग हैं, उन्हीं के लड़के बड़ी-बड़ी नौकरियों पर तशरीफ रखते हैं । कलेक्टर भी तुम बनो, तुम्हारा बेटा ही डाक्टर बने, तुम्हारे पास बाग भी मौजूद है, मिल भी तुम्हारे पास है, ठेका भी तुम्हें मिले, मोटर का परमिट भी तुम्हारे पास है । तमाम चीजें एक ही खानदान के पास । हमारे मुजफ्फरनगर में दो तीन परिवारों के पास सारी सम्पत्ति, बड़ी-बड़ी नौकरियां भी, बाग भी, मोटर का परमिट भी और अगर एक जूते की दूकान भी मिल जाय तो उसको भी छोड़ने के लिये तैयार नहीं । अगर आप समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं तो फिर आमदनी की कोई सीमा होनी चाहिये । अगर किसी के पास कोई

आमदनी है तो उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिये। जिसके पास खाने को रोटी नहीं और दूसरे कोई साधन नहीं अगर उसको नौकरी दे दी जाय तो उससे आपके समाजवाद में कोई खराबी नहीं आने वाली है लेकिन उसको इनका समाजवाद नौकरी नहीं देगा बल्कि जो शक्तिशाली है, जिसके पास सिफारिश मौजूद है, उसको नौकरी देगा।

कहा जाता है कि चिकित्सा में बड़ी प्रगति हुई, अस्पताल बढ़ रहे हैं लेकिन अस्पताल में एक शीशी में लाल रंग की दवाई होती है जो जुकाम के लिये भी है और बुखार के लिये भी है। हमारे कांथला कस्बे में एक जनाने अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी है लेकिन डाक्टरनी अभी तक तशरीफ नहीं लाई, पता नहीं कब आयेंगी। दिक के मरीजों के लिये जो टिकट बेचे जाते हैं वह तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और पटवारी के द्वारा एक दो आना लेकर गरीबों को दिये जाते हैं जिससे इलाज होता है अमीरों का और अफसरों का। यह है आपका समाजवाद। मेरी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। आज हमारे सामने जो बैठे हैं, जिनकी हम स्वराज्य लेने के समय झंडा लेकर उनकी जय बोला करते थे, १०–१५ साल पहले, मगर आज दुर्भाग्य है कि उन्हीं के सामने हमको अपना मुंह खोलना पड़ा इसलिये कि आज वह हमारी बात को सुनते नहीं, समाज की बात को सुनते नहीं, जनता की बात को सुनते नहीं, पता नहीं किस बात में फसे हुये हैं। उनकी आपस में गुटबन्दी है, इसकी मुझे फिक्र नहीं बल्कि मैं चाहता हूं कि खूब गुटबन्दी हो, जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है क्योंकि जल्दी बेड़ा गर्ग होगा। मिनिस्ट्री बढ़ाते हैं तो खूब बढ़ावें। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं सरकारी पक्ष से कि जितने बकाया हैं उन सभी को कोई न कोई मिनिस्ट्री जरूर दे दी जाय। "जहां सुमति तहां सम्पत्ति नाना" अगर इनमें सुमति हो जायगी तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। काम तो चलने लगेगा अगर सभी मिनिस्टर बन जायं, हमें इससे कोई झगड़ा नहीं है, चाहे जितना भी खर्च हो, इससे भी मुझे मतलब नहीं है। वह बजट का उनके पास जो घड़ा है वह जब खाली हो जायगा और जनता के पास १३ करोड़ रुपये लेने के लिये जायेंगे तब जनता उनसे खुद पूछेगी। कहा जाता है कि बजट कल्याणकारी है, समाजवादी है, चकबन्दी से बड़ी तरक्की हो रही है, सिंचाई में बड़ी तरक्की हो रही है यानी हर महकमें में हम तरक्की कर रहे हैं। श्रीमन्, जब हम इन की खामियों पर इशारा करते हैं तो उधर से जनतंत्र की दोहाई दी जाती है, कल ही बार-बार जनतंत्र की दोहाई दी गई। एक लड़का इलाहाबाद में मारा गया और यह जनतंत्र में हुआ। मैं समझता हूं कि मेरी बात मान कर इसे जनतंत्र के बजाय जन्तर-मन्तर कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। पुलिस से लड़के की लाश मांगी जाती है तो उसे वह नहीं देती है, अगर पुलिस जान से मार सकती है तो क्या डाक्टर दो लफ्ज गलत नहीं लिख सकता कि यह रिपोर्ट है? मरा तो वह पुलिस की मारपीट से और डाक्टरी रिपोर्ट में कह दिया जाय कि इसे डाइबिटीज थी, इसके पेशाब में शक्कर आ रहा था।

ऐसे और सरकारी महकमें तो तरक्की कर रहे हैं लेकिन पुलिस महकमा जो सरकार का है उसकी तारीफ किये बिना मैं नहीं रह सकता। क्योंकि जो भी सरकार की आज्ञा होती है उसका पालन कहिये या यह कहिये कि वह सरकार की नीति को समझ कर उस पर चलने की कोशिश करता है। पहले सरकार ने अधिक अन्न उपजाओ का आन्दोलन चलाया था लेकिन इस सरकार की पुलिस ने अब अन्न बचाओ आन्दोलन शुरू किया है और उस नीति के अनुसार उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। अभी ८ रोज पहले की बात है, एक आदमी को पुलिस ने इतना मारा कि वह अभी तक एक टुकड़ा नहीं उठा सकता है। यह मंसूरपुर का किस्सा है जहां कि मिल मालिकों और मजदूरों में चल रही है। पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गये और लाठी, जूतों से बुरी तरह मारा और जेल में बन्द कर दिया। इलाहाबाद की तरह से वहां तो कोई आवाज उठाने नहीं गया था वरना आपको यह भी कहने का एक बहाना मिल जाता। आप उसकी जांच पड़ताल तो करा लें। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह हो सकता है कि आपका बजट कल्याणकारी हो, लेकिन यह समाजवादी बजट नहीं है। अगर आप इसे समाजवादी बनाना चाहते हैं तो इस पर गौर कीजिये और चाहे थोड़ी मात्रा में ही हो किसानों को आबपाशी में कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश कीजिये। हमारे बुढ़ाना तहसील में कोई भी उद्योग नहीं है.....

**श्री अध्यक्ष**—आपका समय समाप्त ।

**श्री जसराम सिंह** (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि कल विरोधी दल ने सन् १९६२–६३ के बजट को अव्यावहारिक, नीरस, प्रेरणाशून्य, आशंकाप्रद, खोखला तथा निराशाजनक बताया है। एक माननीय सदस्य ने तो मूर्खतापूर्ण शब्द का प्रयोग किया है । श्रीमन्, मैं प्रदेश के बजट को आशाप्रद, मंगलकारी तथा जन कल्याणकारी व विद्वतापूर्ण बतलाने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कृषि उद्योग, सड़क निर्माण, शिक्षा और भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला है। विकास खंडों द्वारा खेती की पैदावार बढ़ाने पर बल दिया है.....

**श्री नवरंगसिंह** (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कोई माननीय सदस्य यहां पर लिखा हुआ भाषण पढ़ सकते हैं ?

**श्री अध्यक्ष**—वह पढ़ नहीं रहे हैं, केवल अपने नोट्स देख रहे हैं ।

**श्री जसरामसिंह**—छोटी बड़ी सिंचाई योजनायें बनाई गई हैं । और सहकारी समितियों का फैलाव किया गया है, बिजली के उत्पादन की योजनायें बनाई गई हैं । गांवों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया गया है और गांवों में महिला शिक्षिकाओं के आवास गृह बनाने की योजना बनाई गई है तथा तकावी की रकम बढ़ाई गई है ।

महोदय, औद्योगिक विकास की दृष्टि से हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है उस के विकास के लिये बिजली की आवश्यकता है । माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बिजली के उत्पादन की योजनाओं का उल्लेख किया है और यह भी बताया है कि प्रदेश में कहां-कहां कौन सा नया उद्योग स्थापित हो रहा है । राज्य के औद्योगिक विकास की सम्भावनायें उज्ज्वल प्रतीत होती हैं । इस साधारण ढंग से मोटे तौर पर यदि हम विकास कार्यों को देखें तो बजट को जनहितकारी कहा जा सकता है ।

श्रीमन्, यदि हम बजट के आंकड़ों को ध्यानपूर्वक देखें तो उनसे साफ जाहिर है कि राज्य का बजट तो ३ करोड़ ४५ लाख की बचत का है । फिर १३ करोड़ ३५ लाख रुपये का घाटा क्यों हुआ, यह विवाद सदन के सामने है। अब मैं बजट में दिये गये सम्पूर्ण आंकड़ों की तरफ सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं । बजट में आय का अनुमान १७८ करोड़ ६ लाख का और व्यय का १९१ करोड़ ४१ लाख रुपये का अनुमान लगाया गया है। इस हिसाब से हमारे बजट में १३ करोड़ ३५ लाख रुपये का घाटा रहने की सम्भावना है। यदि हम १९६१–६२ की आमदनी और खर्चे देखें तो सरकार की आय १५२ करोड़ १८ लाख रुपया थी और व्यय १५६ करोड़ ६७ लाख रुपया था। अब इस बजट में जो असाधारण वृद्धि दिखाई गई है उसका कारण यह है कि राज्य की अनुमानित आय में २० करोड़ ९० लाख रुपये की वह धनराशि सम्मिलित कर ली गई है जो योजनाओं के निमित्त भारत सरकार से मिलने की आशा है। इस प्रकार प्रदेश की योजनाओं पर खर्च का अनुमान ३७ करोड़ ७० लाख रुपया सम्मिलित है । यदि हम भारत सरकार से मिलने वाली आमदनी और योजनाओं के व्यय को बजट से निकाल लें तो (व्यवधान) ।

**श्री अध्यक्ष**—वह पहली बार बोल रहे हैं, उन्हें आप बोलने दें ।

**श्री जसरामसिंह**—आय १५७ करोड़ १६ लाख रुपया होगी और व्यय १५३ करोड़ ७१ लाख रुपया होगा। इस प्रकार ३ करोड़ ४५ लाख रुपये की बचत होगी। यह ३ करोड़ ४५ लाख रुपया नई योजनाओं पर व्यय होगा और २० करोड़ ९० लाख रुपया भारत सरकार देगी। इस प्रकार २४ करोड़ ३५ लाख रुपया हमारे पास होता है लेकिन योजनाओं पर व्यय का अनुमान ३७ करोड़ ७० लाख रुपया का लगाया गया है। इस तरह से १३ करोड़ ३५ लाख रुपये का घाटा नई योजनाओं को पूरा करने में होता है ।

**एक सदस्य**—श्रीमन्, वह पढ़ रहे हैं।

**श्री जसरामसिंह**—यदि सरकार प्रदेश में नई योजनाओं को न चलाये तो बजट में घाटे का कोई प्रश्न नहीं है।

महोदय, अब मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सन् १९६०–६१ के वास्तविक आंकड़े जो प्राप्ति हुये हैं वह अनुमानित आय के आंकड़े १३० करोड़ ९० लाख रुपए के लगाये थे लेकिन वास्तविक प्राप्त १४८ करोड़ ३५ लाख रुपये की हुई। इस प्रकार से व्यय का अनुमान १३३ करोड़ २३ लाख रुपया लगाया गया था लेकिन व्यय १४० करोड़ ३१ लाख रुपया हुआ। इस प्रकार बजट में जहां २ करोड़ ३३ लाख रुपया का घाटा था वहां वास्तव में ४ करोड़ ४ लाख रुपए की बचत हुई।

अब वर्ष १९६१–६२ के आय-व्यय के वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं परन्तु अनुमानित आमदनी १५२ करोड़ १८ लाख रुपया थी जबकि बजट में १४५ करोड़ ६३ लाख रुपए का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार से व्यय १५६ करोड़ ६७ लाख पया है, जबकि बजट में १५४ करोड़ ६३ लाख रुपये का अनुमान था। वर्ष १९६२–६३ में यदि वास्तविक आमदनी बजट से अधिक हो जाय तो कोई नई बात नहीं होगी फिर भी योजना के लिये सरकार को १३ करोड़ ३५ लाख रुपये की पूर्ति करने के लिये जनता पर नये कर लगाने होंगे।

**अनेक सदस्य**—माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**—माननीय जसरामसिंह जी यह लोग नाराज इस वजह से होते हैं कि आप इनकी तरफ देखते नहीं।

**श्री जसरामसिंह**—वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि वित्त आयोग की वजह से आमदनी हमारे प्रदेश में कम हुई है। हमारे विरोधी दल की तरफ से २, ३ बातें कही गई हैं। वे चाहते हैं कि प्रदेश में लगान आधा हो और सिंचाई पर जितना खर्च होता है उतना ही वसूले किया जाय। दूसरी तरफ मांग करते हैं कि पे कमीशन बैठाया जाय तथा जितना भी और खर्चा है वह किया जाय। इस प्रकार जो आप पे कमीशन बैठाना चाहते हैं, योजनायें पूरी करना चाहते हैं तो इसके लिये सरकार को टैक्स लगाना ही होगा।

सेल्स टैक्स की वजह से व्यापारी वर्ग परेशान है। मैं चाहूंगा मंत्री जी इस पर विचार करें ताकि व्यापारियों को कुछ राहत मिले। कहा गया है कि मालगुजारी और लगान ड्योढ़ा किया जायगा। इसके लिये मैं कहूंगा कि यह किसानों पर न बढ़ा करके टैक्स उन पर लगाया जाय जो उसको बरदाश्त कर सकते हैं। टैक्स को वसूल करने की बात आती है तो यह हमने अपने चुनाव के समय ही जनता से स्पष्ट कह दिया था कि हम टैक्स लगायेंगे, हमारे पास कोई जादू की पुड़िया विरोधी दल की तरह तो नहीं है कि बिना टैक्स लगाये ही सब काम हो जायं, इसलिये हमने स्पष्ट जनता से कहा था कि हम टैक्स लगायेंगे यदि आप हमको ठीक समझते हैं तो चुनिये अन्यथा नहीं।

**श्री अध्यक्ष**—आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री मदनपालसिंह** (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं कल से इस बहस को सुन रहा हूं। दोनों तरफ के सदस्य एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं। मैंने बजट को देखा और मालूम हुआ, जैसा वित्त मंत्री जी ने स्वयं बताया, कि यह घाटे का बजट है। वह घाटा किस तरह से पूरा किया जायगा इसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बतायी गयी। पर जो अनुमान लगाया जा रहा है वह यह है कि किसानों पर टैक्स लगाकर उस घाटे को पूरा किया जायगा। तो देखने की बात यह है कि जितना घाटा प्रदेश में होता है वह किसी न किसी तरह से किसान से ही वसूल किया जाता है और किसान को ही सारा खर्चा प्रदेश का चलाना पड़ता है। हर पार्टी का आज यह नारा है कि समाजवाद की रचना हो। सरकारी पक्ष के लोग भी यही कहते हैं कि समाजवादी समाज की रचना वह देश में करना चाहती है। लेकिन समाजवादी समाज की रचना होती हुई

[श्री मदनपालसिंह]

तो मुझे मालूम नहीं पड़ती। जो लोग ज्यादा गरीब हैं, किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हीं पर टैक्स लगाया जाता है, लगान बढ़ाया जाता है और उन्हीं को समाजवाद बताया जाता है। जो पहले से समाजवादी हैं उन्हें और ज्यादा समाजवादी बनाया जा रहा है। और जो पहले से मालदार हैं वे और ज्यादा मालदार बनाये जा रहे हैं। यह कहा जाता है कि समाजवाद में अन्तर कम होना चाहिये तो रहन-सहन में अन्तर कम नहीं हो रहा है। किसानों पर सीलिंग की गयी। उससे पहले बृहत जोत कर लगाया गया। यह ठीक है कि सीलिंग होनी चाहिये। बड़े-बड़े लोगों से जमीन निकल कर छोटे लोगों को जमीन मिलनी चाहिये और जो भूमिहीन हैं उनके लिये भूमि की व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन जो मिल मालिक हैं, साहूकार हैं, जो काश्तकारी नहीं करते, दूसरा पेशा करते हैं और बड़े मालदार हैं उन पर भी तो कुछ समाजवाद का असर होना चाहिये। जो यह कहा जाता है कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आमदनी में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये और उसकी एक सीमा होना चाहिये, तब कहीं जाकर समाजवाद का नारा बुलन्द हो सकता है और समाजवाद लाया जा सकता है। लेकिन यदि एक समुदाय को पीसा जाय और दूसरे समुदाय को बढ़ाया जाय और कागज के ऊपर साजवाद का नारा लगाया जाय मेरे खयाल से इससे समाजवाद होने वाला नहीं है।

कई माननीय सदस्यों ने टैक्स का विरोध किया। सरकारी पक्ष की तरफ से कहा गया कि बगैर टैक्स लगाये हुए कोई इन्तजाम हो नहीं सकता, काम चल नहीं सकता। ठीक है, आप टैक्स लगाइये। मैं भी चाहता हूं कि आप टैक्स लगाइये लेकिन टैक्स लगाने पर जो रुपया आप के पास आता है, छोटे-छोटे काश्तकारों से वसूल करके, उस पैसे का उतना फायदा उस कर-दाता को नहीं हो पाता। काश्तकार से लगान वसूल किया जाता है और यह उम्मीद की जाती है कि लगान बढ़ाया जायगा तो बढ़ जाने की बात पर हमें कोई प्रसन्नता नहीं है, लेकिन अगर लगान बढ़ाया जाता है तो यह भी खयाल रखा जाय कि उस पैसे का सही इस्तेमाल हो। जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने अस्पतालों की, पुलिस की, शिक्षा की त्रुटियां बतलाईं, उन पर आप ध्यान दें तब मैं समझूंगा कि आप पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे।

मैं पिछड़े हुए इलाके-हमीरपुर जिले से चुन कर आया हूं। सभी को विदित है कि बुन्देलखंड बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पर आज तक आवागमन के रास्तों की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं-कहीं शहरों में इस बजट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उनकी तरक्की के लिये ज्यादा पैसा लगाया जाता है लेकिन जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनका कोई खयाल नहीं किया जाता क्योंकि हमारी सरकार का जनता से सम्बन्ध विच्छेद हो गया है। जो जनता है उसका सही तौर से उनको पता नहीं लगता कि कहां की जनता को क्या जरूरत है। कहीं जहां पर काफी रास्ते, सड़कें, अस्पताल और स्कूल हैं वहीं पर और ज्यादा कायम कर दिये जाते हैं और जहां पर नहीं हैं वहां कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मेरा यह निवेदन है कि कम से कम जो हम लोग बातें कहते हैं उनका ध्यान रखें, उनको कहीं नोट करें।

लगान का जहां तक सवाल है हमारे यहां वह बड़े बेसिलसिले से लिया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में तो यह तरीका था कि हर ५ और १२ साल के बाद के बाद बन्दोबस्त होता था और उसके लिहाज से लगान में कमी या ज्यादती कर दी जाती थी किस्म जमीन के हिसाब से। लेकिन जब से स्वराज्य हुआ, हमारी कांग्रेस सरकार आयी तब से आज तक जमीनों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी और इसी अव्यवस्था की वजह से काश्तकारों में रोजाना झगड़े होते हैं, कोई मेंड़ तोड़ता है, कोई कहता है कि हमारी जमीन इतनी नहीं है और इसी पर झगड़े और कत्ल होते हैं। मैं कह सकता हूं कि मेरे यहां जितने कत्ल होते हैं उनमें हरएक में कोई न कोई बात जमीन की जरूर होती है। हमारे यहां कत्लों की तादाद बहुत ज्यादा है और उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि कम से कम बुन्देलखंड की ओर हमारी सरकार का ध्यान जरूर जाना चाहिये। वहां चरखारी

स्टट हमीरपुर जिले में मर्ज हुई। उसके बाद जब मेरा सम्पर्क स्टेट के किसानों के साथ बढ़ा, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि दूसरे किसानों के मुकाबले में स्टेट के किसानों से आठ गुना अधिक लगान लिया जाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। उसके लिये आवाज बुलन्द की गयी, प्रार्थना-पत्र भेजे गये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज वहां का किसान फिर सोच रहा है कि जब लगान बढ़ने की बात हो रही है तो हो सकता है कि उसको १२ गुना या २० गुना तक लगान देना पड़े। स्टेट एरिया के किसानों की हालत रोज ब रोज खराब होती जा रही है। एक तो वे पहले ही राजाओं के चूसे हुये थे और अब उन पर लगान का बोझ बढ़ रहा है। ऐसी हालत में हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो यह अत्याचार उन पर हो रहा है उसको किसी न किसी तरीके से खत्म किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि आप लगान न बढ़ायें लेकिन उसकी कोई ऐसी व्यवस्था हो कि जो किसान काबिल लगान बढ़ाने के है उसका बढ़ाया जाय और जो कम करने के लायक है उसका कम किया जाय। यह किस्म जमीन के ऊपर बटवारा होना चाहिये। अज-सरे-नौ उसका बन्दोबस्त होना चाहिये।

चकबन्दी की जो बात है उसकी बहुत से माननीय सदस्यों ने बुराई की है और सरकारी पक्ष के सदस्यों ने तारीफ की। मैं तो न तारीफ करने वाला हूं न बुराई करने वाला हूं। मैं तो समझता हूं कि हमारे बुंदेलखंड में चकबन्दी मुमकिन ही नहीं हो सकती और अगर होगी भी तो शायद जब पूरे प्रान्त की चकबन्दी हो जायगी तब कहीं उसका नम्बर आयेगा और जब उसका नम्बर आयेगा तब तक हमारे यहां के किसान की भूमि व्यवस्था इतनी खराब हो जायगी कि शायद किसान आपस में लड़ते लड़ते और अदालतों में पैसा खर्च करते करते तबाह हो जायगा। अगर आप हमारे यहां माल महकमे को देखें तो ज्यादा से ज्यादा आदमियों के मुकदमे हदबन्दी के मिलेंगे। हर काश्तकार एक न एक ऐप्लीकेशन हदबन्दी की दे देता है। हर गांव में बीस-बीस पचीस पचीस मुकदमे चल रहे हैं क्योंकि १५, २० सालों से बन्दोबस्त नहीं हुआ है। जमीन कट चुकी है और उसकी वजह से नाप जोख जमीन की सही नहीं रह गयी, है सिर्फ खतौनी में लगान दर्ज है और वही किसानों से लिया जाता रहा है। उसकी व्यवस्था ठीक से नहीं है। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि कम से कम हमीरपुर जिले में जो स्टेट एरिया के किसान हैं उनके लगान के बारे में जरूर ध्यान दिया जाय।

अक्सर मैं अपने जिले की एक व्यवस्था यह देखता हूं कि जिन लोगों का थोड़ा सा कुछ काम होता है या जो अपनी बात सरकार को सुनाना चाहते हैं वह सिवा इसके कि कांग्रेसी भाइयों या कांग्रेस के माननीय सदस्यों के यहां जाकर अपनी बात कहें और वह आकर यहां सिफारिश कर दें और उनका काम हो चाहे गलत चाहे सही लेकिन काम उन्हीं का होता है। काम का एक तरीका होना चाहिये कि वह सारी जनता के लिये एक सी व्यवस्था हो सके और सही कानून सबके लिए हो तो हम उसको मान सकते हैं कि यह कल्याणकारी राज्य होगा और इसी का नाम स्वराज्य कहा जायगा।

*श्री श्रीपति मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों के सामन कुछ बातें रखना चाहता हूं। इसके पहले शुद्ध समाजवादी दो वक्ता महोदय बोले थे। पहले शुद्ध समाजवादी वक्ता महोदय ने इस बजट को मूर्खतापूर्ण कहा था और दूसरे महोदय ने बजट के बारे में और बातें कहने के साथ साथ यह कहा था कि जहां समाजवादी व्यवस्थायें हैं और जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था भी हैं वहां कहीं भी जो अन्तर कर्मचारियों की तनख्वाह में है वह १ और ६० से ज्यादा कहीं भी नहीं है।

एक सदस्य—१ और ७ कहा गया था, १ और ६० नहीं। समझने में गड़बड़ी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**श्री श्रीपति मिश्र**—बहरहाल कहीं तो गड़बड़ी अवश्य है चाहे समझने में या बोलने में। तो जिन्होंने बजट को मूर्खतापूर्ण कहा था मैं उनसे कहूंगा कि उन्होंने संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। लेकिन मुझे उनसे इससे ज्यादा कुछ कहना इसलिये नहीं कि वे शुद्ध समाजवादी ठहरे, जो कुछ भी था उसको बांट रहे थे। इसलिये उनके लिये कोई बात अफसोस की नहीं थी।

इतनी देर तक जो वक्तव्य हुए या जो विरोध हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय उनमें मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि किसी भी स्थान पर यह नहीं कहा गया कि इस बजट का कौन सा अंश, कौन सी बात या उसका कौन सा खर्चा ऐसा है जिसको कि इसमें नहीं होना चाहिये था। अधिक से अधिक जो कहा गया वह सिर्फ सप्लाई आफिसर्स या कुछ और अधिकारियों की तनख्वाहों की बाबत था। यह कहा गया कि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिये। मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि अफसरों की तनख्वाहें अधिक से अधिक बढ़ाई जायं मगर आप इस बात पर विचार करें कि वहां पर जो भी लोग हैं, जो सप्लाई में या कहीं भी १०–१२–१४ साल से लगातार काम कर रहे हैं और इस काम के करने में आज तक वह अनिश्चित हैं कि वे रहेंगे या नहीं और जो उनकी तनख्वाह है वह बढ़ नहीं रही है और बहुत दिनों से वे उसी तनख्वाह पर चले आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी समय बीतने के साथ साथ बढ़ती जा रही है, उनका काम ऐसा नहीं है कि सबकी तारीफ की जा सके। मगर जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती है उनके लिये दंड हो सकता है। मगर पुराने लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ें या व्यवस्थित रूप से उनको चलाने के लिये, उनको स्थायी करने के लिये बजट में कोई बात की गई हो तो वह बात ऐसी नहीं है कि जिसका विरोध किया जा सके।

अब इस बजट के संबंध में समाजवादी भाइयों ने यह कहा कि यह समाजवादी नहीं है मगर यहां ऐसे भी माननीय सदस्य....

**श्री अध्यक्ष**—यह आपका नया विषय है। कल आप अपना भाषण जारी रखेंगे। मैं सदन के उठने के पहले एक घोषणा कर दूं।

## श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में कृतज्ञता के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल का उत्तर

**श्री अध्यक्ष**—माननीय राज्यपाल जी का उत्तर धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में आया है। वह नियम २० के अन्तर्गत मुझे आपके सामने पढ़ देना है। उनका पत्र यों है कि—

श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पत्र दिनांक १२ अप्रैल, १९६२ के लिये, जिसे आपने व विधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने आकर भेंट किया, धन्यवाद देता हूं।

मैं, विधान सभा के प्रस्ताव के लिये जिसे उन्होंने अपनी ३० मार्च, ६२ की बैठक में स्वीकार किया, आभारी हूं।

भवदीय,
**रामकृष्णराव।**

यह उनका उत्तर आया है। अब ५ बज रहे हैं, हम उठते हैं और कल ११ बजे बैठक होगी।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

**देवकीनन्दन मित्थल,**
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१७ अप्रल, १९६२।

पी० एस० यू० पी०—१० पी० ४९ एल० ए०—१९६२—८४५।